खण्ड-305, अंक-1
मंगलवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1895
(8 मई, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 305 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1--5
प्रश्नोत्तर	5--37
व्यवस्था का प्रश्न	37--38
भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री चेतराम के निधन पर शोकोद्गार ..	38--40
विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टरों के बारे में बुलाई गई बैठक के सम्बन्ध में जानकारी	40--41
श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गयी बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने क संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट	41-42
लाटरी बेंचने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने की मांग	42
विविध विषय	42--48
कार्य--स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	48--54
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमें उठाने तथा जेल से मुक्त करने के बारे में श्री शंकर प्रसाद जायसवाल द्वारा अनशन के संबंध में वक्तव्य	54--55
संघ की सेना में कमीशन प्राप्त तथा सैन्य सेवा से अवमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों के लिये राज्याधीन मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों के प्रति भर्ती के संबंध में वक्तव्य	56--59
परिवहन विभाग की यात्री बसों व प्राइवेट बसों का प्रधान मंत्री के वाराणसी आगमन पर दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	59--62
1973--74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या 25--उद्योग तथा अनुदान संख्या 46--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	63--97
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	98
नियम 49 के अधीन चर्चा न होना	98--99
सत्थियां	100--104

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 8 मई, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 357

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार सिंह श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, , श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांक लाल, श्री

135247
H
U.P.L.A.
Vol. 305
1973

विशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री

यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राम मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
(जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद, देशमुख, श्री

रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री

उपस्थित सदस्य

सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वमुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—पंचायती राज मंत्री, श्री बल्देव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 8 मई, 1973

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री अवसान सिंह, कोआपरेटिव सुपरवाइजर रहीमाबाद, लखनऊ द्वारा बिना अनुमति के ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ना

*1—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री अवसान सिंह, कोआपरेटिव सुपरवाइजर, रहीमाबाद, जिला लखनऊ, कोआपरेटिव बैंक हरदोई, के एक संचालक हैं और क्या यह भी सही है कि अभी वह ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में कछौना ब्लाक से ब्लाक प्रमुख पद के लिये उम्मीदवार थे और चुनाव में हिस्सा लिया? यदि हां, तो इस प्रकार एक सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी को राजनीति में हिस्सा लेने की क्या आज्ञा दी गई है?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां। श्री अवसान सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन के स्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें चुनाव लड़ने की उक्त यूनियन द्वारा आज्ञा प्रदान नहीं की गयी है।

श्री जयराम वर्मा—

क्या श्री अवसान सिंह, कोआपरेटिव बैंक, हरदोई के संचालक हैं जिसके बारे में उत्तर में कोई जिक्र नहीं किया गया?

श्री वीरबहादुर सिंह—

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन से आख्या मांगी गयी है कि इसमें क्या तथ्य हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात नहीं कही कि क्या सरकार ने इजाजत दे रखी है कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर होते हुए भी वह किसी कोआपरेटिव बैंक का संचालक भी हो सकता है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

ये सुपरवाइजर पी० सी० य० के कर्मचारी हैं। उनसे पूछा गया है कि वे बतायें कि ये चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

बेसिक एजूकेशन में जो हेडमास्टर हैं या मास्टर हैं। वे भी बहुत जगहों पर मेम्बर हो गये हैं। क्या वे राजनीति में भाग ले सकते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं पी० सी० यू० के आचरण नियमावली के नियम 19 (2) को पढ़े देता हूं जिसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है कि कौन कहां चुनाव लड़ सकता है और कहां नहीं—

"No employee shall convass or otherwise interfere or use his influence in connection with or take part in, any election to a co-operative institution (other than the one of which he is himself a member) or to a Legislative or Local body."

श्री अनन्तराम जायसवाल (बाराबंकी)—

जो नियम आपने पढ़े हैं प्रश्नगत कर्मचारी चुनाव में हिस्सा ले नहीं सकता है। उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है, अगर यह बात सही है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, उनको निकाला गया है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ये पी० सी० यू० के कर्मचारी हैं। उनसे आख्या मांगी गयी है साथ ही और जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कोई भी एम्प्लायी किसी दूसरे जिले में जहां का वह निवासी है, वहां मेम्बर बन सकता है किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी का और अगर वह मेम्बर बन सकता है तो उस जिले में क्या उसको खड़े होने का अधिकार नहीं है, इन नियमों के अनुसार, जिनकी अभी चर्चा की गयी है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जिस कोआपरेटिव सोसाइटी का वह मेम्बर हैं, उसका इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन जहां का मेम्बर नहीं है वहां नहीं लड़ सकता।

श्री जयराम वर्मा—

जब उनको ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गयी थी तो किस तरह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आखिर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और उसके लिये आख्या मांगी गयी है। आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

प्रोविन्शियल कोआपरेटिव यूनियन एक स्वायत्त शासी (अटोमोनस बाडी) संस्था है। सरकारी और अर्ध सरकारी नहीं इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया है। इसे दिलाने की कृपा करें ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम पढ़ दिया है। माननीय सदस्य सुन लिये होंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या यह प्राविन्शियल कोआपरेटिव यूनिट स्वायत्त संस्था है, सरकारी संस्था है या असरकारी?

श्री अध्यक्ष—

रूल तो सुना दिया है उन्होंने....

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्राविन्शियल कोआपरेटिव संस्था सरकारी बाडी है या असरकारी, यह जवाब दिला दें, मान्यवर ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, यह सरकारी नहीं, स्वायत्त संस्था है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आख्या कब मांगी है और क्या कोई रिमाइन्डर भी भेजा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब जानकारी हुई, तब हाल ही में मांगी गयी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी बैंकों को, जो जिला लेविल पर हैं, कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की सर्विसेज ट्रान्सफर कर दी गयी हैं और उन सुपरवाइजर्स का कन्ट्रोल उन बैंकों और उनके बोर्ड आफ डाइरेक्टर के हाथ में है ? अगर हां, तो उसी बैंक के एम्प्लायी को, जो उस बैंक का मुलाजिम है, चुनाव लड़ने की छूट कैसे है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, वह पी० सी० एच० का कर्मचारी है। यह कर्मचारी सरकारी बीज भण्डार, रहीमाबाद, लखनऊ, में है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जो उत्तर दिया गया है, उसको क्या, आप मान्यवर, मुनासिब समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप फिर पूछ सकते हैं ।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पी० सी० यू० के नियमानुसार उसको चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिये । तो क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि अगर जांच से यह साबित हो जायगा कि उसने चुनाव में भाग लिया है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अब, वह पी० सी० यू० का कर्मचारी है । उसकी नियुक्ति वहां कर दी गयी है । पी० सी० यू० से कहा जायेगा, अगर वे ऐक्शन नहीं लेते हैं, तो कोई ऐसी बात करेंगे जो उचित होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रतापूर्वक, कि आप जो उत्तर आये, उसे भी सुन लिया करें, वैसे आप प्रश्न को सुनते हैं । मैंने यह सवाल पूछा कि क्या यह सही है कि क्या कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को ट्रान्सफर्ड हैं और क्या बोर्ड आफ डाइरेक्टर के हाथ में उनका ऐडमिनिस्टिव कन्ट्रोल है ? अगर हां, तो फिर पी० सी० यू० की बात कहां आ जाती है? इस बात को और साफ कर दूं । जिस आदमी के बारे में बात है, क्या उसकी सर्विसेज बैंक में ट्रान्सफर्ड हैं या नहीं? वह बैंक का एम्प्लायी है या नहीं? अगर बैंक का एम्प्लाई है, तो जो आदेश हुए हैं कि सभी सुपरवाइजर्स, जो बैंकों के अन्दर काम करेंगे, उनकी सारी सर्विसेज बैंक को ट्रान्सफर हो जायेंगी, तो अब पी० सी० यू० उसकी देख-रेख में कहां है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो पी० सी० यू० का एम्प्लायी होता है, वह बैंक में डेपुटेशन में जाता है । वहां उस पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल उनका होता है और वे निलम्बित कर सकते हैं और दूसरी कार्यवाही कर सकते हैं । जहां तक रिमूबल की बात है, वे पी० सी० यू० कर सकती है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जब उसकी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को दे दी गयी हैं, तो अब वह पी० सी० यू० का कर्मचारी नहीं है । वह बैंक का कर्मचारी है । मान्यवर, उस प्रश्न को साफ करवा दें अन्यथा मैं व्यवस्था की नोटिस दे दूंगा । वह डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का नौकर हो गया, इसे साफ कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

जानबूझ कर कोई बात टालें, तो वह बात उठती है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि यह प्रश्न एक अरसा हुआ उनके सामने पेश हुआ था और जो आख्या मंगाने की जरूरत पड़ी है तो उन्हें वस्तुस्थिति को जानने में उनको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह पी० सी० यू० के कर्मचारी हैं और हम उनसे आख्या ही मांग सकते हैं तभी तथ्य का पता लगा सकते हैं । उसके बाद हम पी० सी० यू० से कहेंगे कार्यवाही के लिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

उन्होंने पी० सी० यू० से कब आख्या मांगी और अभी तक क्यों नहीं आई है जबकि दफ्तर विधान सभा मार्ग पर है?

श्री वीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, जब इस केस की जानकारी हुई है तभी आख्या मांगी गई है?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न इनका यह है कि कब आख्या मांगी?

श्री वीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, मैंने उत्तर तो दिया कि जब यह सवाल पूछा गया है उसके बाद ही आख्या मांगी गई है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर आज से दो-तीन साल पूर्व पी० सी० यू० ने अपने आदेश के द्वारा इन सभी सुपरवाइजरों की सर्विसेज समाप्त करके बैंक को ट्रांसफर कर दिया और बैंक ने भी इनकी सर्विसेज ले ली है और उनको मुलाजिम भी बना लिया है । अगर ऐसा है तो इस सम्बन्ध में जो पहले उत्तर दिया गया क्या वह सही है ? और अगर नहीं सही है, तो वह क्या इसकी तहकीकात करेंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, इसमें तहकीकात के लिये कहा है, हम करा लेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

खोराबार, गोरखपुर के कैस स्कीम की सड़क झंगहा अमहिया के निर्माण में ईटों का घपला

* 1---श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार में बनी कैश स्कीम की सड़क झंगहा अमहिया होते राजधानी पर लगभग 75 हजार ईट ढुलाई आदि में घपला हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

जी नहीं ।

सैदपुर करेगी रोड तथा बदायूं जिले के शेष भागों में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का विवरण तथा व्यय

* 2---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत 1971--72 एवं 1972--73 में क्या-क्या कार्य होना स्वीकार हुए और इनमें से कौन-कौन से पूरे हो गये और कौन-कौन से पूरे नहीं हुए और हर एक पर कितनी-कितनी लागत आयी

और क्या सैंदपुर–करेगी रोड इस कैस प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई थी और 2 अक्तूबर, 1972 से उसका कार्य शुरू हुआ था किन्तु एक महीने के बाद बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों और अब इस पर पुनः कार्य शुरू हो गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और इस सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी बकाया धनराशि दे दी गई है या नहीं ?

सामुदायिक विकास उपमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)––

बदायूं जनपद में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजनान्तर्गत वर्ष 1971–72 एवं 1972–73 में उनके सम्मुख अंकित लागत के अनुसार निम्नलिखित परियोजनायें स्वीकृत की गई, इनमें अभी कोई परियोजना पूरी नहीं हुई है । सभी पर कार्य चल रहा है । वर्ष 1973–74 के अन्त तक सभी कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावना है:––

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
	रु0
1––दातागंज–बेलाडांडी सड़क	3,98,940
2––अलापुर–ककराला सड़क	3,19,000
3––सैंजनी–हजरतपुर सड़क	6,96,000
4––कादरचौक–गंगपुर सड़क	2,90,000
5––बदायूं–बिल्सी सड़क	13,92,000
6––वजीरगंज–उसैता सड़क	3,48,000
7––बनारोपण परियोजना ग्राम मिरावटी–मुकुटपुर ..	2,00,000
योग ..	36,43,940

सैंदपुर करेगी सड़क का निर्माण त्वरित योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं आया । मैंने पूछा था कि दो सालों में कितना व्यय हुआ, वह माननीय मन्त्री जी ने नहीं बताया । कृपया इसका उत्तर दें ?

श्री अध्यक्ष––

इसमें कहां लिखा हुआ है कि कितना व्यय हुआ ? इसमें लिखा हुआ है कि कौन-कौन से पूरे हुए ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

कितनी लागत आई, यह पूछा है यानि कितना खर्चा हुआ ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा––

मान्यवर, 31 मार्च 1973 तक 17,01,030 रु0 व्यय हुआ ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

यह लागत 36 लाख है । हर जिले को 18, 18 लाख मिला । क्यों कम खर्च हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

यह तो तीन वर्ष की योजनाएं हैं। आवंटन जो किया जाता है रुपये का वह उस जिले की क्षमता को देख कर किया जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

इस जिले के लिये हर साल के लिये कितना दिया गया है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

तीन वर्ष में साढ़े 37 लाख खर्च करना है और अब तक जो आबंटन किया है वह साढ़े 17 लाख किया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह जो कम खर्चा हुआ वह क्यों हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

इनका मतलब है कि 2-3 होना चाहिये था उससे यह कम है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

कुछ जिलों में कम खर्चा हुआ है तो उसकी कुछ समस्यायें हैं। ओवरसियर इस्तीफा देकर चले गये। स्टाफ की कमी रही। जिस मंदगति से क्रैश प्रोग्राम चल रहा है उससे हमें भी संतोष नहीं है। हम इसको देख रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि मैंने दो पत्र सरकार को 292 और 293 भेजे थे, उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

यह सही है कि माननीय सदस्य ने दो पत्र भेजे थे जिनमें उन्होंने कहा था कि कुछ मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है और एक सड़क का काम रुका हुआ है। हमने यह कार्यवाही की कि मजदूरों का पेमेंट हो जाय और सड़क पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ हो जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अभी मन्त्री जी ने कहा कि हर जिले का आवंटन अलग-अलग किया गया है। मेरी सूचना यह है कि प्रत्येक जिले को साढ़े 12 लाख के हिसाब से आबंटन किया गया है और यह तीन साल का साढ़े 37 लाख है। क्या पहला उत्तर सही था, और यदि नहीं ? तो यह भ्रम क्यों है ? दूसरा यह है कि क्या सरकार इस स्कीम को स्क्रेप करने पर विचार कर रही है क्योंकि इसकी उपयोगिता नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

प्रत्येक जिले को साढ़े 12 लाख वार्षिक त्वरित योजना के लिये दिया जाता है। इस तरह से साढ़े 37 लाख प्रत्येक जिले का व्यय है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस जिले में किस गति से काम चल रहा है। वह तो उनका हिस्सा निश्चित है लेकिन हमने यह भी कहा था कि जो जिला पूरा काम नहीं कर पायेगा हम उस धन को दूसरे जिले को भी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 31 मार्च, 1974 तक प्रत्येक जिला आवंटित रुपये को खर्च कर देगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

भाई असरार अहमद ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे त्वरित योजना उनके यहां रोक दी गयी है वैसे ही हमारे यहां रोक दी गयी है। क्या मन्त्री जी स्पष्ट आश्वसन देंगे कि फलां डेट या महीने तक रोकी गयी त्वरित योजना पर काम शुरू हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने यह निवेदन किया कि साढ़े 37 लाख के हिसाब से रुपया आबंटित किया गया है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि जिला उस धनराशि का उपयोग कर लेगा। अगर वह कर लेंगे तो उतना रुपया उन्हें दिया हुआ है। लेकिन खाली उनके नाम से रुपया जमा रहे और वह काम न करें और दूसरी तरफ कोई जिला अधिक काम करना चाहे और वह उससे वंचित रह जाय तो शासन को इस पर विचार करना पड़ता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सैदपुर, करेगी सड़क पर किस स्कीम के अन्तर्गत काम हो रहा है और एक महीने बाद क्यों बन्द कर दिया गया और मजदूरों को पेमेंट क्यों नहीं किया गया?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह सही है कि इस पर 1 महीना कार्य हुआ। बदायूं में एक बड़ा भारी मेला लगता है। हमको बताया गया है कि वहां पर जिला परिषद् के इंजीनियर और ओवरसियर को उस मेले के प्रबन्ध में जाना पड़ता है और उनको काफी समय देना पड़ता है। इसलिये इस कार्य को स्थगित कर दिया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेला अक्तूबर–नवम्बर में लगता है, लेकिन अब तो मई हो गयी है। मेले के प्रबन्ध के लिये इंजीनियर कभी नहीं जाते हैं और न ही उनके द्वारा कोई प्रबन्ध होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 8 महीने तक इस सड़क पर क्यों काम रुका रहा?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

हमारी सूचना यह है कि यह मेला 11 नवम्बर से 25 नवम्बर तक लगा। यह बताया गया है कि जिला परिषद् के इंजीनियरिंग स्टाफ को भी प्रबन्ध में जाना पड़ना है। इसलिये इसको बन्द करना पड़ा।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

कैश स्कीम के अन्दर 12 1/2 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्षों में 37 1/2 लाख रुपये दिये गये हैं। इस स्कीम के 2 वर्ष पूरे हो गये। जो जिले निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पायें हैं क्या आप उनके रुपये को उन जिलों में खर्च कर देंगे जिनके आवेदन-पत्र आये हैं? क्या सरकार कैश स्कीम के अन्तर्गत उन जिलों को धनराशि देने के ऊपर विचार कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिलाधीशों को यह आदेश हैं कि जो रुपया उनके जिले को आबंटित किया गया है वही उसी वित्तीय वर्ष में खर्च हो जाना चाहिये। किन्हीं कारणों से अगर वह रुपया व्यय नहीं होता है तो वह रुपया या तो अगले वर्ष में खर्च होगा या जो जिले ज्यादा काम कर रहे हैं उनको दे दिया जायगा जिससे कि वे आगे काम कर सकें। सब के लिये हमारे आदेश हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन जिलों के अधिकारी निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, आप वहां की जनता को क्यों पैनलाइज करते हैं? क्या आप उन जिलों में काम करायेंगे जहां नहीं हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह काम तो जनता और अधिकारियों के परस्पर सहयोग से होता है। अगर अधिकारी बहुत तत्परता से काम करना चाहते हैं और वहां जनता उस को अपनाने के लिये तैयार नहीं है तो अधिकारियों को दोषी नहीं माना जा सकता।

भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत उन्नाव, हरदोई, रायबरेली ऐसे अनेक जिले हैं जहां पर प्रोग्राम पूर्ण रूप से सफल रहा है। क्या सरकार वहां पर और धनराशि देकर प्रोग्राम को और आगे बढ़ायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे जिलों के लिये मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो पत्र मैंने आपको लिखे हैं क्या आप उन्हें सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। सार सुना दें, पत्र न पढ़ें।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

दोनों पत्रों में यही है कि सड़क पर 1 महीना काम हो कर कार्य बन्द हो गया। एक शिकायत यह की थी कि कार्य बन्द होन की वजह से बुआई नहीं हो सकी और तीसरी शिकायत यह थी कि मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गयी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आधे पन्ने का पत्र है। 6 महीने हो गये। यह बतायें कि इन पत्रों के आने के बाद सरकार ने जो जांच करायी उसका क्या फल निकला ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली थी वह मजदूरी दे दी गयी है। जिस सड़क का आप उल्लेख करते हैं उस पर 1 महीने कार्य के बाद बन्द कर दिया गया। वह सड़क लिंक रोड प्रोग्राम में है। जिला परिषद् उस सड़क को ठीक करेगी। हम उस के लिये आदेश कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

खेती में बुआई रुकी पड़ी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप देखें कि कितने सवाल हो गये। 9 सवाल हो गये। कोई सदस्य 2 सवाल पूछ लेता है तो माननीय सदस्य चीखने लगते हैं। आप व्यवस्था दीजिये।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वे जिले कौन से हैं जिनका रुपया काट कर दूसरे जिलों को दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरे जिलों की पूछ रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं यह पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा स्टेंडर्ड बनाया है जो एक जिले का पैसा दूसरे जिले को दे देंगे? क्या यह आधार है कि जो जिला रुपय में 8 आन काम करेगा या 12 आने करेगा उसका रुपया दूसरे जिले को दे दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रत्येक जिले में 3 वर्ष की योजना बनायी है और 37 1/2 लाख रुपया निर्धारित किया गया है । अगर प्रत्येक वर्ष के लिये जितना धन आवंटित है उतना धन उस वर्ष में व्यय कर देते हैं तब तो दूसरे जिले को देने का सवाल नहीं है । यह अपेक्षा की जाती है कि 3 वर्ष में जो योजना बनायी गयी है उसको व पूर्ण कर देंगे लेकिन अगर उन्होंने 2 वर्ष का कार्य एक ही वर्ष में किया तब तो 1 वर्ष का कार्य शेष रह जाता है । उस पर विचार करेंगे कि उस 1 वर्ष का धन उस जिले को दिया जाये या नहीं ।

शाहजहांपुर कोतवाली में के गबन की दर्ज रिपोर्ट के सम्बन्ध में कार्यवाही

*3—श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी), श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), (अनुपस्थित), श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़), श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं), श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

दिनांक 13-3-73 के प्रश्न संख्या 11, नत्थी (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून 1972 में कोतवाली शाहजहांपुर में जो 88,921 रु0 32 पैसे के गबन की रिपोर्ट लिखी गई उसका आज तक विशेष अनुसन्धान शाखा को विवेचन हेतु न भजने का क्या कारण है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जून 72 में कोतवाली शाहजहांपुर में 88,921 रु0 32 पैसे के गबन की कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी वरन् इस आशय की रिपोर्ट जून, 71 में लिखायी गयी थी जो विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) को विवेचना हेतु भेजी जा चुकी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट किस-किस के खिलाफ हुई और विशेष अनुसन्धान शाखा को विवेचना के लिये कब दी गयी?

श्री बीरबहादुर सिंह—

रिपोर्ट किसी खास व्यक्ति के खिलाफ नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

रिपोर्ट थाने में दो साल पहले जून, 71 में दर्ज हुई थी। तो विशेष अनुसंधान शाखा को यह मामला कब दिया गया है और इतनी देरी जो हुई है वह क्यों हुई है ?

श्री बीरबहादुर सिंह--

23-4-73 को विशेष अनुसंधान शाखा को दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि यह मामला अनुसंधान शाखा को प्रश्न करने के बाद भेजा गया है। तो यह जो गबन है वह कोई व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिये माननीय मन्त्री जी का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। वह यह बतलावें कि किस-किस ने गबन किया है और इसकी जिम्मेदारी किस पर रक्खी गई है?

श्री बीरबहादुर सिंह--

रिकार्ड गायब हो गये हैं इसलिये यह बतलाना संभव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

88,000 रु0 का एरियर दुकानदारों की तरफ है तो उसकी रिकवरी के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, कागजात उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

श्री रामकरन सिंह--

मन्त्री जी ने बतलाया कि गबन 88,000 रु0 का है और उसके कागजात गायब हो गये हैं और आरबीट्रेशन का केस भी चल रहा है, तो किस व्यक्ति के खिलाफ यह है ? यह जो शिकायत थाने पर लिखाई गई है वह किस व्यक्ति ने लिखाई है ?

श्री बीरबहादुर सिंह--

मान्यवर, यह रिपोर्ट लिखाने वाले श्री विश्वनाथ सिंह सोमवंशी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, शाहजहांपुर, हैं। रिपोर्ट इस प्रकार है:

सचिव, जिला सहकारी संघ लि0 शाहजहांपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5-7-70 ई0 द्वारा सूचित किया है कि उक्त संस्था की बैलेन्स शीट में वर्ष 62-63 से मु0 88921.32 पै0 संघ द्वारा चलाई गई राशन की दुकानों के प्रबन्धकों से पाना दिखाया जा रहा है। इन दुकानों से सम्बन्धित सभी रिकार्ड्स दिनांक 31-10-72 को कार्यालय की अलमारी से रहस्यमय ढंग से गायब हो गये। इन पत्रादि में मुबलिग 88921.32 पसे की धनराशि का मामला निहित है।

अतः सचिव, जिला सहकारी संघ लि0 शाहजहांपुर की रिपोर्ट दिनांक 5-7-70 ई0 की एक प्रति संदर्भित संलग्नकों सहित, संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आप इस मामले को अपने यहां रजिस्ट्रर कर नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा प्रगति से यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करें।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि बतलाया गया, राशन की दुकानों की तरफ यह रकम निकलती है। जब से यह कार्यवाही हो रही है उसको दो-ढाई साल हो गये हैं, तो इस मुद्दत में रिकवरी न होने का क्या कारण है ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे, इसलिये रिकवरी नहीं की जा सकी।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो 88,000 रुपये के गबन का मामला है इसकी जानकारी थाने में रिपोर्ट के बाद हुई या इससे पहले हुई ?

श्री बीरबहादर सिंह---

मान्यवर, यह तो 62-63 की बैलेन्स शीट में दिया हुआ है। उसी पर रिपोर्ट लिखाई गई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मन्त्री जी ने यह बतलाया है कि विशेष अनुसंधान शाखा को यह मामला दे दिया गया है, तो पिछला तजुर्बा यह बतलाता है कि कई वर्ष तक वह कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मामला दबकर खत्म हो जाता है। इसी चीज की रोकथाम के लिये सहकारिता विभाग में एक सेल कायम किया गया है पुलिस का, तो क्या आप इसको विशेष अनुसंधान शाखा से निकाल कर विभागीय सेल के सुपुर्द कर देंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

जो माननीय सदस्य चाहते हैं वही हुआ है और सहकारिता विभाग की जो शाखा है उसी को दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह---

इस गबन के सम्बन्ध में सारी फाइलें गायब हो गयीं तो वे कागजात किनको कस्टडी से गायब हुए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही आपने की है ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

वह तो वहां के कर्मचारी होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही होगी।

श्री रामकरन सिंह---

मन्त्रीजी ने कहा कि आर्बिट्रेशन चल रहा है और दूसरी ओर यह कहा कि कागजात नहीं उपलब्ध हैं। यदि कागजात नहीं उपलब्ध है तो गबन का मामला कैसे सिद्ध होगा और कैसे डिग्री करा पायेंगे वसूली की ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

यह अनुसंधान शाखा को सौंपा गया है। वहां से तथ्य आ जायं....।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि एक तरफ तो आर्बिट्रेशन और दूसरी तरफ जांच की ....

श्री रामकरन सिंह---

जी नहीं, मन्त्री जी ने कहा कि आर्बिट्रेशन हो रहा है और फिर कह दिया कि कागजात उपलब्ध नहीं है। तो आर्बिट्रेशन काहे का हो रहा है ? 88 हजार का गबन कैसे साबित करा पायेंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की गयी, लेकिन जो कागजात उपलब्ध नहीं थे इसलिये उस पर ऐक्शन नहीं हो पाया।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

जब कोई दस्तअन्दाजी पुलिस की रिपोर्ट दर्ज होती है तो अदालत में कार्यवाही होती है, तो अबतक क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सी0 आई0 डी0 की इंक्वायरी के लिये कहा है, वह करा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी मन्त्री जी ने उत्तर दिया और आपको संतोष हो गया। हिम्मत सिंह जी ने पूछा था कि किन लोगों की कस्टडी में रिकार्ड्स थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? उन्होंने उत्तर दिया कि कर्मचारियों की कस्टडी में रहे होंगे और कार्यवाही हो रही होगी। इस तरह इस प्रश्न को टाल गये। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि किन की कस्टडी में रेकार्ड्स थे और उनपर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की गयी या नहीं ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

इसीलिये विशेष अनुसंधान शाखा को दिया गया है। तथ्यों के आ जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

88 हजार का बिलकुल गोल-गपाड़ा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, लेकिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हुआ है उनकी नेग्लीजेंस एस्टैब्लिश हो गयी और जब हो गयी तो उस अनुसंधान शाखा की बातों को छोड़ कर नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी को आधार बनाकर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या हिचक मन्त्री जी को हो रही है ?

श्री बीर बहादर सिंह—

वह तो कर्मचारियों के विरुद्ध ऐक्शन लेने का अधिकार संघ को है। संघ क्या ऐक्शन ले, वही तय करेगा। जांच के बाद जो बातें आयेंगी उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

*4—श्रीमती शकुन्तला देवी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*5—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री हरिनाथ तिवारी—

[11वें मंगलवार के लिये ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में क्वालीफाइड एकाउन्टेन्ट्स उपलब्ध होने पर भी जिला परिषदों में ऐसे पदों का रिक्त रहना

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बातयेगी कि प्रदेश में जिला परिषदों में क्वालीफाइड एकाउन्टेन्ट के कितने पद दिनांक 15-3-73 तक रिक्त हैं तथा प्रदेश में क्वालीफाइड एवं सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कितने एकाउन्टेन्ट्स उपलब्ध हैं तथा जिला परिषदों में ऐसे उपलब्ध एकाउन्टेन्ट्स की नियुक्तियां उक्त पदों पर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

आलोच्य दिनांक को 16 पद रिक्त थे एवम् उतने ही लेखाकार-परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी उपलब्ध थ ।

परिषदों में लेखाकार परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थियों में पर्याप्त अनुभव की कमी, उनका अन्य जिला परिषदों में न जाने की इच्छा, परिषदों द्वारा अन्य परिषदों के कर्मचारियों को न लेने की प्रवृत्ति आदि ऐसे कारण हैं जिनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो पायी हो।

श्री कल्याण सिंह—

मन्त्री जी का उत्तर घोर-असंतोषजनक है। आपने कहा कि 15 मार्च तक 16 पद क्वालिफाइड एकाउन्टेंट्स के रिक्त थे और उस तिथि में एकाउन्टेंट्स उपलब्ध भी थे। और यह नियुक्ति इसलिये नहीं की गई कि पर्याप्त अनुभव नहीं था या लोग दूसरे जिला परिषदों में जाना नहीं चाहते थे या दूसरे जिला परिषद् लेने के लिये तैयार नहीं थे। तो क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि इन लेखा परीक्षा उत्तीर्ण 16 लेखाकारों में किस-किसको कितना-कितना अनुभव प्राप्त था और उनमें से किस-किस लेखाकार ने अन्य जिला परिषदों में जाने से लिखित रूप से इन्कार किया है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

यह तो ब्योरे का प्रश्न है। यह पूरी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

जब सूचना नहीं है तो फिर कैसे कह दिया कि जाने से इन्कार कर दिया ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि सूचना उनके पास नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

तो फिर इसे स्थगित कर दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी मन्त्रीजी ने उत्तर दिया कि 16 लेखाकार क्वालिफाइड थे और साथ ही यह कह दिया कि उनमें जो आवश्यक अनुभव चाहिये था वह नहीं था। तो क्या क्वालिफिकेशन के अन्दर अनुभव इन्क्लूडेड था ? यदि हां, तो फिर आपके दो उत्तर हो गये। पहला यह कि क्वालिफाइड थे और दूसरा यह कि अनुभवहीन थे। अगर क्वालिफिकेशन में अनुभव सम्मिलित था तो फिर तो उनकी नियुक्तियां हो जानी चाहिये थीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इन्होंने परीक्षा पास की थी, क्वालिफाइड थे। लेकिन उसी में यह भी आवश्यक है कि इनको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये और चूंकि इस अनुभव की कमी थी इसलिये उनको नियुक्त नहीं किया जा सका।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी यह बता सकेंगे कि यह कहने का उनके पास क्या आधार है कि कुछ प्रत्याशियों ने दूसरे जिला परिषदों में जाने से इन्कार कर दिया था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मैंने जैसा निवेदन किया, यह ब्योरा हमारे पास नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि एक आध ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने जाने से इन्कार किया। तो सामान्य रूप से जो कठिनाई बतायी उसमें यह भी शामिल है कि वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

विशेषाधिकार का प्रश्न। मेरा यह कहना है कि आपने उत्तर तो सदन में दे दिया कि वह जाने से इन्कार कर रहे थे और अब कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है। यह गलत बयानी कर रहे हैं जानबझ कर। जबानी तो मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दे दिया और कल लिखकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें तो शायद अबकी बार आ जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् में जितने लिपिक हैं, वह स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की परीक्षा में बैठ सकते हैं और जब वह वहां से पास हो जाते हैं तो पहले लेखा लिपिक होना चाहिये। दो वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिये। उसके बाद सेक्शनल एकाउन्टेन्ट के पद का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। तब वह सेक्शनल एकाउन्टेन्ट होगा। उसके बाद 5 वर्ष तक वह सेक्शनल लेखाकार के पद पर रहे तब एकाउन्टैन्ट के पद पर प्रोमोट हो सकता है। यह लम्बी प्रक्रिया है जो नियमों में दी हुई है। इस प्रक्रिया को अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है इसलिये एकाउन्टेन्ट के पद पर अभी तक कोई भी नियुक्त नहीं हो पाया है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मन्त्री जी उनके नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने दूसरी जगह जाने से इन्कार कर दिया है और अगर इसकी सूचना नहीं है तो फिर किस आधार पर जवाब दिया गया, क्या गलतफहमी पैदा करने के लिये दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि किन-किन पास-शुदा व्यक्तियों ने दूसरी जगह जाने से इन्कार किया।

श्री बलवीर सिंह—

मेरा सवाल स्पष्ट है और उसके लिये सूचना की जरूरत ही नहीं है। यह जो जवाब दिया गया था कि वह लोग जाना नहीं चाहते उसका क्या आधार है ?

(उत्तर के लि मंत्री को पुकारा गया)

श्री कल्याण सिंह—

उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है कि 16 स्थान एकाउन्टेन्ट्स के रिक्त हैं और क्वालीफाइड एकाउन्टेन्ट्स उपलब्ध भी हैं। तो क्या सरकार जिला परिषदों से कहेगी कि वे इन स्थानों को भरें और जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही कुछ छूट देकर रिक्त स्थानों पर नियुक्त करें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करके उनको सुझाव दूंगा कि रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जाय।

अन्तरिम जिला परिषद् के एक अध्यापक का क्षेत्र समिति रुदौली, बस्ती का सदस्य होना

*7—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़, फूलपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड रुदौली, जिला बस्ती में क्षेत्र समिति का कोई ऐसा भी सदस्य है जो अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत अध्यापक हैं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

जी हां ।

क्षेत्र समिति रुदौली, जिला बस्ती में एक सदस्य श्री काशीनाथ त्रिपाठी ऐसे हैं, जो जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल रुदौली में अध्यापक हैं। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 14 (2) के अधीन न्यायाधीश के यहां श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका विचाराधीन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या यह सही है कि कानून के अन्तर्गत कोई भी अध्यापक जो जिला परिषद् के अन्तर्गत काम कर रहा है, वह क्षेत्र समिति का सदस्य नहीं हो सकता ? यदि ऐसा है तो अभी तक इस सदस्य को डिस्क्वालीफाइड करक वहां से न हटाने का क्या कारण ह ? क्या इसलिये उसको नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि वह कांग्रेस का ही सदस्य है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति अधिनियम में सरकार को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि इस प्रकार के व्यक्ति को सरकार सीधे अपने आदेश द्वारा हटा सके। उसका तरीका यही है कि याचिका दायर की जाय और न्यायालय द्वारा निर्णय हो। भविष्य के लिये, सरकार अवश्य इस प्रश्न पर विचार करेगी। मैं भी समझता हूं कि जो व्यक्ति वैतनिक कर्मचारी है उसको क्षेत्रसमिति के किसी पद के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

ऐसे व्यक्ति को, सरकार को यह अधिकार तो है ही कि वह सेवा से हटा दे। वह वैतनिक कर्मचारी है और कर्मचारी रहते हुए उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार उसे सेवा से हटा देती ? इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह तो जिला परिषद् का कर्मचारी है। स्थानीय स्तर पर ही उनको विचार करना चाहिये कि वे अपने कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करें, या न करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, बेसिक शिक्षा का विभाग तो जब डायरेक्ट सरकार के अधीन है, जिला परिषद् के अधीन वह अब नहीं है। तो क्या कठिनाई है सरकार के पास कि वह उन्हें हटा नहीं सकती है या उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह बेसिक शिक्षा परिषद् या बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में जो होता है, उसको इस बात की नोटिस लेनी चाहिये।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

केवल रुदौली विकास खन्ड ही नहीं बल्कि बस्ती जिले में भी कई विकास क्षेत्रों में जिला परिषद् के अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हो गये हैं, इसको देखते हुए क्या माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री अपने यहां से आदेश भेजेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि वे इसकी जांच करें और ऐसे सदस्यों से कहें कि या तो वे क्षेत्र समिति से अलग हों, या सेवाओं से अपने को पृथक कर लें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हम तो अपने नियमों में जब तक कोई इस प्रकार का प्राविधान नहीं करेंगे तबतक इस प्रकार के आदेश देना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में पहले कह दिया कि यह जिला परिषद् का काम है, उसे करना चाहिये, बाद को आपने उत्तर दिया कि सम्बन्धित अधिकारी को करना चाहिये। जो कुछ अधिकारी करता है उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अधिकारी और सरकार में क्या कोई अन्तर है ? अधिकारी सरकार की नीतियों को संचालित करता है, वह उसके लिये जिम्मेदार होती है। तो क्या सरकार कोई आदेश निकालेगी कि बेसिक शिक्षा के अधीन जो हमारे अधिकारी हैं वह इसकी जांच करें ? और जहां अधिकारियों ने इस नियम का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए और उनको उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस संबंध में विचार करेंगे।

श्री रामवचन (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब जिला परिषद् का कोई भी अध्यापक इसका सदस्य नहीं हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यदि किसी सवाल का टालना होता है तो ऐसा जवाब दिया जाता है जैसा कि अभी मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर दिया। अब मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके विचार करने में समय की भी कोई सीमा है या नहीं ? जैसे कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक महीने में विचार कर लेंगे। क्या क्षेत्र समिति की अवधि जब पूरी हो जाएगी, तबतक का तो वह समय नहीं लेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह अवधि तो 5 वर्ष की है, मैं तो जल्दी कर दूंगा। साल भर भी पूरा नहीं होगा, हम इस बीच में इसे कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

जबतक जिला परिषद के अधीन थे तबतक डिस्क्वालीफाईड थे, लेकिन जब जिला परिषद से उनके पास चले गये, तो क्या वह उन्हें क्वालीफाईड कर देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो यह नहीं कहा कि क्वालीफाईड हो गये या डिस्क्वालीफाईड हो गये। मैंने तो यह कहा कि जिला परिषद् के अध्यापक जो क्षेत्र समिति के सदस्य हो गये हैं, उनके खिलाफ वह व्यक्ति जो एलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसकी तरफ से याचिका आना चाहिये, उससे वह अलग हो सकते हैं, उस पद से क्योंकि वह वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं।

श्री जयराम वर्मा ---

क्या यह बात सही नहीं है कि जिला परिषद के अध्यापक भी अब सरकारी कर्मचारी हो गये हैं ? और जब सरकार को मालूम हो जाए कि कोई सरकारी कर्मचारी क्षेत्र समिति का मेम्बर हो गया है तो उसके खिलाफ सरकार के कार्यवाही करने में देरी का क्या सवाल है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह सही बात है कि वह बेसिक शिक्षा परिषद् में आ गये । अब सरकार ही उनको वेतन देती है, वही उनके खिलाफ अनुशासन संबंधी कार्यवाही करती है और वही उनका ट्रांसफर भी करती है, तो सरकारी कर्मचारी ही वह हो गये । उसको स्वयं ही अपने कर्त्तव्य का भान होना चाहिये, लेकिन यदि वह चुन गया, उसका नाम मतदाता सूची में रखा गया था, उसने अपना नामांकन-पत्र दाखिल कर दिया और प्रसाइडिंग अफसर ने उसे स्वीकार कर लिया, तो अब उसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो मैंने बताया यानी याचिका जो दायर है उसमें न्यायाधीश फैसला दें कि यह अवैधानिक रूप से मेम्बर चुना गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी मंत्री जी ने इस प्रश्न के संबंध में बताया था कि हम जल्दी से जल्दी कर देंगे । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की अवधि उस वक्त पूरी होगी जब जिला परिषद् का चुनाव पूरा हो जायेगा ? क्योंकि ऐसे अवैध चुनाव में सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों को वोट देंगे जिन्हें सरकार चाहेगी, या जिला परिषद् का चुनाव शुरू होने के पहले ही इस विषय में निर्णय ले लिया जाएगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मैंने तो जल्दी से जल्दी कहा, यह मैंने सदन को आश्वासन दिया । अब आप कहते हैं कि जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव से पहले यह फैसला ले लिया जाये तो उसको भी हम एक्जामिन कर लेंगे । इसमें कोई वैसी बात नहीं है ।

आडिट रिपोर्ट के अनुसार जिला सहकारी बैंक, हरदोई में गबन

*8---कुंवर देवेंद्र सिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---

क्या यह बात सही है कि जिला सहकारी बैंक, हरदोई के आडिट रिपोर्ट के अनुसार वहां पर 1,39,000 रु0 का गबन है । यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

आडिट रिपोर्ट के अनुसार बैंक में कोई गबन नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, नैनीताल द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में पारित प्रस्ताव का पालन

*9---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला परिषद् नैनीताल की बैठक दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 के कार्य-क्रम नं0 5 में जिला परिषद् नैनीताल के अन्तर्गत जिन 103 स्कूल भवनों के निर्माण हेतु जिला परिषद् ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव ब्लाकवाइज स्कूल भवनों की सूची संबंधी पारित किया था इस प्रस्ताव का अतिरिक्त जिला

अधिकारी (नियोजन) के हिदायत के बावजूद भी बी०डी०ओ०, रामनगर ने पालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

जिला परिषद्, नैनीताल की परामर्शदात्री समिति की 28-10-72 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार प्रत्येक विकास खंड के प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी को उस क्षेत्र के विधायक से परामर्श लेकर ब्लाक में निर्मित होने वाले 10-12 भवन सहित स्कूलों की सूची 7 नवम्बर, 1972 तक प्रेषित करनी थी । चूंकि समय कम था प्रमुख की आज्ञा से क्षेत्र समिति रामनगर द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रथम 10 पाठशालाओं की सूची जिला परिषद् को भेज दी गई ।

श्री इन्द्र लाल--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला नैनीताल में जितनी भी क्षेत्र समितियां हैं, उन सबने अपने संबंधित विधायकों से परामर्श लेकर भेजा था, सिवाय बी०डी०ओ० रामनगर ने, तो जब उनके पास इतना समय था तो क्या कारण था कि रामनगर क्षेत्र समिति के पास ही समय नहीं था ? क्या यह भी सही है कि इस सूची में 10 स्कूल दिये गये हैं, किन्तु जिला परिषद् की जो सूची निकाली गई है, उसमें 13 स्कूल निकल रहे हैं तो क्या इस चीज को देखते हुए मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

इसको जरूर देख लूंगा कि यह कम स्कूल क्यों रखे हैं । मुझे यह सूचना है कि माननीय सदस्यों को सलाह-मशविरा के लिये बुलाया गया, लेकिन माननीय सदस्य सम्भवतः वहां पर मौजूद नहीं थे ।

खीरी के विकास खंडों में एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक तक कार्यरत कर्मचारियों की सूची

*10--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में अलग-अलग विकास खंडों में नाम, ओहदा व पता सहित कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको एक विकास खंड में नियुक्त हुए 15 मार्च, 1973 को 5 वर्ष से ज्यादा हो गया था ? और उनमें से कितने ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी बीबियों, भाइयों आदि सगे संबंधियों के नाम सरकारी नौकरी के अलावा निजी व्यवसाय अजकिस्म पंपिंगसेट की एजेंसीज, खेती के औजार, खाद, बीज आदि का क्रय-विक्रय करते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जनपद खीरी के अलग-अलग विकास खंडों में 15 मार्च, 73 को 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही विकास खंड में नियुक्त 30 कर्मचारी हैं जिनकी विकास खंड वार नाम, ओहदा तथा पता सहित संपूर्ण सूची संलग्न है । इनमें से किसी भी कर्मचारी के संबंध में ऐसी कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि वे सरकारी नौकरी के अलावा अपनी बीबियों, भाइयों आदि सगे संबंधियों के नाम निजी व्यवसाय अजकिस्म पंपिंग सेट, खेती के औजार, खाद, बीज आदि का क्रय-विक्रय करते हों ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 100 पर)

नोट:--तारांकित प्रश्न 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

(मंगलवार 8 मई, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रमाणित अनियमितताएं एवं अवैध नियुक्तियों के कारण कृषि अधिकारी, खीरी लखीमपुर का निलम्बन

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

प्रश्नकर्ता के नाम से वर्ष 1971 के द्वितीय सत्र के चौथे मंगलवार के स्वीकृत तारांकित प्रश्न सं0 9 और 10 के उत्तर में क्या सरकार कृपया बताये ी कि प्रमाणित अनियमिततायें और अवैध तथा फर्जी नियुक्तियां करने के कारण संबन्धित कृषि अधिकारी को निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)—

प्रश्न में इंगित अनियमितताओं तथा अवैध तथा फर्जी नियुक्तियां करने के संबंध में संबंधित कृषि अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है । आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें निलम्बित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

बलिया के छोटे किसानों में रबी के बीज का मुफ्त वितरण

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1971–72 में छोटे किसानों में मुफ्त रबी का बीज वितरित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन विकास खंडों के किन-किन गांवों के किसानों को?

श्री रामलखन—

जी हां,

वर्ष 1971–72 में बलिया जनपद में संलग्न †सूची में दर्शाये गये विकास क्षेत्र एवं ग्रामों में गेहूं का बीज मुफ्त वितरित किया गया ।

छोटे किसानों के विकास हेतु योजना

*3—श्री राम गोपाल संड—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार कितने एकड़ तक के कृषकों को छोटा किसान समझती है और उनके विकास हेतु क्या कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम लखन—

सामान्यतः शासन ने 2.5 से 7.5 एकड़ के बीच में कृषकों को छोटे किसानों की संज्ञा दी है । ऐसे कृषकों के विकास हेतु भारत सरकार ने लघु कृषक बिकास संस्था नाम की एक प्रयोगात्मक अग्रगामी परियोजना तैयार की है तो इस समय प्रदेश में रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बदायूं जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है ।

इस योजना का उद्देश्य 50 हजार से 60 हजार छोटे किसानों को कृषि उत्पादन संबंधी समस्त विषयों में तकनीकी सहायता देना, कृषि सामग्री उपलब्ध कराना और विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराना है । इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्तर्गत उनके लिये निर्धारित कार्यक्रमों पर 25 प्रतिशत अनुदान देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

---

†छापी नहीं गई ।

घाटों की ठेकेदारी प्रथा का समापन तथा सिरसा टाउन एरिया, इलाहाबाद के मल्लाहों द्वारा प्रदर्शन

*4--श्री राम गोपाल संड--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घाटों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने पर शासन विचार कर रहा है ? क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले में सिरसा टाउन एरिया में दिनांक 29-10-72 को मल्लाहों ने विराट प्रदर्शन किया था यदि हां तो इलाहाबाद जनपद के मल्लाहों की क्या मांगें हैं और सिरसा टाउन एरिया के घाट से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके, क्या केवटों को स्वतंत्र व्यवसाय करने का अवसर दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी नहीं ।

ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

29 अक्तूबर, 1972 को सिरसा टाउन एरिया में मल्लाहों ने प्रदर्शन किया था और यह मांग की थी कि सरकारी घाटों का नीलाम न किया जाय, परन्तु उनपर मल्लाहों को स्वतंत्र रूप से नाव चलाने का अवसर दिया जाय ।

सिरसा टाउन एरिया के घाट पर ठेकेदारी प्रथा समाप्त किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि), जैतीपुर, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

*5--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या कृषि मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के (ए0डी0ओ0 एग्रीकल्चर) सहायक विकास अधिकारी कृषि, कृषकों के खाद, बीज के तकावी के फार्म स्वीकृत करके नहीं भेजा जिससे समस्त विकास क्षेत्र में आज तक खाद नहीं उठवाई और कृषकों में उनके इस व्यवहार से घोर रोष, निराशा व्याप्त है और इस बात की लिखित शिकायत विकास क्षेत्र के अनेक प्रधानों अक्टूबर, नवम्बर, 1972 में अनेक बार जिला कृषि अधिकारी से कर चुके हैं ? यदि हां, तो आज तक उपरोक्त मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन--

जी हां, शिकायत की जांच पर, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास क्षेत्र जैतीपुर का जनपद से स्थानान्तरण कर दिया गयाहै । उनके विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही भी की जा रहीहै । कृषि विभाग के पास जो खाद उपलब्ध थी वह पूर्ण रूप से वितरित कर दी गई है ।

*6--श्री सुरेन्द्र विक्रम----

[13वें सोमवार के लिये ता0प्र0सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*7--चौ0 रामपाल सिंह यादव--

[निरस्त]

कानपुर जिलमें "आदर्श ग्राम" योजना में प्रगति

*8--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कौन-कौन गांव "आदर्श ग्राम" निश्चित किय गये हैं ? यह

निश्चय कब किया गया और अब तक उन ग्रामों में आदर्श ग्राम की योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य किये गये हैं ? क्या यह सही है कि कानपुर जिले में निश्चित किये गये आदर्श ग्रामों में अभी तक कोई भी कार्य किसी किस्म का नहीं किया गया । यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कानपुर जिले में रजत जयंती के उपलक्ष में जिन ग्रामों को आदर्श ग्राम निश्चित किया गया है उनकी सूची संलग्न है । इस परियोजना का निर्णय जिलाधिकारी कानपुर की अध्यक्षता में जयंती समारोह समिति की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर, 1972 में लिया गया ।

यह कहना सही नहीं है कि इन ग्रामों में कोई कार्य नहीं हुआ है । समस्त आदर्श ग्रामों में जो कार्य किये गये हैं वह उनके सम्मुख दर्शाये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 101-103 पर)

ग्राम प्रधान, निहालगढ़, जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा लिंक रोड निर्माण हेतु अनियमित चन्दे की वसूली

*9--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जगदीशपुर की ग्राम सभा निहालगढ़ के प्रधान द्वारा अक्टूबर-नवम्बर, 1972 में लिंक रोड के लिए वसूले गये 272 लोगों से चन्दे की कोई पक्की रसीद स्थानीय जनता को दी गई थी? क्या यह भी सच है कि शासन के ऐसे आदेश न होने पर भी जबरदस्ती यह चन्दा वसूला गया ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त प्रधान को निलम्बित करने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

ग्राम पंचायत निहाल गढ़ जिला सुल्तानपुर के प्रस्ताव के अनुसार 272 व्यक्तियों से 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी वितरण के अवसर पर कुल 68 रुपये की धनराशि प्राप्त की गई । इसकी एक पक्की रसीद 7-11-72 को प्रधान द्वारा काटी गई थी । यह धनराशि केवल स्थानीय जनता की इच्छा से जैसा कि पंचायत के प्रस्ताव में व्यक्त की गई थी, लिंकरोड पर मिट्टी डालने के कार्य के लिये ली गई थी । चूंकि इस वसूली में प्रधान की कोई बदनीयती नहीं सिद्ध हुई, उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया, केवल जिलाधिकारी द्वारा उन्हें चेतावनी दे दी गई ।

*10--श्री त्रिवेणी सहाय--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्राम घुरपाटा, पिठौरागढ की हरिजन बस्ती में पेयजल संकट की व्यवसथा

*11--श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिठौरागढ़)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिठौरागढ़ के ग्राम घुरपाटा (किरोली) में हरिजन बस्ती में पानी की अत्यधिक कठिनाई है ? यदि हां, तो इनको पानी की सुविधा न देने का क्या कारण है तथा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, ग्राम घुरपाटा (किरोली) में पेयजल की कठिनाई है । ग्राम घुरपाटा (किरौली) में हरिजन पेयजल निर्माण योजना का प्रस्ताव क्षेत्र विकास अधिकारी दिगतढ़ से बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण योजना पर विचार नहीं हो सका । इस योजना पर वर्ष 1973-74 में धन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

ग्राम--बभनीताल, बांसी बस्ती, के हरिजनों में वितरित अनुदान तथा उसका उपयोग

*12---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के विकास क्षेत्र बांसी के ग्राम बभनीताल में कितना रुपया हरिजनों को अनुदान तथा कर्जे के रूप में वर्ष 1972-73 में अलग-अलग दिया गया है ? क्या जिस कार्य के लिये रुपया दिया गया, वह कार्य हुआ या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ग्राम में वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निम्नलिखित अनुदान जिला स्तर पर स्वीकृत किये गये:---

	स्वीकृत धनराशि	भुगतान की धनराशि	अवशेष धनराशि
	रु0	रु0	रु0
(1) गृह निर्माण ..	1,000	800	200
(2) कुटीर उद्योग ..	300	250	50
(3) कृषि उत्थान ..	1,000	1,000	..
योग ..	2,300	2,050	250

गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये प्रश्नगत ग्राम से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया ।

ऊपर मद सं0 (1) एवं (2) से संबंधित कार्य अभी पर्ण नहीं हुए हैं ।

*13---श्री मोम्मद असरार अहमद तथा श्री सईद मुर्तजा---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*14---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*15---श्री लालसा---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

कृषि विभाग द्वारा खराब थ्रेसरों के क्रय के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाई

*16---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा गत वर्ष खरीदे गये 80 लाख रुपये के खराब थ्रेसरों की खरीद के मामले में फरवरी, 1972 में राज्य सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है । यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और दिनांक 31 मार्च, 1973 तक सरकार ने किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम लखन—

सन 1971–72 में लगभग 45 लाख रुपये की खरीद हुई जिनकी संख्या 4896 थी। उनमें से। 67 थ्रेसरों की शिकायतें आईं।

राज्य सतर्कता आयोग से इस विषय पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गयी और न उन्होंने भेजी।

गोरखपुर में पौष्टिक आहार योजना के क्षेत्र

*17—श्री राम कृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के कौन-कौन से ब्लाक पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं और उनका आधार क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले के 3 विकास खंड खोराबार, चरगांव तथा सरदार नगर लिये गये थे। सामान्यतया जिन जिलो में एक भी पौष्टिक आहार योजना के विकास खंड नहीं रह जाते हैं वहां भारत सरकार के निदेशानुसार विकास खंडों का चयन किया जाता है।

*18—श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री राम सिंह खन्ना, श्री राजेश्वर सिंह, श्री सन्तराम तथा अब्दुल गफ्फार हाशमी—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*19—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

[11 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

एल० एस० एस० किढारे, मेरठ में गबन का मामला

*20—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने मार्च, 1973 के आरम्भ में एल0 एस0 एस0 किढारे में लगभग साढ़े तीन लाख के गबन के सम्बन्ध में अपने पत्र में मांग की थी कि इस गबन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार करके मुकदमा दायर किया जाय ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन मुल्जिम गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

संचालक मंडल, यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड़, लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

*21—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डिप्टी रजिस्ट्रार (केन्द्रीय) ने यू0 पी0 पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को दिनांक 22 जनवरी, 1972 का कारण दर्शाओं नोटिस जो जुलाई, 1972 में उपरोक्त बैंक के प्रबन्धक मन्डल ने प्राप्त किया था

जिसके धन के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त बैंक के वर्तमान संचालक मंडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि बैंक के वर्तमान सचिव की नियुक्ति अनियमित ढंग से की गई है ? सरकार इस विषय में क्या जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

जी हां, डिप्टी रजिस्ट्रार (केन्द्रीय) द्वारा यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ को दिनांक 22-1-72 को दिया हुआ प्रबन्ध समिति के अवक्रमण हेतु कारण दर्शाओं नोटिस जुलाई, 72 में उपरोक्त बैंक के प्रबन्धक मंडल ने प्राप्त किया था जिसमें धन के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप लगाये गये थे। चूंकि संचालक मण्डल से अब तक सम्पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है अतएव उक्त बैंक के वर्तमान संचालक मंडल के विरुद्ध अंतिम निर्णय उप निबन्धक (केन्द्रीय) के स्तर पर विचाराधीन है। बैंक के वर्तमान सचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में समिति के अध्यक्ष से सूचना मांगी गई है सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय विभाग द्वारा लिया जायेगा।

आयोग द्वारा, भूमि संरक्षण निरीक्षक वर्ग 2 के, पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

*22---श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1968 की आयोग द्वारा भेजी गई अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 भूमि संरक्षण की सूची में से कुछ अभ्यर्थियों को अनुमोदित मान कर फर वरी, 1972 में नियुक्ति किया गया और इसी सूची के शेष अभ्यर्थियों को इस आधार पर अनुमोदित नहीं माना गया कि यह सूची एक वर्ष से अधिक पुरानी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन---

जी हां। सन् 1968 में आयोग द्वारा भूमि संरक्षण निरीक्षक, वर्ग-2 के 175 अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु भेजी गई सूची में से एक वर्ष के बाद भी केवल उन अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्तियां की गई तथा उन्हें अनुमोदित माना गया जिनको आयोग ने स्वीकृत किया। इसका मुख्य कारण यह था कि आयोग ने मुख्य सूची के कुछ अभ्यर्थियों को भूमि संरक्षण प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने की दशा में नियुक्त करने को संस्तुति की थी परन्तु उनके कथित प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो सके।

*23---श्री श्यामलाल कनौजिया---

क्या उपरोक्त नियम उन अभ्यर्थियों पर नहीं लागू होता जो वर्ष 1968 की ही सूची से अनुमोदित मानकर सन् 1972 में नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री राम लखन---

आयोग से केवल 175 भूमि संरक्षण निरीक्षक, वर्ग-2 के पदों का नियमित चयन कराया गया था। अस्तु नियमित रूप से केवल 175 सदस्यों को ही नियुक्तियां करनी हैं। मुख्य सूची के 175 सदस्यों में से जिन सदस्यों के भूमि संरक्षण प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुये उनके स्थान पर आयोग की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त सूची के सदस्यों की नियमित नियुक्तियां सन् 1972 में की गई। अतिरिक्त सूची के अवशेष सदस्यों की नियमित नियुक्तियों का कोई औचित्य नहीं है।

साधन सहकारी समिति लि० साहबाजपुर रुदौली का अतिरिक्त जिला सहकारिता अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सम्प्रेक्षण न करना

*24—श्री अनन्तराम जायसवाल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1973 के चौथे मंगलवार के प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के तारतम्य में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अतिरिक्त जिला सहकारिता अधिकारी, बाराबंकी को जांच हेतु समिति के अभिलेख उपलब्ध न किये जाने के जनवरी, 1968 के बाद समिति का निरीक्षण व 1969–70 से संप्रेक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस मामले की जांच हेतु पुलिस को सिपुर्द करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

साधन सहकारी समिति लि0, शहबाजपुर, विकास खंड रुदौली, जिला बाराबंकी के अध्यक्ष द्वारा समिति का बस्ता उपलब्ध न कराने के कारण अतिरिक्त जिला सहकारिता अधिकारी बाराबंकी द्वारा समिति का 1968 से निरीक्षण व 1969–70 से सम्प्रेक्षण न हो सका ।

बस्ता न उपलब्ध कराये जाने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को कर दी गयी है। पुलिस में रिपोर्ट करने के पश्चात् समिति के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 69–70, 70–71 व 71–72 का सम्प्रेक्षण फरवरी, 1973 में करा दिया गया है ।

प्रदेश में राज्य पंचायती राज समिति का गठन

*25—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री राम करन सिंह तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषदों, क्षेत्रीय समितियों तथा पंचायतों की विभिन्न समस्याओं का अवलोकन करने के लिये एक राज्य पंचायत राज समिति श्री जे0 पी0 रावल की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है ? यदि हां, तो इस समिति के गठन का क्या आधार है और इसकी रिपोर्ट कब तक पेश हो जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश पंचायती राज समिति का गठन जिला परिषदों क्षेत्रीय समितियों तथा पंचायतों क कार्य-कलापों की गम्भीर समीक्षा तथा जिन जिन कारणों से यह संस्थायें अपनी पूरी क्षमता और सम्भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर सकी हैं, का निदान प्रस्तुत करने हेतु किया गया है ।

(ग) पंचायती राज समिति की रिपोर्ट शासन को 12 जुलाई, 1973 तक प्राप्त हो जाने की आशा है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंड़ार, इटावा के पदाधिकारियों के चुनाव के विरूद्ध याचिका के निणय म विलम्ब

*26—श्री होती लाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इटावा जनपद में केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, इटावा के दिनांक 30 अप्रल, 1970 को हुये संचालकों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों के विरुद्ध एक याचिका दिनांक 1 जून, 1970 से जिला अधिकारी, इटावा के

समक्ष चल रही है जिसमें करीब 70 तिथियां पड़ने पर भी उसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है तथा उन संचालकों एवं पदाधिकारियों का तीन सहकारी वर्षों का कार्यकाल जून, 1972 में समाप्त हो गया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार इटावा के दिनांक 30–4–70 को हुये संचालकों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों के विरुद्ध एक याचिका दिनांक 30–5–70 को जिलाधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 1–6–70 को परगनाधिकारी, भरथना के पास उन्हें निर्णायक नियुक्त करके निर्णय हेतु भेज दी गयी थी । परगनाधिकारी, भरथना के न्यायालय में कुल 34 तिथियां पड़ी और मामला निर्णय हेतु पूर्ण भी न हो पाया था कि वादी गण की ओर से दिनांक 4–3–72 को एक प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर इस मामले से सम्बन्धित पत्रावली दिनांक 15–5–72 को जिलाधिकारी के न्यायालय को निर्णय हेतु पुनः स्थानान्तरित कर दी गई ।

जिलाधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित होने के बाद इस मामले में शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु जल्दी जल्दी 23 तिथियां दी गई किन्तु संयोग वश जब जब इस मामले की सुनवाई की तारीखे पड़ी तब तब जिलाधिकारी को अन्य अनिवार्य कार्यों तथा मीटिंग आदि के कारण न्यायालय में बैठना सम्भव न हो सका । अब इस मामले में 24–5–73 निश्चित है और यह आशा की जाती है कि यह याचिका यथाशीघ्र निस्तारित की जायगी ।

प्रदेश की सहकारी समितियों में सामान्य चुनाव कराये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है और आवश्यक निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं । इन आदेशों के अन्तर्गत उक्त भंडार में भी चुनाव कराया जायगा ।

रबी की फसल की सुरक्षा हेतु बस्ती तथा गोरखपुर में दी गई धनराशि का विवरण तथा उसका सदुपयोग

*27—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती तथा गोरखपुर जिले के किन-किन विकास क्षेत्रों को गत रबी की फसल की सुरक्षा के लिये कितने-कितने रुपये की दवा किस-किस तारीखों में किस-किस विकास क्षेत्र को दी गयी और किन-किन महीनों में छिड़काव कराया गया और ट्रेजरी से कब रुपया लेकर फर्मों को दिया गया, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन—

बस्ती तथा गोरखपुर जिले में गत रबी की फसल की सुरक्षा के लिये विकास क्षेत्रों पर स्थित कृषि रक्षा इकाइयों को भेजे गये रसायनों तथा ट्रेजरी से निकाल कर फर्मों को दी गये धनराशि तथा धनराशि के निकाले जाने की तिथि आदि का वांछित† विवरण संलग्न तालिका 1 और 2 में दिया है ।

जहां तक कि दवा के छिड़काव का प्रश्न है, गोरखपुर तथा बस्ती जनपदों को उपरोक्त सभी रक्षा इकाइयों द्वारा विभिन्न कृषि रक्षा उपचार माह अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 में सम्पन्न हुये ।

---

†छापी नहीं गयी ।

सहकारी समिति हिंसावदा, बागपत, मेरठ में गबन के सम्बन्ध में आरबीट्रेटर का निर्णय

*28—श्री जयराम वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि सहकारी समिति हिंसावदा तहसील बागपत, जिला मेरठ के सरपंच, मंत्री और खजांची ने गांव के बहुत से लोगों के नाम फर्जी ऋण देना दिखाकर 90 हजार रु0 निकाल कर गबन कर लिया है ? क्या यह सही है कि उक्त मामले में जांच के लिये आरबीट्रेटर को नियुक्त किया गया जो इस नतीज पर पंहुच हैं कि 14 आदमियों के नाम ऋण देना फर्जी और झूठा है ? यदि हां, तो गबन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । 12 बकायेदार सदस्यों के विरुद्ध आर्बीट्रेशन के मामलों में आर्बीट्रेटर ने सदस्यों के पक्ष में निर्णय दिया । इन 12 मामलों में समिति ने आर्बीट्रेटर के निर्णय के विरुद्ध सहायक निबन्धक मेरठ के यहां अपील दायर कर रखी है जो उनके विचाराधीन है अपीलों पर निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

*29—श्री राम लाल राही—

[11व मंगलवार के लिये स्थगित]

*30—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

135247

दुआरी कृषि सहकारी फार्म समिति कानपुर के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

31—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला कानपुर द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1970 को सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को दुआरी कृषि सहकारी फार्म समिति के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के हेतु पत्र लिखा गया था ? जिस पर वैधानिक कार्यवाही करके सम्बन्धित समिति के सभापन हेतु आदेश प्रसारित करके परिसमापक नियुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक प्रश्नगत समिति के समापन हेतु परिसमापक के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नगत समिति के कागजात प्राप्त करने हेतु परिसमापक द्वारा कई बार प्रयास किया गया किन्तु वे अभी तक प्राप्त न हो सके । अतः उक्त कागजात को प्राप्त करने के लिये अब उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 36 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत देवरिया में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण

*32—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता अधिनियम सन 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही 3 महीना है? इसके अन्तर्गत देवरिया जनपद से कितने सोसाइटी का

प्रस्ताव रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त हुआ कितने प्रस्ताव पर कितनी बार आपत्ति लगाई गई और कितने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 7 के अन्तर्गत सहकारी समिति के निबन्धन की कार्यवाही की अवधि 3 महीना है। इस प्राविधान के अन्तर्गत देवरिया जनपद में 20 समितियों के प्रस्ताव निबन्धन हेतु प्राप्त हुये। इनमें से 18 समितियों का निबन्धन निर्धारित अवधि के अन्दर बिना किसी आपत्ति के किया गया। शेष 2 समितियों के निबन्धन के पूर्व एक एक-बार आपत्ति लगाई गई और उसका निराकरण हो जाने के बाद उनक भी निबन्धन कर दिया गया ।

इचार्ज सहकारी बीज भडार बभनान गोड़ा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*33--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि जनवरी, 1973 में श्री राम, सदस्य संसोपा, बभनान, जिला गोन्डा का इंचार्ज सहकारी बीज भंडार, बभनान, गोन्डा के विरुद्ध इस आशय का शिकायत-पत्र शासन को प्राप्त हुआ कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर व रिश्वत लेकर लाखों रुपयों की जायदाद बना रहे हैं, कोआपरेटिव यूनियन की जमीन हड़प रहे हैं और अपनी वर्तमान जगह पर पिछले 13-14 वर्ष से तैनात है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र पर आवश्यक जांच करने के लिये उप निबन्धक, सहकारी समिति, फैजाबाद को आवेश भेज दिये गये हैं तथा उनकी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अतारांकित प्रश्न

पंचायत सेवकों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं व पेन्शन

1--श्री राम किशोर शुक्ल--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 से पंचायत मंत्री पंचायत सेवक के नाम से राजकीय कर्मचारी घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पेन्शन भी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, पंचायत सेवकों को दिनांक 1 अक्तूगर, 1971 से शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया है ? पंचायत सेवकों का संवर्ग पेंशन योग्य अधिष्ठान माना गया है ? किन्तु इस तिथि से पूर्व पंचायत मंत्री पद पर की गई सेवाओं का लाभ पेंशन के लिय उन्हें नहीं दिया गया है ? सरकारी कर्मचारियों पर लागू सामान्य नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत इन्हें पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन स्थायी कर्मचारियों को दी जाती है ? स्थायी हो जाने पर पंचायत सेवको को पेंशन नियमान्तर्गत प्राप्त होगी ।

2--श्री राम किशोर शुक्ल--

क्या सरकार पंचायत सेवकों को भी ग्राम सेवकों की भांति वेतन, सायकिल भत्ता आदि सुविधायें दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि देगी तो कब से ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सायकिल भत्ता देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । ग्राम सेवकों की भांति पंचायत सेवकों को वेतन देने की संस्तुति वेतन आयोग ने नहीं की है ।

जिला सहकारी बैंक लि० कानपुर के संचालक मण्डल के निलम्बन पर कार्यवाही

३—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर) तथा श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला सहकारी बैंक के बोर्ड को कब निलम्बित किया गया था और अभी तक उस सम्बन्ध में कोई निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर का संचालक मंडल उप निबन्धक सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आदेश दिनांक 7 अगस्त, 1970 के द्वारा निलम्बित किया गया था और अब तक निलम्बित है ।

उक्त सन्दर्भ में यह सूचित करना है कि उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा पत्रांक 17402–14 रजि0 दिनांक 12 अप्रैल, 1971 के संदर्भ में संचालक मंडल को आरोप पत्र भेजे जा चुके हैं ।

विकास क्षेत्र बांसी व खुनियांव हेतु बस्ती में हरिजनों के लिय पेयजल हेतु कुओं तथा हैंड पम्प का निर्माण

४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी तथा खुनियांव में कितना-कितना रुपया हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था हेतु वर्ष 1972–73 में दिया गया था ? उसमें दोनों ब्लाकों में अलग-अलग किस-किस ग्राम में कुंआ तथा किस-किस ग्राम में हैंड पाइप लगाया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी तथा खुनियांव को वर्ष 1972–73 में क्रमशः रुपया 19,932.00 तथा रुपया 24,182.00 हरिजन बस्तियों में पेयजल हेतु कुओं के निर्माण के लिये दिये गये थे जिससे इन विकास क्षेत्रों के जिन ग्रामों में कुंओं का निर्माण कराया गया है उनकी सूची संलग्न है । किसी भी ग्राम में हैंड पम्प नहीं लगाया गया है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पष्ठ 104 पर)

उच्च शिक्षा हेतु पतारा, घाटमपुर, कानपुर के ग्राम सेवकों द्वारा डी०बी०एस० कालेज कानपुर में दाखिला लेना

५—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड पतारा, तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर में कितने ग्राम सेवकों ने उच्च शिक्षा हेतु डी0 बी0 एस0 कालेज, कानपुर में दाखिला ले रक्खा है ? क्या उन्होंने विभाग से आज्ञा ले ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खंड पतारा तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर के किसी भी ग्राम सेवक ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु डी0 बी0 एस0 कालेज में दाखिला नहीं ले रखा है और न जिला

नियोजन कार्यालय द्वारा अथवा खंड विकास अधिकारी पतारा के कार्यालय द्वारा ही उक्त विकास खंड के किसी ग्राम सेवक को कालेज में दाखिला हेतु अनुमति ही दी गई है ।

जिला परिषद् द्वारा पकड़ी बाबू से, कुकुरघाटी, तक की देवरिया की स्वीकृत सड़क की कार्य प्रगति

श्री हरिवंश सहाय---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत पकड़ी बाबू कुकुरघाटी तक की सड़क जिला परिषद द्वारा पिछली बैठक में स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो उस सडक पर कब से काम प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां ।

पकडी बाबू से कुकुरघाटी तक की सडक के निर्माण की संस्तुति जिला परिषद् देवरिया की परामर्शदात्री समिति ने 3 मार्च, 72 की बैठक में की थी । परामर्शदात्री समिति ने उक्त सडक के अलावा समय-समय पर अन्य सडकों के निर्माण की भी संस्तुति की जिनकी लागत 90 लाख रुपये हैं । प्रस्ताव दिनांक 16 फरवरी, 1973 द्वारा परामर्शदात्री समिति ने यह भी संस्तुति की है कि ये सभी सडके क्रमानुसार ली जांय । तदनुसार क्रम आने पर उपरोक्त सडक का भी निर्माण प्रारम्भ हो सकेगा ।

7---श्री राम बचन यादव---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

8---श्री दुर्जन भाई---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

9---श्री सच्चिदानन्द गुप्त, श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री शिवपाल सिंह---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

10-11---श्री त्रिलोक चन्द, श्री सच्चिदानन्द श्री महावीर सिंह, श्री शिवपाल सिंह तथा श्री चन्द्रभान शर्मा---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

रेउसा ब्लाक, सीतापुर में भवन की समस्या

12---श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के ब्लाक रेउसा में भवन न होने के कारण ब्लाक रेउसा के कर्मचारी अधिकांश बिसवां में रहते हैं, जिसके कारण ब्लाक की जनता को महान कठिनाइयों का सामना करना पडता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रेउसा का भवन निर्माण कब तक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह सही है कि जनपद सीतापुर के ब्लाक रेउसा में भवन न होने के कारण ब्लाक रेउसा के अधिकांश कर्मचारी बिसवां में रहते हैं, परन्तु कार्यालय के समय में कर्मचारी ब्लाक कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं ।

ब्लाक रेउसा में कार्यालय भवन सूचना केन्द्र एवं गैरेज के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु वहां भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके उपलब्ध होने के बाद ही कार्यालय भवन का निर्माण सम्भव होगा । ब्लाक कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण की व्यवस्था अभी धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

बुलन्दशहर डीलर्स एशोसियेशन तथा पदाधिकारियों के नाम एवं उर्वरक विक्रताओं के लाइसेन्सों का नवीनीकरण

13—श्री हिम्मत सिंह, श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर), श्री मोहन लाल कपूर, श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री राम सागर (जिला जौनपुर) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1972 के 5वें मंगलवार के नत्थी (ग), प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डीलर्स एशोसियेशन तथा उसके पदाधिकारियों के नाम क्या है ? उनमें कितनों के लाइसेन्स अपनी फर्मों के नाम से रखा है ? साथ ही यह भी बतायें कि बुलन्दशहर जनपद में कितने उर्वरक विक्रेताओं का नवीनीकरण विभाग द्वारा रोका गया ?

श्री राम लखन—

बुलन्दशहर डीलर्स एशोसिएशन तथा उनके पदाधिकारियों के नाम जो सचिव, एशोसियेशन बुलन्दशहर से प्राप्त हुये, इस प्रकार हैं:—

पदाधिकारियों के नाम—

1—सर्वश्री सोहन लाल .. .. .. अध्यक्ष
2— ,, मुकुट लाल .. .. .. उपाध्यक्ष
3— ,, सुरेश चन्द्र सिंघल .. .. .. सचिव
4— ,, विनोद कुमार .. .. .. उप सचिव
5— ,, प्रेम चन्द्र अग्रवाल .. .. .. कोषाध्यक्ष

सदस्यों के नाम—

1—सर्वश्री रमेश चन्द्र .. .. .. सदस्य
2— ,, नन्द दुलारे .. .. .. ,,
3— ,, मोहन लाल .. .. .. ,,
4— ,, राधे लाल .. .. .. ,,
5— ,, ओम प्रकाश .. .. .. ,,
6— ,, मुरारी लाल .. .. .. ,,

उपरोक्त में से सभी न लाइसेंस अपनी फर्मों के नाम से रखा है । कृषि विभाग द्वारा किसी भी उर्वरक विक्रेता के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं रोका गया ।

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद द्वारा स्टेशनरी क्रय पर यू० पी० सहकारी बैंक, लखनऊ की आपत्ति

14—श्री हरिनाथ तिवारी, श्री हिम्मत सिंह तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद ने फर्म प्रकाशन सहकारी जनमोर्चा, फैजाबाद से 50,000 रु० की स्टेशनरी, 1972 में खरीदी तथा उपरोक्त फर्म से 4,000 रु० का हिस्सा खरीदा ? यदि हां, तो क्या यू० पी० सहकारी बैंक, लखनऊ ने उस पर कोई आपत्ति की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी हां । जिला सहकारी बैंक फैजाबाद ने प्रकाशन सहकारी समिति फैजाबाद से 1972 में 50,000 रु0 की स्टेशनरी न खरीद कर अपितु 28,338 रु0 98 पैसे की खरीदी । और 4 000 रु0 का हिस्सा भी खरीदा ।

यू0पी0कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के रीजनल आफिसर ने अपने निरीक्षण दिनांक 12 अक्तूबर, 1972 से 14 अक्तूबर, 1972 में इस प्रकार के विनियोजन पर आपत्ति प्रकट की फलस्वरूप बैंक ने प्रकाशन सहकारी समिति फैजाबाद की सदस्यता से त्यागपत्र भेजते हुये अंशदान को वापसी के लिये दिनांक 21-11-72 को अनुरोध किया परन्तु अभी तक उक्त धन वापस नही हुआ है ।

15---श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री सईद मुर्तजा---

[11वें सोमवार में अल्प0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

गोरखपुर तथा बस्ती के जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइसरी स्कूल के अध्यापकों के क्षेत्र समिति की सदस्यता की वैधानिक स्थीत

16---श्री सुखपाल पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती तथा गोरखपुर जिले में कितने अध्यापक जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के हैं जो क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं। क्या विधानतः वे सदस्य रह सकते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उनको हटाने के लिये कौन सी कार्यवाही करने के लिये सोच रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

गोरखपुर जनपद के जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों के 6 अध्यापक तथा बस्ती जनपद के 8 अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं । विधानतः निजी संस्थाओं के अध्यापक क्षेत्र समिति के सदस्य हो सकते हैं परन्तु जिला परिषदों या बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक क्षेत्र समिति की सदस्यता के लिये अनर्ह हैं । उन्हें उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 14 (2) के अधीन एवं तदन्तर्गत बने नियमानुसार सदस्य पद से निर्वाचन याचिका द्वारा हटाया जा सकता है । याचिका ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो चुनाव या अनुमलन के समय वैध रुप से अभ्यर्थी हो सकता था, चुनाव या अनुमेलन के दिनांक से 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अभिदिष्ट किया जायगा । शासन द्वारा कार्यवाही करन का नियमों में प्राविधान नहीं है ।

कार्यालय, जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा स्वीकृत एवं प्रार्थित ऋण का विवरण

17---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोंरखपुर)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत जिला नियोजन अधिकारी के कार्यालय से 1 जुलाई, 1972 से 20 मार्च, 1973 तक कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के कर्ज स्वीकृत किये गये हैं उनके नाम और पते क्या हैं । अलग अलग कितनी धनराशि स्वीकृती की गयी है ? कितने प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य

जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय से 1 जुलाई, 1972 से 20 मार्च, 1973 तक कोई भी ऋण मकान निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं हुआ ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर,मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले सुनिये निधन पर ।

श्री मंजूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय जरा सुनें तो सही । किठौर में साढ़ें तीन लाख का गबन है जिसकी 1967 से लगातार जांच हो रही है । 1970 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने लिखा है कि सी0 आई0 डी0 को दे दिया जाय । मेरा सवाल 20 वें नम्बर पर रख दिया । इसलिये चर्चा दे दीजियेगा आधे घंटे की (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

सबसे पहले शोक का प्रस्ताव आना है और वह उठाये चले जा रहे हैं । मान्यवर, कोई तरीका ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर रूलिंग पार्टी अनुशासन न रखे तो सदन का कार्य नहीं चलेगा ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

शोक प्रस्ताव आ रहा है और वह शोर कर रहे हैं।

भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री चेतराम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री कृपा कर शोक प्रस्ताव उपस्थित कर दें, वित्त मंत्री करेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ सम्मानित सदन को सूचित करना पड़ता है कि विगत 3 मई को अपरान्ह 4 बजे 90 वर्ष की अवस्था में इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री चेतराम जी का निधन हो गया । श्री चेतराम जी बाराबंकी जिले से 1936–39 तक पहली बार और 1946–1951 तक दूसरी बार विधान सभा के सदस्य थे । श्रीमन्, उनका राजनीतिक जीवन बहुत ही प्रभावपूर्ण और सक्रिय रहा । वह इलाहाबाद म्यनिसिपल बोर्ड के 1928 में मेम्बर रहे । स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय से भी उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती रही और श्री रफी अहमद किदवई के अनन्य साथी थे । उस समय जो राजनीतिक गतिविधियां थीं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का निर्माण हुआ, उसके वह सक्रिय सदस्य रहे । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वह सदस्य थे । उन्होंने कई बार जेल यात्रायें की और किसान मजदूर आन्दोलन में भाग लिया । वह अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के उप सभापति भी रहे । इस प्रकार उन्होंने पिछड़े वर्ग और हरिजन वर्ग की आजीवन सेवा की वह निर्भीक वक्ता थे । वे जनसेवी कार्यकर्ता थे ।

श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया इस सदन की संवेदना स्वर्गीय श्री चेतराम जी शोक संतप्त के परिवार तक पंहुचाने का कष्ट करें ।

*श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री चेतराम जी के निधन पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री चेतराम जी दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे । पहली बार 1936–39 तक बाराबंकी से और दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बार भी 1946–1952 तक बाराबंकी से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वह इस सदन में करते रहे। 1946–1952 तक जब वह सदस्य इस सदन में रहे मैं भी उसी जमाने में बाराबंकी से इस सदन का सदस्य था । इसलिये मुझे उनके साथ पांच वर्ष बाराबंकी में रहकर उस जिली को सेवा करने का मौका मिला था । स्वर्गीय श्री चतराम जी काफी वृद्ध हो चुके थ । 90 वष की अवस्था हो गयी थी । अभी गत 3 मई को 4 बजे सायंकाल उनका स्वर्गवास हो गया । वह बड़े निर्भीक कार्यकर्ता थे । जन सेवा में बराबर लगे रहते थे और अछूत उद्धार के काम में, उनके उत्थान के काम में, छुआछूत के निराकरण के काम में बहुत दिलचस्पी लेते थे और वह उस काम में लगे रहते थे । वह थे इलाहाबाद के रहने वाले और बाराबंकी से एम0 एल0 ए0 थे । वह बराबर बाराबंकी में रहते थे । वहां रहकर अपने क्षेत्र और जिले की सेवा करते रहे । मैं भी उन दिनों बराबर बाराबंकी में रहता था । हम लोग साथ काम करते थे ।

वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे । सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया और उनको 6 महीने की सजा हुई । सन् 1942 के आन्दोलन में वह गिरफ्तार तो नहीं हुये, वह अंडरग्राउन्ड रहे और सक्रिय भाग लेते रहे आन्दोलन में । कांग्रेस में तो वह सन् 1930 में ही शरीक हो गये थे और बराबर सक्रिय भाग लेते रहे और इस तरह से कई बार उन्होने जेल यात्रायें कीं ।

जहां तक हरिजनों के उत्थान का मामला था इसमें वह दिलचस्पी लेते थे, अखिल भारतीय पासी संगठन के वह संस्थापक थे और उसके वह सभापति भी रहे । अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग के भी वह वाइस प्रेसीडेंट रहे । इस तरह से वह अछूतों, हरिजनों के उत्थान में दिलचस्पी लेते रहे और अपने वर्ग पासी बिरादरी के उत्थान में भी बराबर दिलचस्पी लेते रहे और बराबर काम में लगे रहते थे । यह बात सही है कि इसके बाद वह कांग्रेस से अलग हो गये और विभिन्न दलों में चले गये और फिर जब किसान मजदूर पार्टी बनी तो उसमें चले गये । स्वर्गीय किदवई साहब के वह बड़े भक्त थे और उनकी आज्ञा के अनुसार बाराबर काम करते रहे ।

जैसा मैंने बतलाया वह अच्छे कार्यकर्ता थे, बहुत मिलनसार थे । अपना सारा काम गरीबों, अछूतों तथा हरिजनों की सेवा में लगाते रहे । यह बड़े दुख की बात है कि उनका स्वर्गवास हो गया । ऐसे आदमी के उठ जाने से जो रिक्तिता होती है, उसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है । उनके उठ जाने से हम सभी बड़े दुखी हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके संतप्त परिवार के पास हमारी संवेदनायें भेज दी जायं और भगवान स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करे ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, श्री चेतराम जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय तिवारी तथा नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय चेतराम जी एक समाजसेवी व्यक्ति थे । यद्यपि उन्होंन जीवन की पूरी अवधि समाज सेवा में लगा दी लेकिन फिर भी ऐसा समाज सेवी अगर अपने बीच से उठ जाय तो स्वाभाविक है कि बड़ा दुख होता है । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की सद्भावना को संतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल तथा नेता जनसंघ ने स्वर्गीय चेतराम जी के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और संतप्त परिवार को इस कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने स्वर्गीय श्री चेतराम जी के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री चेतराम जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे तथा जनसेवक के रूप में उनका निधन हुआ है । उसमें मुझे तथा मेरे दल को बहुत दुख है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना को संतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय वित्त मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय चेतराम जी के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, स्वर्गीय चेतराम जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े साहसी व्यक्ति थे । स्वाभाविक है कि एक ऐसे व्यक्ति के हमारे बीच से चले जाने से बहुत दुख होता है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी यह संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने स्वर्गीय चेतराम जी के सम्बन्ध में जो भावनायें प्रकट की हैं, उनके साथ मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी ये भावनायें उनके संतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री चेतराम जी के निधन पर वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं जानता हूं कि वे इस सदन में दो दफे बाराबंकी से चुनकर आये और हमेशा अपने भाइयों की सेवा करते रहे हैं । एक मौका ऐसा आया जबकि उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिये कहा गया कि वे बुद्धिस्ट हो जायं तो हरिजन नहीं रहेंगे, किन्तु उन्होंने कहा कि हम हरिजन हैं, कोई बात नहीं है । हरिजन तो परमात्मा के जन होते हैं और जो नाम गांधी जी ने इसके लिये दिया है उनको वे नहीं बदलेंगे इस प्रकार वे अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे । पूरा जीवन भी उन्हें प्राप्त हुआ, 90 वर्ष की अवस्था में गये, तो ऐसे कार्यकर्ता के लिये उनके निधन के ऊपर सभी लोगों को दुख होना स्वाभाविक है । जो दुख आप लोगों ने प्रकट किया और जो भावनायें व्यक्त की, उन्हें मैं उनके संतप्त परिवार के पास भेज दूंगा । अब हम दो मिनट भगवान से प्रार्थना करें कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

विधान सभा सचिवालय के रिपोर्टरों के बारे में बुलाई गई बैठक के बारे में जानकारी

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर मुझे आपसे एक निवेदन करना है । आज 8 तारीख है और आपने अपने कमरे में नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें कि आपने रिपोर्टरों तथा अपने सचिवालय के स्टाफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बारे में निर्णय लेना है तो आप कृपा करके इस चीज को भूलियगा मत। आप भूल जाते हैं इसलिये आपको याद दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायणदत्त तिवारी की ओर संकेत करते हुये)—वे बैठे हुये हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गयी बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर फैसला लेने हेतु मैंने अपने कमरे में नेताओं को बुलाया था कि उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने यह तय किया है कि श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य विधान सभा न विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना उनके द्वारा बाल योगेश्वर के सम्बन्ध में सदन में दिये गये भाषण व माननीय मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र के ऊपर बाल योगेश्वर के अनुयायियों द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दी थी। उसमें उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार बाल योगेश्वर के अनुयायियों द्वारा उनके सदन में दिये गये भाषण को लेकर कई न्यायालयों में वाद प्रस्तुत कर उनके सदस्य होने की हैसियत से अपना कर्त्तव्यपालन करने में बाधा पहुंचाई जा रही है अतः उन्हें मोलेस्ट (Molest) करन का प्रयास किया जा रहा है।

उस समय मुझे प्राग्दर्शन में इस सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निहित प्रतीत हुआ था। इस विषय पर उस समय सदन में दो विचारधारायें थीं, एक तो यह कि ऐसे विषय का निस्तारण सदन में ही होना चाहिये और दूसरी यह थी कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिये। मैंने तत्समय यह उचित समझा कि इस सम्बन्ध में सदन के सभी दलों क नेताओं से परामर्श करके तथा महाधिवक्ता की राय प्राप्त कर इस पर निर्णय दूं। तदनुरूप मैंने दिनांक 4–5–73 को सदन के विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और इस विषय पर विचार विमर्श किया। अस्वस्थ्य होने के कारण महाधिवक्ता उक्त बैठक में नहीं आ सके। सभी के विचार जानने के उपरान्त म इस निर्णय पर पहंचा हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिये मैं इस विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मुझको और श्री गोविन्द सिंह नेगी को पत्र भेजा गया है उनको भी उसमें जोड़ दीजिये?

श्री अध्यक्ष—

जितने भी धमकी के पत्र आये हैं वे तथा और सब चीजें विशेषाधिकार समिति में जायेंगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो एक चीज मैं सरकार से निवेदन कर दूं। तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं। मेरे पास 4–5 रोज से छात्र-छात्राओं के टेलीफोन आ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय शिवानन्द जी को जो कानूनी मदद देनी हो ज्यादा से ज्यादा, सरकार की तरफ से होनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बहुत सराहनीय चीज है।

लाटरी बेचने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं माननीय तिवारी जी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लाटरी की नयी स्कीम जो आपने चला रखी हैं, रात के बारह बजे तक लाउड स्पीकर्स बजते हैं। आजकल जितने छात्र व छात्रायें हैं उनकी परीक्षा का समय चल रहा है तो सरकार की तरफ से इस पर विचार करना चाहिये। दिन भर तो वे लाउड स्पीकर्स बजाते ही हैं, 8 बजे या 7 बजे के बाद बन्द कर दीजिये क्योंकि उस समय विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं। उनके चिल्लाने से उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—

कौन चिल्लाता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सड़क के किनारे लाटरी वालों ने दूकानें बना रखी हैं और वे 12 बजे रात तक लाउड स्पीकर्स पर चिल्लाते हैं, गाना गाते है जिससे छात्र-छात्राओं को परीक्षा के समय में अपने घरों पर अध्ययन करने में भी बाधा पड़ती है। मुझे याद है कि एक बार पहले भी परीक्षा-काल में इस तरह से लाउड स्पीकर्स के बजाने पर बन कर दिया गया था। इसलिये माननीय मंत्री जी से और सरकार से मेरा निवेदन है कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आप विचार करें। दिन भर तो उनका प्रचार होता ही रहता है, लाउड स्पीकर्स पर रेकर्ड्स बजता रहता है, इसलिये कृपा करके आप 10–15 रोज के लिये इसको बैन करने की कृपा करें, और मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार करके शीघ्र आज ही आदेश दे देने की कृपा करें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

रायल होटल के सामने 5 लाउड स्पीकर्स 12 बजे रात तक बजते रहते हैं जिनकी वजह से लेजिस्लेचर्स सो भी नहीं पाते। यह बहुत जरूरी है कि इसे बन्द किया जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय त्रिपाठी जी ने जो सुझाव दिया है वह अवश्य ही महत्वपूर्ण है। उनकी प्रार्थना पर मैं प्रयास करूंगा कि आज ही इस सम्बन्ध में निर्देश हो जायं ताकि छात्रों का कोई नुकसान न हो।

विविध विषय

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने उस दिन विधान सभा में प्रश्न उठाया था कि 18 ब्लाक प्रमुखों ने आज तक शपथ नहीं लिया है। माननीय कल्पनाथ सिंह ने और मैंने 103 में लिख कर भजा था तो आपने आश्वासन दिया था कि इस पर चर्चा करायेंगे। अब 11 तारीख को सदन खतम होगा और 18 ब्लाक प्रमुख अभी तक बिना शपथ लिये ही हैं।

दूसरी चीज माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो उठायी है कि जो अध्यापक हैं वे भी क्षेत्र समिति के सदस्य हो चुके हैं, अब मुझे बतलावें कि 27 मई को जिला परिषद् का चुनाव होगा। जिन ब्लाकों में ब्लाक प्रमुख नहीं चुने गये हैं तो क्या वह क्षेत्र समिति गठित मानी जायेगी। इस पर सरकार का वक्तव्य होना चाहिये और सरकार का ध्यान जाना चाहिये था। चुनाव होने से पहले क्या स्थिति होगी। 27 तारीख को चुनाव हैं और 18 ब्लाकों में ब्लाक प्रमुख नहीं हैं तो कैसे चुनाव करायेंगे ? इस पर वक्तव्य सरकार का दिलाइये और 11 तारीख से पहले निर्णय हो जाना चाहिये कि उनकी शपथ होगी या नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह बड़ी घृणित रचना है कि जिनको वोट देने का अधिकार है उनको वोट न देने दिया जाये और जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है उनको दिलाया जाय। अब टैक्निकल बात हो जायगी कि जब उनकी शपथ नहीं हुई तो मेम्बर नहीं हुये। जो सरकार के विरोध में हैं उनके साथ यह चीज है। यह चीज चौखम्भा राज्य में शुरू हुई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, 5 तारीख को प्रधान मंत्री जी आगरा पधारी थीं। वहां पर ज्ञापन देने के लिये.....

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा मामला न उठाइये। पहले इस पर निर्णय हो जाय।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये। पहले इस पर निर्णय हो जाय।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जो लोग शपथ नहीं ले सके हैं वे वंचित हो जायेंगे और जिला परिषद् की सदस्यता के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय नहीं लूंगा।

श्री राम बिलास पांडेय—

आप नहीं लेंगे तो सरकार ले ले।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी को मैं बुला लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप उनसे स्टेटमेंट कराइये।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको अपने कमरे में बुला लूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया है उस पर जानकारी हासिल करके शाम तक बता दूंगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं भी ब्लाक प्रमुखों का प्रश्न उठाना चाहता था। 18 ब्लाकों में ब्लाक प्रमुखों की शपथ नहीं हो सकी है। इस प्रकार से यह उस के सदस्य नहीं हो सकेंग और वोट से वंचित हो जायेंगे। इसक ऊपर निर्णय आना चाहिय।

श्री अध्यक्ष—

कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी। मैं उनको अपने यहां बुला लूंगा। मंत्री जी को भी बुला लूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, 4 मई को व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये हमने आग्रह किया था कि हमने एक अल्प-सूचित प्रश्न किया था कि 16 मई को प्रधान मंत्री लखनऊ आई थीं, उनकी व्यवस्था पर कितना खर्च हुआ, यह हमने जानना चाहा था। आपने निदश दिया था कि हम लिख कर दें दे। हमन आज लिख कर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यहां यह चीज .....। (व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं झांसी के किले की बात नहीं कह रहा हूं। आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आ गया है। उपाध्यक्ष जी प्रश्न मंजूर करते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि प्रश्न स्वीकृत होकर शीघ्र आ जाना चाहिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह सदन 11 तारीख के बाद नहीं बैठेगा।

श्री अध्यक्ष—

इससे पहले हो जायेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

कितना अन्याय हो रहा है प्रदेश की जनता के साथ, 11 तारीख के बाद सदन नहीं बैठेगा।

श्री अध्यक्ष—

हम नहीं कह सकते सरकार क्या उत्तर देगी।

श्री मोतीलाल देहलवी--

उत्तर उनका कुछ भी आये लेकिन स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री बराबर प्रदेश का दौरा कर रही हैं और.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या उनसे कह दें कि दौरा वह न करें ?

श्री मोती लाल देहलवी--

आज हालत प्रदेश में यह है कि डालडा का टीन 145 में बिक रहा है, राशन की दुकानों में राशन नहीं मिल रहा है, शक्कर 4 रुपये किलो बिक रही है, मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

चुनाव आ रहे हैं ऐसा तो होगा ही । (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बात उनकी ठीक है श्रीमन्, आज इतनी बड़ी महंगाई और चीजों की कमी रहती है और प्रधान मंत्री जी जब प्रदेश में आती हैं तो हजारों लोग उनके आगे पीछे रहते हैं, लाखों का भोजन होता है, चीजें जनता को उपलब्ध नहीं होतीं और इस तरह से फजूल में खर्च किया जाता है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

जनता में त्राहि-त्राहि आज मची हुई है, प्रधान मंत्री के दौरे से बराबर प्रदेश की जनता की हानि हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, आप बैठें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

प्रधान मंत्री की सुरक्षा का.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न दिया है लेकिन मंजूर होने के बाद ही....

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप तो विचलित हो जाते हैं, मैं झांसी के किले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनहित की बात कर रहा हूं .....

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

अध्यक्ष महोदय, झांसी बस स्टैण्ड पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें 50-60 आदमी घायल भी हुये हैं, तमाम बसों का आना-जाना वहां से बन्द है, दस-पन्द्रह हजार मुसाफिर पड़े हुये हैं, ग्वालियर और दूसरी जगह आने-जाने वाली बसें रुकी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास लिखकर प्रस्ताव भेजें, तो देखेंगें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं जनहित की बात कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री के....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने उनको आटे-दाल का भाव नहीं बताया ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

जनता में त्राहि-त्राहि मची है, कोई खाने का सामान नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

[* * *
* * *]

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, इस समय सदन के सामने यह प्रश्न नहीं है, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं .....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

[* * *
* * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह सब नहीं लिखा जायगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

लाखों रुपया रोज उनके दौरे पर खर्च हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री को यू० पी० में आने से रोकें । अगर वह नहीं रोक सकते हैं तो उनके दौरे में इस सरकार का धन व्यय नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी सरकार को गिरा दीजिये ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उनके दौरे के समय सरकारी धन व्यय नहीं होना चाहिये ।

नोटः—यह अंश[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 5 तारीख को प्रधान मंत्री जी आगरा आई थीं कई हजार बुनकरों ने उस अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से उनको एक ज्ञापन देना चाहा था क्योंकि उनकी सूत की मांग थी जीविका का सवाल था, उनके करण बन्द पड़े थे सूत न मिलने के कारण। इस प्रश्न को लेकर हमारे दल के श्री सुरेन्द्र मोहन बुनकरों का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि संस्था के कार्यकर्त्ताओं और बुनकरों पर वहां लाठीचार्ज किया गया और 88 व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में बन्द किया गया। श्री सुरेन्द्र मोहन अभी तक जेल में बन्द हैं और इसलिए बन्द हैं कि..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इसमें कौन सी व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री हुकुम सिंह परिहार---

ज्ञापन देने जा रहे थे। दूसरी तरफ सारी जनता पर लाठी बरसायी जाती है। रोटी रोजी मांगने पर जनता पर लाठी बरसायी जाती है, जेल में लोगों को बन्द कर दिया जाता है। यह कहां का इंसाफ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर सदन में चर्चा करवा दें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैंने माननीय उदितनारायण शर्मा, राजस्व मंत्री के विरुद्ध एक सूचना दी थी। उन्होंने सदन में यह कहा था कि फेमिली प्लानिंग जो है (व्यवधान) किसी के मामले में कार्यवाही नहीं होगी और हमने आदेश.....

श्री अध्यक्ष---

बीच में छुट्टी हो गयी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आपने कहा था कि सोमवार को उत्तर दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहता तो हूं लेकिन उत्तर तो वे ही देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आपकी ढिलाई से मंत्री लोग मजे मार रहे हैं। आप आज्ञा दें तो ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आज उत्तर मंगा लूंगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

श्रीमन्, झांसी में कल लाठी चार्ज हो गया है। वहां पर 6 तारीख से 250-300 बसेज चलनी बंद हो गयी हैं। हमीरपुर और बांदा में गाड़ियां बंद हो गयीं लगभग 125। उनके कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि हम तुम लोगों को सर्विस में ले लेंगे लेकिन किसी को नहीं लिया गया है। झांसी से 40-40 मील जाने का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर रेलगाड़ी से जाने का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि हजारों आदमी झांसी में घूम रहे हैं। कल मोटर स्टैण्ड पर भयंकर लाठी चार्ज हो गया है। 3-4 आदमियों के सिर फट गये हैं। बहुत से लोग घायल अस्पताल में पड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं अब कामरोको प्रस्ताव लेता हूं, उसमें सब आ जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

आज ऋषिकेश के अन्दर बहुत गम्भीर मामला पैदा हो गया है। वहां पर एक बूंद भी डीजल की नहीं है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले हजारों यात्री

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

वहां पर पड़े हुए हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। पहाड़ के लिए जो गल्ला जाता वह भी ऋषिकेश में पड़ा सड़ रहा है। यहां पर इस समय माननीय तिवारी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम केन्द्र को जब कि वहां पर पीक पीरियड है यात्रियों के लिहाज से, तो कृपा करके डीजल और पेट्रोल तो भिजवाने की कृपा करें। कुछ दिनों में बरसात आरम्भ हो जायगी, सड़कें टूट जायेंगी और बाहर के लोगों के लिए आप वहां पर अनाज नहीं भेज सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, नेगी जी ने जो कहा है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि.... (अत्यधिक शोर) ऋषिकेश ही नहीं पूरे देहरादून जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसके बारे में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

श्रीमान्, रायबरेली में जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके सम्बन्ध में एक प्रिविलेज मोशन का एक सप्ताह पूर्व एक नोटिस दिया था, उसके बारे में क्या हुआ है?

श्री अध्यक्ष—

इधर 3–4 दिन की छुट्टी हो गयी थी। उसे मैं आज दिखवा लूंगा और कल बता दूंगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं कल कोटद्वारा में था। माननीय मंत्री जी नगीना गये हुये थे। उनकी गाड़ी के लिए जब नगीना में भी डीजल न मिला तो उसके लिए कोटद्वार आदमी भेजा गया लेकिन वहां भी माननीय मंत्री जी की गाड़ी के लिए डीजल प्राप्त नहीं हो सका।

इस तरह से यह बात सिद्ध होती है कि किस तरह से डीजल प्राप्त नहीं हो रहा है और बड़ी परेशानी में सारी ट्रकें, बसें, खाद्यान्न, आदि पड़ जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ दिन पहले बिजली के अभियंताओं ने हड़ताल कर दी थी और प्रदेश में एक आफत आ गयी थी। आज भी मुझे खबर मिली है कि बी0डी0ओ0 एसोसियेशन का यहीं तिलक हाल में सम्मेलन होने जा रहा है। जो पे-कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उनके नीचे काम करने वाले जो वेटेरनरी सर्जन हैं, उनकी तनख्वाह 100 रुपये बढ़ा दी गयी है, इससे बी0डी0ओ0 को बड़ा असंतोष है। आज वे तिलक हाल में यह तय करने जा रहे हैं कि सारे बी0डी0ओ0 और ए0डी0ओ0 हड़ताल बोल देंगे। अगर ऐसा हुआ, तो बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। मई-जून में किसानों को बीज वितरण होगा। सारे किसानों की हित की चीजें ब्लाकों से होंगी। सरकार इस ओर ध्यान दे।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आपके उसमें है शायद, ठीक है, आपने दिया है।

एक तो सुदामा प्रसाद जी का प्रस्ताव है कि झांसी में रोडवेज तथा प्राइवेट बसें बन्द हो गयी हैं। झांसी से कालपी तक जो बसों का काम है, सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

प्राइवेट बसें बन्द कर दी । ऐसी हालत में प्राइवेट बस वालों ने यह कोशिश की सब जगह बन्द की जाय और जहां चाहते हैं, वहीं उतार देते हैं । इससे बच्चों वगैरह को तकलीफ होती है । इसमें कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । लेकिन इसको जो विभव जी का विभाग है, उसको यह कहा है कि आप कृपया उन परिस्थितियों को समझ लें और उसके लिए कार्यवाही करें । उसमें वक्तव्य देने का समय नहीं है । 2-3 रोज रह गये हैं । वक्तव्य तो 2-3 रोज भरे हैं । आप मुझे लिखकर भेज दें कि ऐसी परिस्थितियां हैं और उसको क्या कर रहे हैं, तो सदन को सूचना दे देंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

मान्यवर, लाठी-चार्ज हुआ है और लोग घायल भी हुए हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इसमें दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा है श्री शम्भूनाथ चौधरी, शफीक अहमद खां, मनोहर लाल और त्रिलोक चन्द का, जनपद गोरखपुर, थाना खोराबाद के अन्तर्गत श्री मुरारी लाल निषाद की दिनांक 2-5-73 को पुलिस की सांठगांठ में हत्या के बारे में । इसको मैंने अस्वीकार किया है लेकिन इसकी भी सूचना कृपा कर दे दें, क्योंकि 3 रोज रह गये हैं और 11 तारीख को हम लोग उठेंगे । इस बीच में, जितनी सूचनायें हैं मेरे पास भेज दें । मंत्री जी अगर सूचना दे देंगे, तो सदन को उसे दे देंगे ।

एक है श्री शफीक अहमद खां का, वेतन आयोग की रिपोर्ट में विकास अधिकारियों के साथ बरते गये भेद-भाव के बारे में । इसको आपके पास कार्यवाही हेतु भेज दूंगा । यह अस्वीकृत है । एक अन्तराम जायसवाल का 25 हजार बुनकरों द्वारा जिला उद्योग अधिकारी बाराबंकी के कार्यालय पर प्रदर्शन और वापसी के समय सिविल जज एवं सेशन जज के आवास में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तारी के बारे में है । यह महत्वपूर्ण है। यह सीरियस बात हो गई है और मैंने मंत्री जी से यह पूछा है कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है । उसकी सूचना वह मुझे दे दें ताकि मैं सदन में बता सकूं । मैं वक्तव्य नहीं दिलवा सकूंगा क्योंकि सदन का समय जाता है।

अंतिम प्रस्ताव सर्वश्री बंशीधर पांडेय, करन सिंह, सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा दुग्ध नियंत्रण आदेश लागू होने के फलस्वरूप ग्रामीण अंचल के दुग्ध उत्पादकों की बेकारी तथा हानि से संबंधित है । इस विषय पर वक्तव्य हो चुका है इसलिये इसको अस्वीकार किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें । हम लोग हमेशा नियम का पालन करते हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे मर्यादा भंग हो । क्या आप चाहते हैं कि जैसा और लोग शोर करते हैं उसी तरह से हम करें । हमारी बात मानी जाय अथवा नहीं कम से कम कहने का तो अवसर दिया जाय । श्री मुरारी लाल निषाद की हत्या पुलिस की सांठगांठ से करवा दी गई है उसमें हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के समधी साहब श्री मृगेंद्रकुमार पांडेय भी शामिल हैं । वह पहले ब्लाक प्रमुख के इलेक्शन के लिये खड़े हुए थे लेकिन हार गये । उन्होंने धमकी दी और पुलिस से मिलकर कुछ गुंडों से उनकी हत्या करवा दी । इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस इसमें जांच करेगी जब मुख्यमंत्री के समधी हत्यारे हों । यह कितना अहम सवाल है इसमें वक्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इसमें क्या हम उम्मीद करें पुलिस से और क्या उम्मीद करें सरकार से । आप केंद्रीय खुफिया

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

विभाग से इसकी जांच कराइये तभी कुछ हो सकेगा । यह व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है वह छोटी जाति का है.... (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, इसमें पुलिस की साजिस से हत्या हुई है, मुरारीलाल की ।

श्री अध्यक्ष---

मैं लिखकर पूछ रहा हूं मंत्री जी से कि इसकी जानकारी करके मुझे भेज दें ।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, तीन दिन बाद असेम्बली खतम हो जायेगी फिर क्या होगा । वहां आतंक फैला हुआ है, ब्लाक प्रमुख की हत्या हुई है । गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे आप कह दें।

श्री अध्यक्ष---

अगर माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना है तो वह बता दें अन्यथा वह मेरे पास सूचना भेज दें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, यह बहुत अहम सवाल है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का मामला है और आप केवल रिपोर्ट मंगवा रहे हैं इससे संतोष होने वाला नहीं है । उचित तो यही होगा कि आप सी0आई0डी0 को मामला सौंप दें । ऐसा करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका सुझाव प्रेक्टिकल है।

मैं मुख्य मंत्री जी से बात कर लूंगा क्योंकि सी0 आई0 डी0 का सवाल है ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है । 30 तारीख को मैंने बिजली मंत्री महोदय से सवाल किया था और अपनी ओर से एक प्रार्थना पत्र भी दिया था कि मेरे कस्बे बहेड़ी में, जिला बरेली में 40 कनेक्शंश काट दिये गये हैं जिसकी वजह से वहां वर्कशाप्स बन्द हैं । कनेक्शन काटने का कारण बतलाया कि वहां बिजली ज्यादा कंज्यूम कर ली गयी है । कनेक्शन काट देने की वजह से वहां की आरा मशीनें बन्द हैं । लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं । अगर किसी वक्त उनमें आग लग गयी तो मेरा सारा कस्बा तबाह हो जायगा । थ्रेसर्स भी नहीं चल रहे हैं और फसल पड़ी हुई है । 25 हजार की आबादी है । अगर बिजली न मिली तो लोग तबाह हो जायेंगे । मैं बिजली मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान देकर जो कनेक्शन काट दिये गये हैं उन्हें लगाने का आदेश जारी कर दें ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री शफीक अहमद खां---

जांच जल्दी ही करा लें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, सन् 71 से इस प्रदेश में स्टेपिल यार्न की कमी है। सरकार बुनकरों को आश्वासन पर आश्वासन देती रही है लेकिन सूत की कमी बजाय पूरी होने के बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि प्रदेश के बुनकर बेकार हैं और भुखमरी से त्रस्त हैं। अभी हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि आगरे में जब प्रधान मंत्री गयीं तो वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे जिले में एक लाख की आबादी है। यह लोग परेशान हैं और भूख से परेशान हैं। जितने शांतिपूर्ण उपाय हैं वह इन लोगों ने अपनाये हैं। सात मई को जिला उद्योग अधिकारी के यहां मुजाहिरा करने की पूर्व सूचना इन लोगों ने दे दी थी। जब यह वहां पहुंचे तो जिला उद्योग अधिकारी नहीं थे। इन लोगों ने तय किया कि धरना देंगे। लेकिन वहां जो पुलिस थी उसने हिंसा का बर्ताव किया। इसके बाद यह लोग जिलाधिकारी के यहां जाने लगे। यह प्रदर्शनकारी वहां से हट चुके थे। अगर इनको किसी तरह की तोड़फोड़ करनी होती तो जिला उद्योग अधिकारी के यहां करते। जज साहब के आवास में आग लगाने का कोई कारण नहीं था। वहां पर आग तब लगी जब यह प्रदर्शन जिलाधिकारी की तरफ बढ़ चुका था। आग क्यों लगी वह जांच का मामला है। इन लोगों की 3 बजे जिलाधीश से भेंट हुई।

उसके बाद जब यह लोग लौट रहे थे तो नाका सतनिक और छाया सिनेमा के पास जब ये लोग पहुंचे तो पुलिस ने फिर धावा बोल दिया। और जिसको चाहा उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। तो यह स्थिति है कि एक तरफ तो भुखमरी की हालत है और दूसरी तरफ उनको अपमानित किया जा रहा है। तो इससे गुस्सा बढ़ती है और घटनाओं का एक लगातार सिलसिला बन जाता है। इसकी अहमियत को आपने मान लिया है। 11 तारीख को विधान सभा उठ जावेगी, इसलिये चर्चा नहीं हो सकेगी। इस कारण सरकार को आपने इसकी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष---

वह सूचना दें और कार्यवाही भी करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी हां, मान्यवर सूत मिल जाय और अकारण परेशान न किया जाय। मैं देख रहा हूं कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। यह मामला खाली बाराबंकी का नहीं है। यह तो वहां फोकस हो गया है। तो मान्यवर, आप तय कर दें कि खाद्य पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप पूरा समय चाहते हैं तो प्रश्नों का घंटा मैं छोड़ दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ठीक है उससे कुछ समय मिल जावेगा। आप खाद्य पर 4 बजे तक चर्चा करा दें और 4 से 5 बजे तक वस्त्र के बारे में हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

मुरारी लाल केवट की हत्या का मामला चौधरी साहब ने उठाया है। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि जब ब्लाक प्रमुख के चुनाव हो गय तो हमारे दल की बैठक हुई और बात आई कि मारने की साजिश चल रही है और बी0के0डी0 के कैन्डीडेट को फोड़ने की भी बात चल रही है। कुछ मंत्री भी इसमें शामिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

थे । बाद में जब उसको अपने विश्वास में नहीं ला सके तो एक दिन वह गोरखपुर में माया टाकीज के सामने से साइकिल पर जा रहा था । उसके साथ एक बनिया भी था, वह भी जा रहा था । वह आदमी लगाया गया था । जब वह राप्ती नदी के बंधे पर पहुंचा तो वहां उस पर गोली से वार किया गया । वह भागा लेकिन घाव के असर से गिर गया । उसके बाद पुरानी तलवार से वार किये गये । तलवार की मियान मिल भी गई है । हत्या करते समय कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने हल्ला भी किया ।

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता ने सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के लिये कहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मा0 मुख्य मंत्री के रिश्तेदार श्री नगेंन्द्र कुमार पांडेय ने, पता चला है, अस्पताल में अपना दाखिला करा लिया है जिससे कोई मामला विरुद्ध न उठ सके । इस तरह से मैं बार-बार यहां कहता हूं कि इन चीजों में सरकार बिल्कुल असफल रही है । विरोधी आदमी कैसे रह पायेगा ? इसकी रक्षा कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष--

जयराम वर्मा जी ने कहा कि इसके ऊपर सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी करा लेनी चाहिये, यह प्रैक्टिल बात कही तो मैंने कहा कि ठीक है, इस बात को मैं प्रेस करूंगा··· (व्यवधान) लेकिन वह तो बोलते ही चले जा रहे हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि 9 जिलों के अन्दर दूध का अभाव है । मावे की समस्या पर केवल वक्तव्य हुआ है । आज हालत यह है कि कि दूध बेचना दूध वालों ने बन्द कर रखा है । लखनऊ, कानपुर आदि में होटल बन्द हैं, चाय कहीं नहीं मिल रही है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है । देहात वाले कहते हैं कि हमसें मावे वाले दूध खरीदते थे । उन पर पाबन्दी लग गयी, हमारा दूध खराब होता है । तो यह तो दूध खुद लेने की व्यवस्था सरकार करे वरना हम दूध बेचना बन्द कर देंगे । बच्चों तक को दूध नहीं मिल रहा है, कुछ कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

कुछ जानकारी दे दूं इस विषय पर ।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय के ऊपर वक्तव्य हो चुका है दूध के बारे में कि खोया वगैरह न बनायें । तो उन्होंने वही चीज उठायी । अब फिर से यह मामला नहीं उठेगा ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं जानकारी दे दूं जिससे इस बात का पता सरकार को चल जाय । राजधानी में दो हजार या उससे ऊपर के लोग बाराबंकी से, गोशाईगंज से, मलीहाबाद -हरदोई से और उन्नाव कानपुर की तरफ से दूध लाते हैं और हमारा ख्याल है कि लगभग 1 लाख या उससे ऊपर लाते होंगे, जिससे यहां की सप्लाई होती है । इसके अतिरिक्त जो कि पाबन्दी लगी है, उनको पहले से तकलीफ थी कि इतने लोगों के बैठने के लिये कहीं जगह नहीं, हर चीज की मान्यता है लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूध वालों के लिये जगह नहीं है। या तो वह दूध स्टेशन पर रख कर बेंचे जहां पुलिस वाले उनको तंग करते हैं और महापालिका विभाग के कर्मचारी तंग करते हैं, बेचारे सालों से परेशान हैं।

अब इधर नियंत्रण आदेश आ गया उसके तहत लोगों ने खोया बनाना बन्द कर दिया जो उनसे दूध खरीदते थे। फिर डेरी से दूध लेते थे। उसमें से कुछ हिस्सा क्रीम (फैट) का निकाल कर बाकी सपरेटा 5–10 पैसे लिटर में बेच लेते थे जिसकी दही जम जाती थी और चाय का काम आ जाता था। उनका भी काम बन्द कर दिया। तो 27 तारीख को खोया संघ और दुग्ध संघ ने मिलकर एक सम्मिलित बैठक की। साथ ही एक चीज और थी कि दामों की लूट भी चल रही थी...

श्री अध्यक्ष––

आप दो मिनट में खत्म करने वाले थे और इतना समय ले लिया ....

श्री अनन्तराम जायसवाल––

सरकार से सहायता प्राप्त एक सहकारी दुग्ध संघ है। वह इन दूध वालों से 1 रुपया 15 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे लिटर के हिसाब से दूध लेता है और बेचता है 1 रुपया 80 पैसे लिटर। इस तरह से कहीं व्यापार नहीं होता कि सरकार से खुली लूट कर रहे हैं और सरकारी लोगों का साथ होने के कारण इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो यह भी उनकी मांग थी कि उचित दाम दिलाया जाय और बैठने का इन्तजाम कराया जाय और दुग्ध नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जो खोया और डेरी बन्द की गयी हैं इनको फिर से खोला जाय। यह उन्होंने सम्मिलित बैठक में प्रस्ताव पास किया और 27 तारीख को सूचना दे दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो 7 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे और 8 तारीख को दूध नहीं देंगे बन्द कर देंगे। तो यहां पर कल प्रदर्शन हुआ अब यह फैसला उनका हो गया है कि लखनऊ में दूध आना बन्द हो जायगा।

आज सचमुच दूध आना बन्द हो गया। पूरी राजधानी में त्राहि त्राहि हो रही है। इस मसले को लेकर मैं और दुग्ध संघ के अध्यक्ष राम सेवक जी मंत्री जी से कुछ प्रतिनिधियों सहित मिले थे।

उन्होंने आज साढ़े चार बजे तक बातचीत करके जवाब देने को कहा था। वहां एक अधिकारी भी बुलाये गये थे। लगता था कि वह बहुत हमदर्दी से बिचार करने को तैयार नहीं हैं। तो संभावना यह है कि यह हड़ताल केवल आज के लिये नहीं बल्कि आगे भी चलेगी। तो यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इसमें किसी तरह आप सरकार का ध्यान खींच कर वक्तव्य दिलवायें नहीं तो हालत ज्यादा बिगड़ जायेगी।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)––

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में बुनकरों की बड़ी लम्बी तादाद है ...

श्री अध्यक्ष––

अब मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामबिलास पांडेय––

मेरी बात सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष––

क्या बात सुनूं ? जो चलने की है वह न चले ?

श्री रामबिलास पांडेय---

सुन तो लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

बुनकरों के लिये तो आपने 11 तारीख को 4 बजे से समय निर्धारित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

हां। फिर 11 को बोल लीजियेगा, आज ही क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राम बिलास पांडेय---

मैं बुनकरों की आबादी में रहने वाला हूं। 22 हजार बुनकर मेरे यहां हैं। आज सरकार की नीति के कारण गेहूं बाजार में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आपको काम नहीं चलाने देना है ?

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमें उठाने तथा जेल सें मुक्त करने के बारे में श्री शंकरप्रसाद जायसवाल द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 75 विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमें उठा लेने तथा 10 विद्यार्थियों को जेल में से मुक्त करने की मांग को ले कर श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, विधायक द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री मोहनलाल कपूर, श्री हिम्मत सिंह, श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह द्वारा दी गई सूचनाओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं। किसी तरह अनादर का मेरा मतलब नहीं है लेकिन यह इतना गम्भीर विषय है जिसमें माननीय गोस्वामी जी शायद इस परिस्थिति में न हों कि कुछ आश्वासन दे सकें। इसलिये मुख्य मंत्री जी होते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य आप सुन लें, मुख्य मंत्री जी भी आ जायेंगे।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

एजेंडा के 7 नम्बर के स्टेटमेंट का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

चूंकि माननीय गोस्वामी जी को कौंसिल जाना है इसलिये मैंने पहले इसी को ले लिया।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

7 नम्बर के ऊपर ही मुझको वक्तव्य देना है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षा सत्र 1972-73 के आरम्भ होते ही आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। आन्दोलन के दौरान छात्रों ने पथराव, आगजनी, तोड़-फोड़ आदि कार्यवाहियां कीं। (इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुए।) छात्रों ने दफा 144 का भी उल्लंघन किया।

अतएव विभिन्न अपराधों के लिये छात्रों के विरुद्ध 40 अभियोग दर्ज किये गये जिनमें से 10 अभियोगों में 140 अभियुक्त नामजद हैं । इन सभी 140 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । इनमें से 48 छात्रों को धारा 188 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अदालत उठने तक सजा देकर दंडित किया गया । शेष 92 छात्रों के विरुद्ध मुकदमों में विवेचना की जा रही है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ने छात्रों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों की वापसी तथा 10 छात्रों को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर दिनांक 28/4/73 को सायंकाल टाउन हाल वाराणसी में अनशन आरम्भ किया । उनके साथ कुछ जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने तथा सभासदों ने भी क्रमिक अनशन किया । श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ने दिनांक 3-5-73 को पूर्वान्ह 11.45 बजे अपना अनशन समाप्त कर दिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

काशी विश्वविद्यालय का यह विषय बहुत पुराना है, अनेक बार आपके सामने यह आ चुका है । यह भी बात सही है कि हमारे माननीय शंकर प्रसाद जायसवाल ने अनशन प्रारम्भ किया था और इस आश्वासन पर कि विद्यार्थियों की बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा उन्होंने अपना अनशन वापस ले लिया अब इस सम्बन्ध में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी कृपा कर उसे दूसरी दृष्टि से न देखें, कि जब जब छात्र आन्दोलन हुये हैं सरकार की तरफ से यही ढले ढलाये आरोप लाये गये हैं कि छात्र हिन्सात्मक कार्यवाही कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे आदि-आदि। लेकिन बाद को सभी छोड़ दिये जाते हैं । मान्यवर, कुछ छात्रों की परीक्षा 12 तारीख से और कुछ की 15 तारीख से शुरू हो रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या कोई ऐसा आश्वासन सदन में देंगे कि वे छात्र अपनी-अपनी परीक्षायें दे सकें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, हम किसी भी छात्र को जेल में रखना नहीं चाहते, किन्तु परिस्थितियां बाध्य कर देती हैं । यदि माननीय सदस्य इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां शांति स्थापित रहेगी अशान्ति की कोई घटना नहीं होगी, किसी प्रकार का अब आन्दोलन नहीं होगा, लड़के छूटने के बाद शान्ति बनाये रखेंगे, तो इस विषय पर सोचा जा सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इस कथन का स्वागत करता हूं । मान्यवर, मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है और पूर्ण शान्ति रहेगी । उनके जीवन के लिये तथा उनके अभिभावकों के जीवन के लिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर उन छात्रों को परीक्षाओं में बैठन की अनुमति प्रदान करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत करूंगा और इस बात की व्यवस्था कराऊंगा कि वे लोग अपनी परीक्षायें दे सकें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुकदमे भी वापस होने चाहिये ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

संघ की सेना में कमीशन प्राप्त तथा सैन्य सेवा से अवमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों के लिये राज्याधीन मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों के प्रति भर्ती के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मई, 1963 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार के अधीन वर्ग एक तथा दो की मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले स्थायी पदों में से 50 प्रतिशत रिक्तियां उन ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इन्जीनियरों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी जो तत्कालीन आपातकाल में सैन्यसेवा में अस्थायी कमीशन प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात् सैन्य सेवा से अवमुक्त होंगे । इन आरक्षित रिक्तयों में भर्ती के लिये उन अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया था जो उपरोक्त सेवाओं में भर्ती के लिये सम्बद्ध नियमानुसार उपयुक्त होते यदि सैन्य सेवा में न गये होते । यह भी निर्णय लिया कि सैन्य सेवा अवमुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक आरक्षित रिक्तियों को अस्थायी तौर पर भरा जाय । भारत सरकार ने अनुरोध किया कि प्रदेश शासन भी अपने अधीन सेवाओं में इसी प्रकार के आरक्षण की नीति अपनाये ।

भारत सरकार की योजना पर विचार किया गया तथा सम्बन्धित विभागों से परामर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में सीधी भर्ती से किसी वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तयां सेना में अस्थायी कमीशन प्राप्त करने वाले ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इन्जीनियरों के लिये आरक्षित की जायं । इस निर्णय के अनुसार दिनांक 12 फरवरी, 1965 को एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके द्वारा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में उपरोक्तानुसार भर्ती के लिये आरक्षण का नियम बनाया गया ।

इस योजना के अन्य पहलुओं पर भारत सरकार ने समय-समय पर विचार कर कुछ और निदेश जारी किये जिन्हें प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार, उचित संशोधनों सहित इस राज्य में भी अपनाया गया । इस सम्बन्ध में दो आदेश जारी किये गये अर्थात्:—

(क) दिनांक 29 सितम्बर, 1965 की राजाज्ञा में वह सिद्धांत बताये गये जिनके अनुसार आरक्षित रिक्तियों म नियुक्त किये जाने वाले सैन्य सेवा अवमुक्त डाक्टरों तथा इन्जीनियरों का राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में, उनकी सैन्य सेवा के आधार पर वतन तथा ज्येष्ठता निर्धारित किया जाता था ।

(ख) दिनांक 7 जुलाई, 1966 की राजाज्ञा द्वारा कुछ और अनुदेश जारी किये गये जिनम बताया गया कि आरक्षित रिक्तयों में भर्ती हेतु कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे । इन आदेशों में, भारत सरकार के निदेशानुसार, यह भी बताया गया कि दूसरे आदेश होने तक आरक्षित रिक्तयां केवल अस्थायी तौर पर सामान्य भर्ती के नियमों के अनुसार भरी जायं । इसका तात्पय यह था कि आरक्षित रिक्तयों के लिये भर्ती तभी प्रारम्भ की जायेगी जब कमीशन प्राप्त डाक्टर तथा इन्जीनियर सैन्य सेवा से अवमुक्त होकर भर्ती के लिय उपलब्ध होने लगेंगे ।

तदुपरान्त भारत सरकार से समय-समय पर पूछा जाता रहा कि उन्होंने आरक्षित रिक्तयों में भर्ती के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की है तथा कमीशन प्राप्त डाक्टरों तथा इन्जीनियरों को सैन्य सेवा से अवमुक्त करना कब से प्रारम्भ होगा । वर्ष 1968 में भारत सरकार ने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया के विषय में उन्होंने तब तक निर्णय नहीं लिया था । सैन्य सेवा से अवमुक्त होकर डाक्टरों तथा इन्जीनियरों की उपलब्धि के विषय में भारत सरकार ने मई, 1968 में बताया कि चूंकि सैन्य सेवा अवमुक्त अधिकारी उचित संख्या में आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के लिये उपलब्ध नहीं हो रहे थे अतएव आगे भी उनके लिये रिक्तियां आरक्षित रखी जायं। उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये फेज्ड (phased) प्रोग्राम के अनुसार वर्ष 1968 से 1971 के बीच सैन्य सेवा विमुक्त अधिकारियों के उपलब्ध होने की आशा थी ।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुये अप्रैल, 1972 में मेडीकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं से सम्बद्ध विभागों को सूचित किया गया कि चूंकि कमीशन प्राप्त स्नातक डाक्टर तथा इन्जीनियर सैन्य सेवा से निर्मुक्त होकर उपलब्ध हो रहे हैं, अतएव उनकी सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों को सैन्य वियोजित अभ्यर्थियों में से भरने का प्रबन्ध करें तथा आवश्यक कार्यवाही करें । उन्हें यह भी बताया गया कि भर्ती की प्रक्रिया के विषय में अलग से अनुदेश भेजे जायेंगे ।

इस बीच, आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के विषय में एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ । यह पाया गया कि सैन्य सेवा विमुक्त अधिकारियों के लिये जो 50 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था वह, समाज के अन्य वर्गों को दिये गय आरक्षण को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता था जो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को देखते हुये कि सीधी भर्ती में समस्त आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, अवैधानिक था । इस सामान्य प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया तथा जुलाई, 1972 में विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण में परिवर्तन किया गया । शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 1972 में बतलाया गया कि अन्य वर्गों के अतिरिक्त, राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में सेना विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इन्जीनियरों के लिये 12 1/2 प्रतिशत आरक्षण रहेगा । अतएव 18 जुलाई, 1972 तक हुई रिक्तियों में से 50 प्रतिशत और तदुपरान्त रिक्तियों में 12 1/2 प्रतिशत पद इन सैन्य विमुक्ति डाक्टरों तथा इन्जीनियरों के लिये आरक्षित रहेंग ।

दिनांक 18 जुलाई, 1972 के शासनादेश द्वारा सेना के विकलांग कर्मचारियों तथा सैन्य वियोजित के लिये वर्ग 2 की अप्राविधिक सेवाओं में 10 प्रतिशत, वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में 10 प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में 5 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया । इस आरक्षण को कार्यान्वित करने तथा आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये नियमों के प्रारूप बनाये गये जिन पर न्याय विभाग से परामर्श करने के उपरान्त लोक-सेवा आयोग से परामर्श किया गया । तदुपरान्त शासन ने हाल में ही इन नियमों को अन्तिम रूप दे दिया है और वह शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे । इन्हीं नियमों के अनुरूप, राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में सैन्य वियोजित कमीशकन प्राप्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों को दिये गये आरक्षण को कार्यान्वित करने के विषय में तथा आरक्षित रिक्तियों के प्रति भर्ती करने की प्रक्रिया के बारे में नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा न्याय विभाग द्वारा विधीक्षण करा लिया गया है । नियमों के इस प्रारूप को शीघ्र ही अन्तिम रूप देकर विज्ञापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

फिलहाल, इस विषय में देरी को बचाने के लिये, आवश्यक प्रशासकीय आदेश दिनांक 2 मई, 1973 को जारी कर दिय गये हैं । इन आदेशों में (1) रिक्तियों का आरक्षण, (2) भर्ती के लिये पात्रता (3) भर्ती की प्रक्रिया, तथा (4) नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों का वेतन एवं ज्येष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांतों, का उल्लेख किया गया है । इन आदेशों की प्रतियां मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विभागों को भेज दी गई हैं तथा उनसे कहा गया है कि इन निदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने की कार्यवाही करें ।

इस प्रकार देखा जायगा कि अस्थायी कमीशन प्राप्त सैन्य सेवा विमुक्त डाक्टरों तथा इन्जीनियरों को उनके लिये आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के लिये समस्त आवश्यक निदेश जारी किये जा चुके हैं । आशा है कि सम्बन्धित विभाग इन रिक्तियों में शीघ्र ही भर्ती की कार्यवाही करेंगे ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1962 में जब आपत्तिकालीन स्थिति की घोषणा की गई । तो उस समय तमाम टेम्पोरेरी कमीशन्ड डाक्टर्स व इन्जीनियर्स सेना में लगे हुये थे, उसके बाद सन् 68 से सेना से यह टेम्प्रेरी कमीशन्ड आफिसर्स मुक्त किये जाने लगे और भारत सरकार की तरह

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

ही आपने भी उनके कहने पर 50 परसेंट प्रदेशीय इन्जीनियरिंग व मेडिकल पोस्टों पर इन टेम्प्रेरी कमीशन्ड प्राप्त और सेना से अवमुक्त डाक्टरों व इन्जीनियरों को रखने के लिये विज्ञप्ति जारी कर दी, यानी 50 परसेंट स्थान इन लोगों के लिये आरक्षित कर दिये गये । भारत सरकार ने तो इन लोगों को स्थान देना शुरू कर दिया, और ये लोग लग भी गये, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन्जीनियरिंग व मेडिकल सर्विसेज में अभी तक इन अवमुक्त सेना के अधिकारियों को कहीं भी स्थान नहीं दिया है । जो कि सरकार की इस नीति के कारण इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, तो इस देरी का कारण क्या है ? आपने उसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जैसा कि अभी मैंने कहा 18 जुलाई, 1972 तक जो भी रिक्तियां थीं उनमें 50 प्रतिशत स्थानों पर उनको प्राथमिकता दी गई । उनको आरक्षण दिया गया और इसके पहले इसमें कोई कमी नहीं आई, किन्तु 18 जुलाई, 1972 के बाद--सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वह आरक्षण घटकर साढ़े 12 परसेंट पर आ गया है । क्यों कि कुल मिलाकर आरक्षण 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये था । 18 जुलाई, 1972 के पहले 50 परसेंट होते हुये भी यदि किसी को ऐसी सुविधा नहीं मिली है तो मेरे मित्र उसको बता दें, मैं उसको देख लूंगा ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं । प्रश्न यह नहीं है कि आपने कितने परसेंट कम या ज्यादा आरक्षण रखा, या सुप्रीमकोर्ट ने क्या फैसला दिया । मेरा कहना तो यह है कि सीटें आपने आरक्षित रखी हैं, लेकिन आपने उन पर नियुक्त किसी को नहीं किया है, एक भी टेम्प्रेरी कमीशन्ड प्राप्त अफसर को नहीं रखा है । यह तो आपके वक्तव्य से भी साफ है कि नियम और प्रक्रिया वगैरह बनाई जा रही है । आपने अभी तक किसी को भरा ही नहीं है खाली आरक्षित छूटे हुये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह स्ट्रिक्टली टेम्प्रेरी कमीशन्ड अधिकारियों के लिये था । सन् 68 के पहले सेना से अवमुक्त अधिकारी इस प्रकार के उपलब्ध नहीं थे । 68 के बाद आश्वासन दिया गया था कि अबमुक्त होंगे तो देंगे । अब जब आयेंगे तो प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वह क्या है और किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है कि रेजरवेशन 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये ।

ऐसा नहीं है । माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने के लिये यह गलत सूचना यहां दी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न पहले भी उठा था । यह संवैधानिक प्रश्न सदन में निर्णय के बाद में उठ चुका है । अब इसमें किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

यह मंत्री जी ने वक्तव्य पूरा पढ़ा, लेकिन खुद शायद उसको समझा नहीं ठीक से । मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है । अब आदेश दिये हैं, नियम वगरह बना रहे हैं, या बनेंगे । मैं आपसे निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि क्योंकि बहुत से लोगों को काम नहीं मिला है । वह इधर उधर नौकरी के लिये गये, किन्तु नहीं मिलने से

उनका मारेल डाउन होता है, तो कब तक आप इन पोस्टों को एडवरटाइज कराकर, उनकी दरख्वास्त मांग लेंगे, और उनको एप्वाइन्ट कर देंगे ? नियम बनाने के बारे में अभी इन्होंने केवल लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इनका यह उत्तर पूर्ण है । केवल पद भरने के विषय में आप आश्वासन मांग सकते हैं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या आप ये नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करेंगे या ऐडहाक बेसिस पर कर लेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन के परब्यू में है, उन पर ऐडहाक बेसिस पर भी नियुक्त होने पर, उनकी नियुक्ति तब ही पूर्ण होती है, जब कमीशन से संस्तुति प्राप्त हो जाती है । जहां तक कैन्डीडेट्स उपलब्ध होंगे, उनके विषय में कार्य पूरा किया जायेगा ।

परिवहन विभाग की यात्री बसों व प्राइवेट बसों का प्रधान मंत्री के वाराणसी आगमन पर दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी को यह मालूम हो गया था कि चन्दौली में दिनांक 21 अप्रैल, 1973 को एक सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी द्वारा होने वाला है । इस अवसर पर उस मार्ग पर अतिरिक्त यात्रियों के आने-जाने की सम्भावना थी । वाराणसी-चन्दौली मार्ग एक राष्ट्रीयकृत मार्ग है और इस पर होकर प्राइवेट वाहन भी कारीडोर रिस्ट्रक्शन के साथ चलती है जो चन्दौली से आगे तक जाती हैं इसको देखते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धक वाराणसी ने वाराणसी से चन्दौली तथा अन्य सम्बन्धित मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने की योजना दिनांक 17 अप्रैल, 1973 को बनायी ताकि अतिरिक्त यात्रियों के आने जाने के लिये समुचित व्यवस्था रहे । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अवसर पर कोई अतिरिक्त परमिट नहीं दिये गये और न उनकी ओर से प्राइवेट बसों के मालिकों या चालकों को मुफ्त यात्री ढोने के लिये ही कहा गया ।

2—वाराणसी डिपो से प्रतिदिन 146 बसें चलती हैं । इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक ने 24 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था चन्दौली में की जो निम्न प्रकार लगायी गयीं :—

18 बसें संचालन से निकाल कर चन्दौली में लगायी गयीं और यह बसें उन मार्गों से निकाली गयी थीं जहां पर यातायात कम था और मार्ग की आय भी कम थी या बसें यात्रियों के हिसाब से कुछ अधिक थीं । अतः उन दूसरे मार्गों पर यात्रियों को इस कारण कोई असुविधा नहीं हुई ।

6 बसें वर्कशाप की अतिरिक्त बसों के स्टाक में से लगायी गयीं ।

इस प्रकार 24 अतिरिक्त बसों का संचालन इस अवसर पर किया गया । इन 24 बसों के संचालन के फलस्वरूप दिनांक 21 अप्रल, 1973 को 2842 किलोमीटर अधिक संचालित किया गया और रु0 6326 79 पै0 की आय अधिक प्राप्त हुई । साथ ही साथ 11 पैसे अधिक प्रति किलोमीटर आय बढ़ी और 8531 यात्री अधिक ले जाये गये । कोई भी बस बगैर किराये के नहीं चलायी गयी और प्रत्येक यात्री को नियमानुसार टिकट दिया गया ।

[श्री आबिद अली]

3—स्पष्ट है कि उपरोक्त अतिरिक्त बस संचालन बढ़े हुये यातायात को देखते हुये जन सुविधा तथा निगम को होने वाली आय को दृष्टि में रखते हुये किया गया था न कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिये । जो बसें दूसरे मार्गों से हटायी गयीं थीं उन मार्गों का लोड फैक्टर काफी कम था और फ़्रीक्वीन्सी बस सेवाओं की अधिक थी । एक-एक, दो-दो बसों को वहां से हटाने से उन मार्गों के यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई की कोई शिकायत नहीं बतायी गयी । जब भी किसी मार्ग या क्षेत्र के किसी स्थान पर कोई आसाधारण भीड़ होती है और मार्गों पर यातायात अधिक हो जाता है तो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उस बढ़े हुये यातायात की सुविधा हेतु बसों के संचालन की व्यवस्था करना परिवहन निगम का कर्तव्य हो जाता है । इसी नीति के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक वाराणसी ने उपरोक्त अवसर पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की, यद्यपि किसी भी राजनैतिक दल ने कोई मांग उनसे नहीं की थी । इस व्यवस्था के फलस्वरूप यात्रियों की भीड़ जमा नहीं होने पायी और वे वांछित मार्गों पर सुविधा के साथ आते जाते रहे ।

4—चन्दौली में 21 अप्रैल, 1973 को दो व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गयी । प्रथम श्री नन्द प्रकाश तिवारी जो विद्युत् परिषद् के एक कर्मचारी थे, खम्भें पर चढ़ कर काम करते समय बिजली का धक्का लगकर उनकी मृत्यु हो गयी । दूसरे श्री मोहम्मद नजीर एक ट्रैक्टर संख्या यू0 पी0 एफ0 588 के पहिये के नीचे आ जाने से मृत्यु को प्राप्त हुये । स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों मृत्युयें आकस्मिक थीं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसी भी दल का सम्मेलन होता है तो उस स्थान की सड़कों पर यातायात म बड़ी भारी वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार का आदेश करेंगे कि कांग्रेस क अलावा अन्य दलों का सम्मेलन हो वहां इस प्रकार की सुविधा आपका निगम दे ?

श्री उपाध्यक्ष—

सम्मेलन के लिए नहीं अगर वहां कोई भी लोग जाने वाले हों ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यही तो मैंने कहा । चंदौली में भीड़ कम हुई । चौधरी साहब बनारस गये तो वहां बहुत काफी भीड़ हुई । इंदिरा गांधी जाती हैं वहां भीड़ नहीं होती, चौधरी साहब जहां जाते हैं वहां भीड़ बहुत होती है । किसी भी प्रमुख दल का सम्मेलन हो वहां भीड़ होती है, तो उन दलों को सुविधा नहीं मिली, क्या कारण है कि कांग्रेस सम्मेलन के लिए यह सुविधा दी गयी है, अन्य प्रमुख दलों का सम्मेलन होगा तो उनको भी यह सुविधा दी जायगी ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

श्रीमन्, यह जो व्यवस्था की जाती है इस दृष्टि से नहीं की जाती है कि किस राजनीतिक दल का सम्मेलन हो रहा है । यह इस दृष्टि से की जाती है कि जनता को सुविधा न दी जाय और निगम को आय हो । यह व्यवस्था पहले भी चल रही थी । 1971 में जब कि जनसंघ का आगरा में सम्मेलन हुआ था तो टूंडला और आगरा से भी निगम द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी थी ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

प्रधान मंत्री किसी सार्वजनिक कार्य हेतु अथवा सरकारी कार्य हेतु वहां पधारी थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जनता बतायेगी । यहां प्रश्न केवल इतना है कि जहां किसी दल के सम्मेलन में जनता की भीड़ जाती है तो उसके वहां पहुंचने के लिये व्यवस्था की जाती है, मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

जनता के पैसे की लूट हो रही है। लाखों रुपये इस तरह से खर्च हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह दौरा कर रही हैं ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

दौरे की बात दूसरी है लेकिन क्या सार्वजनिक कार्य के लिये दौरा हो रहा है अथवा सरकारी कार्य हेतु ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस सवाल की इजाजत नहीं देता। सवाल सिर्फ इनका इतना है कि किसी दल का सम्मेलन हो तो लोग उसमें जाना चाहते हैं अथवा नहीं और उसके लिये क्या व्यवस्था की जाय।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

यह जनहित का सवाल है, जनता के पैसे का मामला है। आप को इसकी इजाजत देना चाहिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

18 बसें दूसरे रूट से ली गयीं और उनका उत्तर यह है कि ये बसें वहां अधिक थीं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बनारस की स्थिति यह है कि वहां लोग कम चलते हैं और बसें अधिक हैं और बलिया जिले में बसें हैं ही नहीं और लोग ज्यादा चलते हैं तो इन बसों को वहां ट्रांसफर कर दिया जाय ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह तो लोड फैक्टर की बात है किस दिन कितना ज्यादा लोड हो जाता है। एक सा तो लोड रहता नहीं है। इसलिये बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब वहां पर यह देखा गया कि लोड कम है और वहां से बसें रिलीव की जा सकती हैं किसी को बगैर कष्ट पहुंचाये तो वहां से बसें ले लीं और निगम के लाभ के लिये दूसरी जगह दे दीं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

सारी स्थिति साफ हो जायगी अगर यह बतलाने की कृपा की जाय जो आपने अतिरिक्त 18 बसें चलाईं उसके अलावा वहां कितनी चलती थीं, उनसे प्रति दिन कितनी बुकिंग होती थी और 18 बसें जो ट्रांसफर की गयीं उस दिन तो उनसे कितनी आय हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पूरे ब्योरे का सवाल है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मैं तो एक दिन की आय पूछ रहा हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अलग से इसके लिये प्रश्न कर दें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मंत्री जी अगर इतना बतला दें कि इतना पैसा आया तो बात साफ हो जायगी

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह तो बयान में मौजूद है कि कितने यात्री ढोये गये और कितनी आमदनी हुई ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके परिवार के सदस्यों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां तो कितनी ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

छानबीन करके जो सहायता हो सकती है वह इन ड्यू कोर्स दी जायगी वैसे परिवहन विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

1 मई को मई दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान मंत्री कानपुर पधारीं तो कानपुर के आर0 टी0 ओ0 ने 200 ट्रक्स दिये तथा अन्य स्थानों से 20, 20 ट्रक्स दिलवाये गये तो क्या प्रधान मंत्री की सभा में यात्रियों को फ्री ले जाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल व्यापक है और प्रधान मंत्री से संबंधित है। इससे यह सवाल नहीं उठता है।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, व्यापक सवाल नहीं है। इसकी जानकारी मंत्री जी को है कि कानपुर के आर0 टी0 ओ0 से 200 ट्रकें और अन्य आर0 टी0 ओज0 से 20-20 ट्रकें ली गई, क्या यह सही है ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

मान्यवर, जो विषय हमारे सामने है वह कानपुर से संबंधित नहीं है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई हिदायतें आर0 टी0 ओज0 को नहीं दी गई।

श्री मनोहर लाल---

श्रीमन्, मंत्री जी की जानकारी में है। उनके आदेश हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप आदेश दिखा दें।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यहां पर प्रधान मंत्री जी दौरे पर आयें तो उस समय में कितनी पी0 ए0 सी0, कितनी पुलिस, कितने सी0 आई0 डी0 और कितने पुलिस अधीक्षक आदि लगाये गये और उन पर कितना-कितना खर्चा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह वाराणसी में प्रधान मंत्री द्वारा एक सम्मेलन का उद्घाटन किये जाने से सम्बन्धित प्रश्न था। पुलिस और पी0 ए0 सी0 आदि से संबंधित नहीं था। आपका जो सवाल है वह दूसरा सवाल है....

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

उनके दौरे पर 10-10 लाख रुपया खर्च हो रहा है और उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जो चाहते हैं, उसके लिये दूसरा सवाल पूछ सकते हैं।

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 25––उद्योग तथा अनुदान संख्या 46––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)––

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25––उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,73,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,07,48,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग ने जो काम किये हैं इन वर्षों में, वे तो आपके सामने है ही इस लिये जो चीज आपके सामने है उसको खांमखा के लिये दुहराकर सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं। हम तो आपके सुझावों से लाभान्वित होना चाहते हैं। मैं मोटे तौर पर दो-तीन बातें ही बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष में आपने जिन नीतियों को स्वीकार किया है उनके ऊपर बेशी रकम और बढ़ी है और यह आपको बतला देना आवश्यक समझता हूं कि वह धन क्यों बढ़ा और उसके कारण क्या हैं। ताकि आपको प्रसन्नता पूर्वक उसकी स्वीकृति देने में यह निश्चिन्तता रहे कि इस विभाग ने वाकई अपने फर्ज की अदायगी की है और जो कुछ यह विभाग कर रहा है वह प्रदेश को अग्रसारित करने के लिये उत्तरोत्तर सही रास्ते पर करता रहा है। मोटे तौर पर मैं आपको बतला दूं कि अनुदान संख्या 25 के अन्तर्गत 72–73 के आय व्ययक में 5,58,65,000 रुपये का प्राविधान था और 73–74 के आय-व्ययक में 6,75,24,400 रुपये का प्राविधान किया गया है इस तरह से 1,18,59,400 रुपये की वृद्धि हुई है।

अब आप यह जानना चाहेंगे कि यह वृद्धि आखिर क्यों की जा रही है तो मोटे तौर पर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 48,42,800 रुपये की वृद्धि तो उद्योग तथा खनि कर्म को बढ़ावा देने में तथा टेकनिकल बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में––इस तरह से अन्य योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। उसी के फलस्वरुप यह धनराशि बढ़ी है। आज के बजट में इसके अलावा 36,96,900 रुपये की वृद्धि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने तथा वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये है। पेकमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो उनका वेतन बढ़ेगा ही, और उसके लिये भी रुपये का प्राविधान करना होगा और इसलिये भी इस रकम में वृद्धि हुई है। 11,42,900 रुपये की जो वृद्धि है वह अधिक उत्पादन करने के लिये है ताकि प्रोडक्शन आवश्यक रूप से बढ़ सके, इसलिये यह रकम उसमें सम्मिलित है। 15 लाख रुपये की जो वृद्धि है बलिया तथा झांसी, इन दोनों जिलों में जो नये उद्योग लगेंगे उसके लिये आपने निश्चय किया है कि 10 प्रतिशत राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जायेगी उनके लगाने में, और उसके कारण इस धनराशि का बढ़ना आवश्यक था। क्योंकि आप एक नीति निर्धारित कर चुके हैं और जब उसके तहत वहां उद्योग लगाने के लिये 10 प्रतिशत सहायता देने की बात निश्चित कर चुके है तो उसके लिये भी रुपये का प्राविधान होना आवश्यक था और इसलिये यह रकम उसमें जोड़ी गयी है।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

अनुदान संख्या 46 के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि 72-73 के आय-व्ययक में 12,81,25,000 का प्राविधान किया था लेकिन 73-74 के आय-व्ययक में 15,37,59,900 रुपये का प्राविधान किया गया है। इस तरह से करीब 2,56,34,200 रुपये की वृद्धि प्रस्तुत की गयी है। इस वृद्धि का कारण मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपने औद्योगीकरण की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने के लिये हैं कुछ फैसले लिये और उन फैसलों की तहत में आपने तमाम निगमों की स्थापना की जिन निगमों के जरिये काफी तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश के औद्योगीकरण में काफी वृद्धि हुई है। आपने प्रदेश में उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक वित्त निगम की स्थापना कर दी है और उनके लिये भी धन की मांग की है। मैं मोटे तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य वित्त निगम के लिये आपने 30 लाख रुपये की रकम मांगी है।

राज्य चीनी निगम तो कुछ मिलों को चला रहा है और नयी मिलें लगाने का काम भी आपने उसको सौंपा है। उसके लिये 70 लाख रुपये की रकम देने की बात कही गयी है। पूर्वांचल, बुन्देलखंड और पर्वतीय विकास निगम की स्थापना भी की गयी है। ये तीनों बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, इनको उद्योग के पथ पर अग्रसारित करने के लिये और सहायता उपलब्ध करने के लिये तीनों को मिला कर 25 लाख रुपये की एक छोटी धनराशि की मांग की गयी है। प्रदेश में जो प्रांविशियल इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट कारपोरेशन, जिसको पिकअप के नाम से संज्ञा दी गई है और जो उद्योगों को जो यहां आयें उन पर विचार करके उन उद्योगों को प्रदेश में जल्दी से जल्दी चलाने की दिशा में तकनीकी सहायता तथा अन्य सुविधायें देकर चालू कराये। इस तरह एक संस्था महाराष्ट्र में सीकांग के नाम से स्थापित है। इस प्रकार से हमारे यहां यह एक निगम बना हुआ है। उसको थोड़ी पूंजी की आवश्यकता है। इस लिये इसका प्राविधान रखा गया है ताकि यह रुपया सैंक्शन कराकर इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने में प्रदेश की सहायता करे। इसके लिये 90 लाख रुपये की रकम रखी गई हे।

इसी तरह से स्टेट हैंड लूम और पावर लूम कारपोरेशन को 49 लाख खनिज विकास के लिये रखा गया है। हमारे प्रदेश में यह काम बहुत दिनों से हो रहा था लेकिन इसकी प्रगति तेजी से नहीं हो रही थी। हमारे यहां खानें बहुत कम हैं। इसलिये हमें खनिज पदार्थ अवेलेबिल नहीं हो पाते हैं जिससे हम इस काम को अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सहायता से हमारे यहां यह काम बड़ी तेजी से चालू हुआ है। इसका डायरेक्टरेट काफी अर्से से कायम था। उसने काफी काम किया है। इसके लिये 5 लाख रुपये की रकम रखी गई है। जो राजकीय सरकारी संस्थायें और अन्य संस्थायें, उनके लिये 2 करोड़ 54 लाख रुपया आप से मांगने की अपेक्षा करता हूं ताकि यह रुपया मिलने पर इनका कार्य आगे बढ़ सके।

मैं 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पैसे मांगना ठीक बात है और मैंने बता दिया है कि आप के जरिये से मैं किन कामों के लिये पैसा मांग रहा हूं। लेकिन यह भी बताना आवश्यक है कि हमने जिन निगमों को बनाया है वे किस तरह से आगे चले और उन्होंने कैसे अपना काम किया और क्या प्रगति की जिससे विभाग के काम का ठीक-ठीक मूल्यांकन हो सके। मैं मोटी-मोटी बातें आप के सामने रखना चाहूंगा।

सबसे पहले आप गन्ना उद्योग ले लीजिये। आपने आज से दो वर्ष पहले देखा होगा कि बराबर काश्तकार के सामने यह समस्या रही कि गन्ने का दाम समय पर उनको नहीं मिल सका। सरकार के सामने यह प्रश्न बराबर रहा और आप लोगों का भी इधर ध्यान रहा

है कि परचेजटैक्स जो मिलों मे वसूल होना चाहिये था वह नहीं होता था। इस दिशा में मै आपक द्वारा कहना चाहूंगा कि इस समय पर 150 करोड़ रुपये की गन्ने की खरीदारी हुई है और 138 करोड़ रुपया काश्तकार को दिया जा चुका है और केवल 12 करोड़ रुपया बाकी रह गया है। यह 14 दिनों की पिराई का है। जो भी फैक्ट्री जल्दी इसका पेमेंट नहीं करेगी उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही होगी ।

उदाहरण के तौर पर चार फैक्टरियां हैं जिन्होंने 14 दिन से ज्यादा समय ले लिया है, उनके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है । वे फैक्टरीज हैं रुहाना, बैतालपुर, पिपराइच, तथा सहारनपुर । बैतालपुर में रिसीवर मुकर्रर हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा वह पुराने मैनेजमेंट के ही हाथ मे हैं। मैं इसलिये बता रहा हूं कि आप आश्वस्त रह सकें कि काश्तकारों का पैसा समय पर प्राप्त हो जायेगा और नियमों का ठीक से पालन भी किया जाय। परचेज टैक्स में इस साल रिकार्ड कलेक्शन हुआ है। आज जब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो इस समय तक आप के प्रदेश में 6 करोड़ 94 लाख रूपए का रिकार्ड कलेक्शन हुआ है। इतना पैसा सरकारी खजाने में जा चुका है जबकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी रकम इस कर की वसूल नहीं हुई थी। बराबर सदन के माननीय सदस्य सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाते थे और कहते थे कि इसकी वसूली में सुस्ती होती है। यह हमारी कार्यपटता का आपके सामने एक ज्वलन्त उदाहरण है ।

जहां तक आपके दूसरे कारपोरेशन्स का प्रश्न है मैं निवेदन करूंगा कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन जिसका काम जमीन डेवलपमेंट कर के प्लाट बना कर देने का है, उसने भी पिछले साल की अपेक्षा जो काम किया है। 1–4–73 को औद्योगिक क्षेत्र 4000 एकड़ हो गया है जब कि वह 1 अप्रैल सन् 71 को केवल 2500 करोड़ ही था। इससे आप को ज्ञात होगा कि पिछले सालों में कितनी प्रगति इस दिशा में भी हुई है और कितना प्रयास उद्योगों को लगाने का हुआ है ।

इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में भी निवेदन करूंगा कि इस समय तक 992 शेड और 932 प्लाट एलाट हुये हैं जिन पर उद्योग शिविर कार्यरत हो चुके ह या कार्यरत होने की स्थिति में अपने को ला रहे हैं। यू0पी0एफ0सी0 से 5 करोड़ 7 लाख का कर्ज इससे पहले बाटा गया था और इस साल 6 करोड़ 20 लाख रुपया बाटा गया है। इससे औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ाने के लिये और लोगों को रोजीरोटी देने के लिये प्रयास हुआ है। लोगों को 81 लाख रूपए की मशीनरी भी हायर परचेज पर दी जा चुकी है और इस तरह से 228 पार्टी कार्यरत है और इस तरह से उद्योगों को तेजी से बढ़ाया गया है। इन तमाम बातों को कहते हुये मैं अब अधिक समय माननीय सदस्यों का नहीं लूंगा और अन्त में मैं आशा करता हूं कि हमारे इन कामों को देखने समझने के बाद क्योंकि उनके सामने सब चीजें ज्वलन्त रुप से उनके सामने चमकती ह जैसे सूरज चमकता है कि सदन इन अनुदानों का समर्थन करेगा। यदि आप के सुझाव होंगे तो आपकी भावना का सहारा लेकर हम उनसे लाभान्वित होंगे और आपके दिग्दर्शन पर चल कर जो हमारी त्रुटियां बताई जायेंगी उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आशा है कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे ।

इन शब्दों के साथ आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अनुदान संख्या 25 व 46 के संबंध में जो हमने प्रस्ताव रखा है और जो थोड़ा सा मैंने अभी निवेदन किया है: उसको सुनने के बाद हमारे कार्य कलापों से माननीय सदस्य मुतमईन हो गये होंगे और प्रसन्नतापूर्वक इन अनुदानों को पास करेंगे। यदि सुझाव हमें दिये जायेंगे तो हमें वह ग्राह्य होंगे।

*श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन अनुदानों के संबंध में जो कागज और साहित्य हमें मिला है वह आज ही मिला है। सरकार को यह सब पहले से देना चाहिये था। उद्योग की प्रगति की रिपोर्ट आज हमें मिली है तो हम इसे पढ़ कर आलोचना कर सकते हैं और पहले से समझ सकते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सब पहले से दिया जाता तो हमें बहुत आसानी होती और हमारे साथ न्याय होता।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 25 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 46 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह तो सभी को मालूम है कि हमारा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की समस्यायें भी किसी से छिपी नहीं है। यह कृषि प्रधान प्रदेश है और इसकी 70 प्रतिशत जनता किसानों के रूप में खलिहानों में काम करती है, उद्योग में तो बहुत कम आते हैं। खेती के लिये तो कह सकते हैं कि हमारी उन्नति हुयी है लेकिन जहां तक आर्थिक ढांचे का सवाल है उद्योग में बहुत उन्नति नहीं हुयी है। यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं की गयी है जिससे यहां के उद्योग कायम रह सकें। जो निगम हैं और जो उनकी प्रणाली है उन चीजों को देखने से यह प्रतीत होता है कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने उन्हीं चीजों को बताया जो बड़े उद्योगों की सहायक होती हैं यह नहीं देखा कि पब्लिक क्या चाहती है कि प्रदेश में छोटे उद्योग बनने चाहिये। आज प्रदेश उद्योग के मामले में बहुत पीछे हट गया है। यदि हम को बताया जाता कि किन-किन उद्योगों की आवश्यकता है तो शायद हम को पता लगता कि सरकार कुछ करने भी जा रही है या नहीं लेकिन सिर्फ इतनी चीज बतायी गयी कि हम इतना रुपया मांग रहे हैं, इतना रुपया लगा रहे हैं, यह कोई दलील नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आज निगमों की संख्या बढा दी गयी है और यह बात बड़ी प्रसन्नता से बतलायी। किस निगम ने क्या किया? आपने बताया कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं प्रसार हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक फाइनेंस कारपोरेशन की भी बात बतलायी। लेकिन यह नहीं बताया कि आज तक कितने लोगों को उद्योगों के लिये कर्जा दिया है। हालांकि आपने बैंक्स का नेशनेलाइजेशन कर दिया है लेकिन कितने छोटे उद्योगों के लिये ऋण दिया गया है? जो दिया भी गया है वह बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों को दिया गया है, छोटे आदमियों को नहीं दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जो बड़े-बड़े उद्योग-पति होते हैं, उनके यहां पर आदमी रहते हैं और जो कानपुर में बैठे-बैठे चाहते हैं वे इनके द्वारा यहां से करवा लेते हैं? उनको कोटा और ऋण मिलता है।

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आपका जो फाइनेंस कारपोरेशन है, वह किस को ऋण देता है, किसी चमार को चमड़े का काम करने के लिये देता है, किसी बढ़ई को किसी लुहार को या गांव में और किसी छोटे उद्योग वालों को देता है? आज गांवों के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि गांवों में कोई उद्योग नहीं रह गया है। खेती के संबंध में सही है कि हमारी उपज बढ़ी है लेकिन आप देखें कि इससे कितने आदमी हमारे बेकार

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हुए हैं । वे लोग क्या-क्या चीजें पैदा करते थे जिनके न होने के कारण वे शहरों की ओर भाग रहे हैं । किसान अब ट्रैक्टर ले लेता है, हालांकि कुछ दिन बाद ये ट्रैक्टर वाले भी रोयेंगे क्योंकि उसके लिये जो आवश्यक चीजें हैं यह सरकार मुहइया नहीं कर पायेगी जैसे हमारा डीजल ही है । आप सोचें कि कितने आदमी बेकार हो गये हैं । ट्यूबवैलों के लगने से कितने आदमी बेकार हो गये हैं । इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो लोग गांवों में बढ़ईगीरी करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, लुहार लोहारी का काम करते थे सब अपने-अपने कामों को छोड़ कर आज शहरों की तरफ भाग रहे हैं । इस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगों को खुलवाकर आज प्रदेश में बड़ी बेरोजगारी पैदा कर दी है । आप देखेंगे कि कुछ दिनों में शहरों के अन्दर भी जगह नहीं मिलेगी । हमारे जो कारपोरेशन्स हैं वे छोटे-छोटे आदमियों को ऋण गृह उद्योगों के लिये बहुत कम देने की चेष्टा करता है ।

दूसरे निगम के बारे में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम बृहत तथा मध्यम उद्योगों की प्रोन्नति व विकास तथा स्थापित करने में वांछित सहायता एवं सहयोग प्रदान करता है । क्या किसी छोटे उद्योग वाले को दिया । जो घरों में बैठकर काम करने वाले लोग हैं, उनको नहीं दिया गया । आज आपने कितनी टैक्सटाइल्स को बन्द कर दिया । आज रुई की कमी के कारण, जिसे आप दूसरे मुल्कों से मगा रहे हैं कितनी टैक्सटाइल्स बन्द करते जा रहे हैं, कितनी लेबर आपकी बेकार होती जा रही है ?

इस तरह से लेबरों को नहीं लिया जा सकता । आज रुई की कितनी भयंकर समस्या प्रदेश के सामने है । आप कितने रुपये की मंगाते हैं ? आज प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर गूदड़ के नाम पर कितना ऊनी कपड़ा मंगाते हैं ? हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 'इंडियन एण्ड डाग्स आर नाट एलाउड' कितने शर्म की बात है । हम दूसरे के पहने हुये कपड़ों पर आश्रित हैं, यह कितने शर्म की बात है । इंदिरा कौन सी शान लेकर दूसरे देशों को जायेंगी, जिनके देश के लोग गूदड़ पहनते हैं । आज हमारे यहां रुई भी नहीं पैदा होती अपनी जरूरत भर को, और कहते हैं कि निगम यह काम कर रहा है । शर्म की बात है । हम कैसे कह सकते हैं कि निगम अच्छा काम कर रहा है।

आज लाखों आदमी बेकार हैं । इसको पूंजीपतियों और मिल मालिकों से पूछिये । करोड़ों रुपये का कपड़ा दूसरे देशों से मांगते है । हम दूसरों के सामने मुंह नहीं उठा सकते । कहते हैं कि चीनी मिलों का नेशनलाइजेशन करेंगे लेकिन अब तक नहीं कर पाये है । क्यों नहीं कर पाये हैं ? क्योंकि उनसे इनको लाभ होता है । आप कहते हैं कि हम बेकारी मिटाना चाहते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप बेकारी नहीं मिटा सकते, जब तक कि इन मिलों को अपने हाथ में नहीं लेंगे । तो इसकी ओर सरकार ध्यान दे । अब आइये सीमेंट के मसले पर । सीमेंट के बारे में क्या हो रहा है ? कौन ले रहा है सीमेंट ? मान्यवर, ब्लैक में सीमेंट बिक रही है । आज सीमेंट किस भाव बिक रही है और क्यों बिक रही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

मान्यवर, इंडस्ट्रियल इस्टेट के माध्यम से प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है । लेकिन आज सुविधा किसको मिल रही है ? बड़े-बड़े पूंजीपतियों को । अलीगढ़ इंडस्ट्रियल इस्टेट है लेकिन वहां छोटे-छोटे उद्योग आज पनप नहीं पा रहे हैं । उनको रा-मैटीरियल नहीं मिल पाता है । ब्लैक मार्केटिंग चल रही है । भला आदमी वहां काम नहीं कर पा रहा है । आपने कितना सामान छोटे उद्योगों वालों को दिया ? मान्यवर, एक सज्जन हैं, जिनके पास पांच-पांच फर्म हैं और वे खुद कानपुर में रहते हैं । आज बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है । मैं डाइरेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि यहां किस इंडस्ट्री को देखा है कि उसको ठीक से मैटीरियल मिल पा रहा है कि नहीं ।

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

मान्यवर, अलीगढ़ में घर-घर में ताले बनते हैं । इस तरह का उद्योग जापान और एकाध कंट्री को छोड़कर कहीं नहीं होता है । लेकिन आज अलीगढ़ में यह उद्योग फेल होता जा रहा है । क्योंकि निगम ने आज कोई सामान उनको देने की कोशिश नहीं की । आगरे में आपने एक गोदाम बैठाल दिया । उनके पास कोई अच्छे पुर्जे नहीं, तांबे और पीतल के । छोटे-छोटे उद्योगों को रा-मैटीरियल देने की कोशिश नहीं करते । अलीगढ़ में लाक एसोशियेशन में 400/500 मेम्बर हैं। उन मेम्बरों से पूछा जाय कि क्या उन्हें भी तालों के लिये कोई चीज मिलती है । उन्हें कुछ नहीं मिलता । यह हमारे निगम का काम है कि उनको सुविधा प्रदान करे । अब मैं आपको वस्त्रों के निर्यात हेतु सहायता प्रदान करने के संबंध में कुछ बात कहना चाहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है लेकिन रा-मैटीरियल न मिलने के कारण उनकी जो चीज बनती है वह ज्यादा मंहगी पड़ती है और बिकती है सस्ती । इस कारण से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है । अलीगढ़ में ताला बनाने वालों को कोई भी चीज नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो हाई रेट पर । नतीजा यह है कि छोटे-छोटे उद्योग वाले अपने काम को बन्द करते जा रहे हैं और गरीब आदमी तड़प रहा है। हमारे निगम का यह काम होना चाहिये कि कम से कम वह इस बात को देखे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है उनका । एक दूसरी बात इसी सम्बन्ध में यह है कि 12 हजार के ऊपर सेल्स टैक्स हैं । चीजें तेज होने के कारण उनकी बिक्री ज्यादा होती है और उनको टैक्स भी देना होता है क्योंकि वह अगर बिक्री फिक्स करते हैं तो ज्यादा बिक्री पर करते है । आप इसको भी देखें ।

मान्यवर, आज कोयला मिल नहीं रहा है । आप तो जानते ही हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि आज कल कोयले का क्या हाल है । कोयला न मिलने के कारण छोटे-छोटे लोग अपना काम छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं । एक तो वे कमजोर वर्ग के हैं हीं, दूसरे उनका काम भी बिना कोयले के समाप्त होता जा रहा है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बुनकरों को सूत नहीं दे पा रहे हैं और नतीजा यह है कि लोग चिल्ला रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह निगम क्यों नहीं उनके लिये सूत का प्रबन्ध करता । यह एम0 एम0 सी0 टी0 भी एक बुरी बला है । पिछले साल कह रहे थे कि इनके आप एजेंट बन जायेंगे, मैं कह नहीं सकता कि एजेंट बने कि नहीं क्योंकि मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इनसे माल किस तरह से आयेगा क्योंकि इनके आफिस तो कलकत्ता-बम्बई और मद्रास में हैं और छोटा आदमी इनसे सामान नहीं मंगवा सकता, सिवाये बड़े आदमी के मुझे नहीं मालूम कि इस संबंध में क्या हुआ । आज छोटे आदमी सिवाय ब्लैक में सामान लेने के कहीं दूसरी जगह से माल पा ही नहीं सकता ....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, दो बजकर पांच मिनट हो गया है । कोरम का अभाव है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामप्रसाद देशमुख—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि जितने निगम बनाये गये हैं वह बड़े लोगों का काम करते हैं । छोटे लोगों का काम यह नहीं करते । इनका तरीका है कि बड़े आदमी जायं और शेयर्स ले लें । अब मैं उत्पादन की बात करना चाहता हूं । यह कहते है कि उत्पादन बढ़ा रहे हैं लेकिन किसी भी क्षत्र की बात ले लें, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । मैं इस साल की ही बात करता हूं । किसी चीज को ले लें । गल्ले को ले लें । इन्होंने बिजली नहीं दी । पानी नहीं मिला । यही हालत इंडस्ट्री में हुई । उसमें भी बिजली

की कटौती हुई । प्रोडक्शन कम हुआ । लेबर परेशान हुआ । जो ऐसे प्रोसेस थे, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या पालिशिंग, जो 24 घंटे के थे वह बन्द हो गये । बड़े बड़े उद्योगों को तो चाहे इन्होंने दबाव में बिजली दे दी हो लेकिन छोटे उद्योगों को नहीं दी । मेरे क्षेत्र में एक ग्लाश फैक्टरी है । बिजली बन्द हो गयी । 600 आदमी बेकार हो गये । चौदह या 21 दिन के लिये बिजली काट दी । हमने कहा था कि 15 दिन के लिये आधा आधा कर लें लेकिन नहीं किया । हमारी पार्टी का तो उद्देश्य है कि छोटी इंडस्ट्रीज के बगैर काम नहीं हो सकता । गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ सकता ।

आज पढे लिखे आदमी इतनी ज्यादा तादाद में निकल रहे हैं और बेकारी बढ़ती जा रही है । प्रधान मंत्री बरेली गयी थी । उन्होंने भी 'सेटिंग अप आफ काटेज इंडस्ट्रीज' पर जोर दिया । प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिये । उन्होंने जापान की भी मिसाल दी । 8 अप्रैल 1973 के नेशनल हेराल्ड में प्रधान मंत्री ने कहा है––

"The Prime Minister said that a modern country did need big industries but it was now felt that whenever a big industry came up, it created many complications and social tensions. She gave the example of Japan where phenomenal progress had been made, specially in industry. It had led to so much polution that people had now started dying on account of it. There was an outcry in Japan against industrialisation and people wanted to stop t."

आप तरक्की की बात करते हैं । कुछ चीजों में तरक्की हुयी है । पहले गल्ला एक रुपये में 15–20 सेर मिलता था परन्तु अब एक रुपये में एक किलोग्राम मिलता है । जहां चोरियां, डकैतियां कम होती थीं वहां अब व ज्यादा होती है । पहले घी दूध खाने को मिलता था अब चाय मिलती है । जहां पहले पहनने को वस्त्र मिलते थे, अब उतरन मिलती है । तो प्रोग्रेस तो बहुत हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद के लोग चिल्ला रहे हैं । वहां कोयले का अभाव हो गया है । मुख्य मंत्री जी भी गये थे । हजारों आदमी बेकार हो गये हैं । आज इनकी हालत यह है कि कोई चीज नहीं दे पा रहे हैं न लोहा देते हैं, न सीमेंट देते हैं, न कोयला देते हैं और न बिजली देते हैं । कपड़ा निगम बनाया । मैं पूछता हूं किस को कपड़ा मिल रहा है । छोटे-छोटे उद्योगों से ही बेकारी दूर हो सकती है ।

आगरे में चमड़े में क्या हो रहा है । लाखों आदमी बेकार हो गये हैं । उनको चीजें क्यों नहीं मुहैया की जाती हैं ? बड़े बड़े लोगों को तो मिल जायेंगी परन्तु छोटे लोगों को नहीं मिलेंगी । अलीगढ़, फिरोजाबाद व आगरा में जहां छोटे-छोटे लोग काम करते हैं आप कुछ नहीं दे पाते हैं । एक तरक्की इन्होंने जरूर की कि सब लोगों को शहर में ला कर पटक दिया और आज उनके खाने की समस्या बन गयी है ।

मान्यवर, यह खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रतिवेदन है । यह बात तो समझ में आती है कि बोर्ड गरीब लोगों को सोसाइटी बना कर कुछ रुपया देना चाहता है । कुछ दिया भी है । म यह कह रहा हूं कि इनसे ही पूछ लें कि कमजोर वर्ग के लोगों को इन्होंने कितना लाभ पहुंचाया है । इसका मूल्यांकन करके देख लें । इसमें बहुत से लोग घुस गये हैं । मेरे ही जिले में एक साहब तो नटवर लाल हैं । उन्होंने सारी जिन्दगी सोसाइटियों में ही बितायी है । 2 महीने हुए 2 सोसाइटी बना

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

लो । एक तो उस लड़के के नाम से जो मर गया है और एक बहू के नाम से जो कानपुर में रहती है । आप उस आदमी की जांच करा लें कि उनका पिछला रिकार्ड कैसा है। वे जिन्दगी भर कोआपरेटिव में रहे और अब माननीय बलदेव सिंह आर्य जी के साथ बुनकरों में घुस गये हैं ।

श्री यादवेंद्र सिंह--

उनका नाम बता दें ।

श्री राम प्रसाद देशमुख--

नाम भी बता दूंगा । माननीय राम लाल भाई बता देंगे । इन्होंने तो आश्वासन दिया था । इनसे ही पूछ लेना, सामने बैठे हैं ऐसी कौन सी बात है ?

आप देखें चर्म उद्योग में सरकार की नीति क्या है ? ये सही बात सुनने को तैयार नहीं होते कहीं इनके लूपहोल्स न खुल जायं । हमारा उद्देश्य यह नहीं है । हम तो सहयोग देने वाले रहे हैं उन चीजों पर तो आप ध्यान दीजिये । मैं तो उस तबके से आता हूं जिसे इसकी जानकारी है । 20 साल हो गये हैं जानकारी करते हुए । आज तो बेईमानी का बोलबाला है, ईमानदारी को कोई नहीं पूछता है । इसलिये मुझे यह सब कहना पड़ रहा है ।

पहले गरीबों को देखना चाहिये । यह नहीं कि 2 आदमी आये और एक मेम्बर की आड़ में शिकार खेलने लगे । आज सोसाइटीज में हो क्या रहा है? वे फेल इसलिये हो गयी हैं क्योंकि कुछ ही लोग उनमें घुस गये हैं और वही अपना उल्लू सीधा करके तरक्की करना चाहते हैं । खादी ग्रामोद्योग ही ऐसी संस्था है जो गांव के लोगों को लाभ पहुंचा सकती है । फैक्टरी ऐक्ट ऐसा है कि जिसके अन्तर्गत वे लोग गरीबों को निकालते रहते हैं । न उनको बोनस का सवाल है और न उनकी परमानेंसी का सवाल है । छोटे छोटे उद्योग गांवों में स्थापित होने चाहिये । शहरों में तो मकान की ही एक बड़ी प्राब्लम है। तो वह कहां कहां जायं, किसी जगह रहने का साधन नहीं है । छोटे छोटे उद्योगों में उनको लगा दिया जाय तो सुविधा मिलेगी ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने सवाल बैंक से ऋण लेने का है । बैंक से ऋण बड़े बड़े लोगों को ही मिलता । आज तक शायद ही किसी छोटे आदमी को यह ऋण मिला हो । छोटे लोगों को ब्याज भी कम करने की बात आती है । ऐसे लोग ऋण पा जाते हैं जिनके पास भूमि भी नहीं है लेकिन छोटा आदमी खाना पूरी न कर सकने के कारण ऋण से वंचित हो जाता है । तो इन लोगों को छोटे उद्योगों के लिये ऋण दिया जाय । इनको जब ऋण की बात आती है तो कहा जाता है कि मशीनरी खरीदें लेकिन चमड़े का काम करने वाला, लोहारी करने वाला या दर्जी का काम करने वाला क्या मशीनरी खरीदेगा । हमें तो मैन पावर का इस्तेमाल करना है । आज जो बड़ी-बड़ी फैक्टरीज लग रही है उनमें भूमि भी बहुत जा रही है और अगर उनको बनाने के लिये रा-मैटीरिअल न मिल सका, बहुत सा आदमी भी बेकार हो जाता ह । तो छोटे-छोटे उद्योग लगाइये ।

इन्डस्ट्रियल लोन की भी बहुत बात की जाती है और यह भी कहा जाता है कि छोटे लोगों से ब्याज नहीं लेंगे । तो लोगों की जो चल अचल सम्पत्ति है उस पर यह लोन मिलना चाहिये । आपके यहां जब इलाहाबाद में बैठक हुई थी तो विकेन्द्रीकरण की बात आई थी । यह कहा गया था कि विकेन्द्रीकरण हो जाने से आसानी होगी।

आसानी से सामान इससे मिल सकेगा । छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । सर्टीफिकेट सी भी उनको मिलना चाहिये । आज बड़े-बड़े व्यक्तियों को ही लायसेंस मिलते हैं । हमारे यहां जन-संख्या बहुत अधिक है । इनको छोटे-छोटे उद्योगों में ही खपाया जा सकता है । बड़े आदमी को लायसेंस मिलता है और छोटा आदमी उसमें मजदूरी करता है । इससे मजदूर को प्राफिट नहीं मिल पाता है । अभी मैं कोयले की कमी के बारे में बतला रहा था । फिरोजाबाद में कोयले की कमी के बारे में 25–4–73 को यहां एक सवाल भी उठा था । उत्तर में कहा गया था कि जांच कराई जा रही है । तो उद्योग वालों को अगर कोयले की परेशानी है तो बिजली दीजिये जिससे काम चालू रह सके ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना चाहता हूं कि समाज का जो पिछड़ा अंग है, परिगणित जाति में लोग हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं जो सैकड़ों पेड़ों को काट-काट कर जमीन तैयार करते हैं, अपनी मेहनत से कूट कूट-कर सड़क और महल तैयार करते हैं वह भूखे मर रहे हैं और ठेकेदार उनके परिश्रम पर मौज कर रहे हैं । उनकी मेहनत को ओवरसियर, इंजीनियर और ठेकेदार मारते हैं और गरीब आदमी वहीं का वहीं रह जाता है । तो छोटे वर्ग के लोगों को इंडिपेन्डैन्ट कर दिया जाय । या तो उनकी सोसाइटी बनवा दी जाय, जैसे मैहारी का काम करते हैं तो अगर वह इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो ब्लैकमेल नहीं करेगा और इस प्रकार से उसको रोजी मिलेगी, देश की बेकारी और गरीबी दूर होगी । इसी तरह से लकड़ी के काम वाले हैं । मेहनत-मजदूरी करते हैं और मुनाफा फर्नीचर काम करने वाला बड़ा आदमी ले जाता है । आज गरीब और गरीब और मालदार ज्यादा मालदार होते जा रहे हैं । यही हालत इर्रीगेशन या पी0 डब्ल0 डी0 सभी जगह दिखाई देती है । या तो उनको पूरा सामान दीजिये या उनकी सोसाइटी बनाइये।

इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो देश को आगे बढ़ाती है, जैसे कि जापान आदि मुल्क आगे बढ़ गये । हमारे देश में उद्योगों की तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया । हम उन चीजों की प्लान ही बनाते रहे, कमी कोई प्लान बनाई कमी कोई और इस प्रकार प्लानबाजी में ही हम रह गये । हमने कोई प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाया जिसकी बहुत जरूरत है । आज उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम उन चीजों को देखता है । उनकी रिपोर्ट हमें बाद में मिली है । उन्होंने कहा है कि हमने कच्चा माल दूसरे लोगों को देने में सुविधायें की हैं । लेकिन हालत यह है कि उद्योगपति हमारे यहां आना भी पसन्द नहीं करते । हमारे यहां एक हिन्दुस्तान कम्पनी है उसके यहां जस्ता, अल्युमिनियम वगैरह के सिलसिले में लोगों ने काफी रुपया दिया लेकिन वह वापस नहीं हो पाया । आप नियंत्रण रक्खें कि उद्योग निगम क्यों नहीं उन चीजों को देखता । बुनकरों का, जूते वालों का, सब का सवाल ऐसे ही अटका हुआ है । आप एक कमेटी बना करके इन चीजों को देखें । हमें यही पता नहीं है कि कौन उद्योग है ।

आज आप देखें कि गाजियाबाद की तरफ जायं तो कोई आना पसन्द नहीं करता, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या जायं जहां न जमीन मिलती है न सामान मिलता है । वे हरियाणा और पंजाब की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां आन दि स्पाट जमीन और रुपया दोनों हैं यहां बिजली तक नहीं मिलती । गरीबी और बेकारी के यही दो कारण हैं कि हमने यह अनैलेसिस नहीं की कि कौन आदमी किस काम को करता है । यहां जो इंजीनियर हैं उनको कहीं ऐडजस्ट नहीं कर पाते । आई0टी0आई0 में पढ़ने वालों को कभी ऐडजस्ट नहीं कर पाते । हर जगह आपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल रहे ह । उनमें वही लड़के जाते हैं जो निकम्म गुंडे और बदमाश होते हैं । आप टेक्निकल इंस्टीट्यूटस में यह व्यवस्था तो करें कि इतनी फाइनैन्शल एड देंगे । एसा न करने से नतीजा यह है कि वह इंस्टीट्यूशन्स भी फेल होने वाले हैं क्योंकि गारजियन्स यह सोचते हैं कि नतीजा कुछ होने वाला नहीं है ।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

इंडस्ट्री आप पनपाना चाहते हैं तो यही तरीका है कि सरकार खुद देखें । हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहां नहीं हैं । आपको बैठाल दिया है । आप जा कर देखें कि जो आदमी काम कर रहे हैं वह किस तरह से कर रहे हैं और उनकी क्या हालत है । आप अलीगढ़ जायं तो मैं आपको दिखला दं कि लोग किस तरह काम करते हैं और उनकी हालत क्या हो रही है । उनको रोटी मयस्सर नहीं होती है । एक तो उनको सामान नहीं मिल पाता है तथा सेल्स टैक्स के कारण भी वह परेशान है । 12 हजार तक की आपने छूट दे रखी है । लेकिन आपके सेल्सटैक्स आफिसर मानते नहीं हैं । वे 14 हजार पर असैस करते हैं । यह देखते नहीं कि कास्ट कितनी लगी है । रा मैटीरियल की आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिये । आज 30–40 रुपये क्विंटल कोयला मिल रहा है । ऐसे कैसे काम चलेगा । अगर इसकी व्यवस्था आप कर दें तो बड़ा उपकार होगा । बड़े उद्योगों के खोलने से वही लोग माल मारते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जितनी बातें कही हैं मैं समझता हूं कि सरकार उन पर ध्यान देगी । सरकार से लिटरेचर अगर पहले से मिल जाता तो शायद मैं कुछ और बोलता । हमारा इतना बड़ा प्रदेश है । तीन-तीन प्राइम मिनिस्टर्स देने के बाद भी यह प्रदेश क्यों पिछड़ा रह गया । इसका मुख्य कारण मैंने बतला दिया कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया । जब तक आप छोटे उद्योगों की तरफ, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है ।

एक यह पुस्तिका है, 'उत्तर प्रदेश उद्योग के पथ पर' । मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे उद्योग के पथ पर है । अगर हम देखेंगे कि हमारे प्रदेश में यह काम हो रहा है तो कौन कटौती का प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगा । लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं हम विरोध पक्ष के लोग यही कर सकते हैं कि सरकार की जानकारी में लायें । सरकार को उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये । लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह हर चीज छिपाने की कोशिश करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में उठा हूं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में अभी भी अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है । पुराने आंकड़ों के हिसाब से 75 प्रतिशत लोग कृषि पर थे, पिछले कुछ वर्षों में 2 प्रतिशत घटी है । इस प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये 20 करोड़ रुपये का यह बजट है । प्रदेश की स्थिति को देखते हुये यह बहुत ही कम है । विश्व की आबादी के हिसाब से हमारे प्रदेश का 9वां नम्बर है । इसको मद्देनजर रखते हुये ही हमको अपने प्रदेश के औद्योगीकरण की रूपरेखा बनानी चाहिये । हमारे यहां इस समय लगभग साढ़े 28 हजार लोग टेक्निकल शिक्षा प्राप्त किये हुये बेकार बैठे हैं। आठ लाख लोग अन्य शिक्षित बेकार हैं । इस सब के लिये यह 20 करोड़ रुपया बहुत कम रखा गया है । आगे आने वाले वर्षों में इन बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी ।

मान्यवर, उद्योग के नाम पर पहले हमारे प्रदेश में चीनी मिलें ही थीं । उनकी हालत भी यह थी कि वे 3–4 माह ही चलती थीं । लोगों को इससे स्थायी रोजगार नहीं मिलता था । उसके बाद सूती कपड़े की कुछ मिलें कानपुर में स्थापित हुई । आज यह सब मिलें भी 40–45 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं । इनकी भी ऐसी दुर्व्यवस्था रहती है कि उत्पादन ठीक नहीं हो पाता । जब उत्पादन नहीं होगा तो प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इसके अतिरिक्त बनस्पति का भी उद्योग है । किन्तु अन्य कई खनिज पदार्थ ऐसे हमारे यहां पाये जाते हैं जिनके उद्योग आसानी से लगाये जा सकते हैं । अतः मान्यवर, मैं कुछ सुझाव जो मुख्य हैं, आपके सामने रखना चाहता हूं ।

हमारे यहां सबसे बड़ा लघु उद्योग बुनकरों का है । यह लोग सूत पर ही निर्भर करते हैं । युग बदल रहा है । हरियाणा, गोआ आदि में हमने देखा है कि वहां बुनकर लोग टेरीकाट तथा टैरीऊल आदि का कपड़ा भी तैयार करने लगे हैं । उसके माध्यम से वहां हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है । वे लोग स्वेटर व मोजा आदि भी बुनते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने यहां भी बुनकरों के लिये टेरीकाट तथा टैरीऊल से बिनवाने की व्यवस्था करायें । गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी आदि के क्षेत्रों में इस उद्योग को डेवलप किया जा सकता है । इसके लिये बहुत बड़े धन की जरूरत भी नहीं होगी । एक दो करोड़ की लागत से यह उद्योग डेवलप किया जा सकता है । आज नायलान की मांग भी बढ़ती जा रही है कुर्सी भी उसी से बुनी जाती हैं, पाइप लाइनें तक उसी की बन रही हैं । उसका उपयोग दिन पर दिन बहुत बढ़ रहा है ।

श्रीमन्, अपने प्रदेश में भी इसका एक उद्योग स्थापित होना चाहिये । यह नाईलोन उद्योग एक बेसिक उद्योग है । इसके वजह से अन्य तमाम एन्सेलरीज इन्डस्ट्रीज चलने की सम्भावना काफी हद तक है, जिससे तमाम लोगों का रोजगार मिलेगा । एक अनुरोध और करना चाहता हूं हमारे प्रदेश में मेटल के नाम पर एक मात्र अल्यूमिनियम उद्योग है । जो इस देश में सबसे बड़ा उद्योग है । लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन में हमेशा कुछ बातें ऐसी रखी गई हैं, जिससे इस उद्योग का नाश हो रहा है । उसके एक्शटेंशन की स्कीम थी, जिसमें 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगी थी । उसमें 3 हजार व्यक्ति रोजगार में लगे हुये थे, किन्तु वह समाप्त कर दी गई, जिसके फलस्वरूप 3 हजार श्रमिक हटा दिये गये । चूंकि एक्शपैंशन का काम रुक गया है । प्रदेश में बिजली का यद्यपि संकट है फिर प्रदेश सरकार को इस महती उद्योग के महत्व को देखते हुये उसकी मांग के अनुसार 10 मैगावाट बिजली उसे अवश्य देनी चाहिये, जिससे वह प्रारम्भ हो सके ।

अल्मूनियम प्रोडक्शन की आज हमारी योजना है । जो नई स्थिति है, प्रदेश में विद्युतीकरण होना है और उसके लिये जितनी बिजली लाइनें लग रही हैं, उसमें अल्मूनियम का प्रयोग होगा एक बड़ी मात्रा में । भारत सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि ट्रांसफारमर में अब तांबे के स्थान पर अब अल्मूनियम की पत्ती का इस्तेमाल किया जाया करे । आज ज्यादा से ज्यादा काम अल्मूनियम पर बेस किया जा रहा है । जो इस प्रदेश में हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा अल्मूनियम उद्योग है, यह सदन उसकी मदद न करके उसको लेकर किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है, जो कि हमारे प्रदेश के लिये हानिकर होगा । अल्मूनियम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । बर्तन अल्मूनियम के बनने लगे हैं । टेबुल-कुर्सी भी उसके बनने लगे हैं । रेलवे के बैगन्स और बसें भी अब अल्मूनियम की ही बनने लगी हैं, उनमें इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है । अब अल्मूनियम का युग आ रहा है । मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने बांदा में बाक्साईट प्राप्त हुआ है, तो वहां पर भी अल्मूनियम उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जाये । पश्चिम में नरौना में इसका उद्योग आ रहा है । मिर्जापुर म एक उद्योग है । बारा क्षेत्र में भी अवश्य स्थापित किया जाये ।

एक अनुरोध और है कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक है कि उस प्रदेश में एक ऐसी जगह हो, जिसे फ़्री-पोर्ट कहते हैं । हमारे भारत में महाराष्ट्र–गुजरात में कांडला फ़्री-पोर्ट है, उड़ीसा में प्रदीप है, बंगाल में हल्दिया है और दिल्ली में ड्राई फ़्री-पोट है । इसको देखते हुये अपने प्रदेश में भी एक फ़्री-पोर्ट अवश्य और शीघ्र होना चाहिये । यह स्थापित किया जाय, तो इससे पूरे प्रदेश का लाभ होगा । इनकी वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड उद्योग है उनके द्वारा निर्मित माल की लागत कम हो जाती है, उनको रा-मैटीरियल की कीमत चूंकि कम लगती है । मशीनरी जो आयेंगी, उन पर ड्यूटी न लगने से उनकी लागत कम आयेगी । भारत सरकार का गंगा कारपोरेशन है, वे फेरी में बोल्डर बिहार और बंगाल ले जाते हैं और वहां

[श्री लोक पति]

से कोयला ले आते हैं । इस तरह से उनको काफी बचत होती है । जिससे निर्मित सामान की कीमत कम आती है और आसानी भी उन्हें रहती है । बलिया में स्टील प्लान्ट इन्डस्ट्री आ रही है, चीनी मिल आ रही है, किन्तु गाजीपुर जिला प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है ।

कृषि के मामले में वह जनपद पिछड़ा है । सारी भूमि ऊसर है । वहां नलकूप गाड़े जायं । तीन-चार सौ फीट के नीचे जल उपलब्ध नहीं है । गंगा के किनारे बसा हुआ है । पुराना नगर है । पहले भी नाव द्वारा वहां व्यापार का गाजीपुर बहुत बड़ा केन्द्र था । मेरा उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर में फ्री पोर्ट खोलें पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार नये लौह उद्योग शुरू करने जा रही है, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राऊरकेला, तथा दो या तीन नये उद्योग पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं । लौह उद्योग के लिये चूना, मैंगनीज, कोयला, और आयरन और चार वस्तुयें बहुत आवश्यक हैं । मेरा अनुरोध है कि मिर्जापुर में सोने के दक्षिणांचल में, वहां सर्वेक्षण हुआ था सबसे अधिक चूना वहां उपलब्ध है । हमारे यहां का चूना भिलाई प्लान्ट को जाता है । जो नयी रेलवे लाइन बन रही है उससे लाइम स्टोन जाने वाला है । कोयला वहां उपलब्ध है । मैंगनीज, वहां है । आयरन और भी वहां मिला है । निम्न कोटि का है । श्रीमन्, तीन चीजें वहां उपलब्ध है । हमारे चारों स्टील प्लान्ट हैं कहीं भी चार में से तीन चीज उपलब्ध नहीं है । आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारी प्रदेशीय सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक बेसिक उद्योग, लौह उद्योग की स्थापना मिर्जापुर के जनपद में या अन्य जगह करे ।

एक अनुरोध और है । खाद्य बजट के समय पर खाद की कमी की बात कही गयी । अपने प्रदेश में आबादी के हिसाब से भी इस देश में सबसे बड़ा है । दुनियां के नवें नम्बर पर आता है, यहां आज भी 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं । हमारे यहां खाद्य की आवश्यकता अधिक होगी । श्रीमन्, एक फर्टीलाइजर फैक्ट्री आपके नरौरा काम्प्लेक्स के अन्तर्गत आ रही है । यह सुना जा रहा है । एक फर्टीलाइजर फैक्टरी का एक्सपेंशन करने के लिये बनारस में, भारत सरकार ने आदेश दे दिया है । एक फर्टीलाइजर फैक्ट्री सम्भवतः पहाड़ में लगाने की बात है । चार पांच साल पहले मिर्जापुर में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिये मूव हुआ था । प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत दे दिया था । वह लाइसेंस नहीं दिया गया । एक दिन खबर थी कि भारत सरकार सहकारिता के क्षेत्र में पांच फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाने वाली है । आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक फर्टीलाइजर की फैक्ट्री चुनार, मिर्जापुर जनपद के पास, मिर्जापुर शहर के पास, देने की व्यवस्था करें जिसके लिये पहले जमीन एक्वायर हो चुकी है । यह मांग इस लिये कर रहा हूं कि मिर्जापुर नगर के 1961 के सेंसस में और 1971 के सेंसस में दस वर्ष के बीच में आबादी के आंकड़े वही हैं, जहां पर पहले आबादी थी वह बढ़ी नहीं । 1 लाख 5 हजार 1961 में थी और 1 लाख 7 हजार आबादी उस नगर की 1971 में थी । इसकी वजह यह है कि वहां पर जीविका का साधन नहीं है । पीतल तांबा का उद्योग था । लौह का उद्योग जो अब मरणासन्न है, पीतल तांबे की कमी हो गयी । इस सम्बन्ध में एक अनुरोध और है ।

आपकी इस उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति एक होनी चाहिये । उस नीति के अन्तर्गत जो भी उद्योग इस प्रदेश में स्थापित हों उनको 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वरीयता देती है । खरीद फरोख्त में लेकिन यह नीति अमल में नहीं लाई जा रही है । इस प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग प्रतिष्ठान राज्य विद्युत परिषद है और इस देश के 9 या 10 औद्योगिक प्रतिष्ठान में से राज्य विद्युत परिषद् आता है । इसमें जितनी खरीद साल भर में होती है उसमें से 80 प्रतिशत प्रदेश के बाहर से होती है और इस प्रकार वह धन प्रदेश के बाहर के उद्योगों को जाता है । अगर सरकार उत्तर प्रदेश के उद्योगों को बचाना चाहती है तो उसे 15 प्रतिशत वरीयता देना चाहिये उस सामान पर जो यहां बन रहा है । अल्मूनियम के कंडक्टर्स की यहां

28 फैक्टरियां हैं और शायद 4,5 करोड़ रुपये के कंडक्टर्स को परचेज राज्य विद्युत परिषद द्वारा हो रही है और उसमें अधिक खरीद प्रदेश के बाहर से हो रही है जबकि आपकी केन्द्रीय सरकार से मांग यह होती है कि आबादी के हिसाब से बैंकों से धन दिया जाय, अनुदान दिया जाय ताकि प्रदेश में स्थापित उद्योग पनप सकें । लेकिन राज्य सरकार की नीति यह हो कि सरकारी विभाग प्रदेश में स्थापित उद्योगों में निर्मित सामान की खरीद को वरीयता न दें । मेरा अनुरोध है कि वह वरीयता देने की नीति का कठोरता से पालन करे । परिवहन तथा सिंचाई विभाग में भी इस नीति की अनुरकरण किया जाय ।

सिंचाई विभाग में नलकूपों के लिये पंपिंग सेट्स खरीदे जाते हैं । प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर में पंपिंग सेट्स बनाने के कारखाने हैं लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा खरीददारी अधिकतर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों से की जाती है । सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े मैं सदन के विचारार्थ रखे देता हूं । इधर कुछ वर्षों में लगभग 9 हजार नलकूप खोदे गये । उनमें से 4726 पंपिंग सेट खरीदे गये । जान्सटन के जिसकी फैक्टरी गाजियाबाद में है। 2134 तथा 618 यानी कुल मिला कर 2800 के लगभग खरीदे गये ज्योति के, जो फैक्टरी बड़ौदा में स्थापित है । 1100 खरीदे गये गार्डेन रीच के जो कलकत्ता में स्थापित है । जो लघु उद्योग हैं हमारे यहां उनमें से डेल्टा के 49 लारको, कानपुर के 34 सहारनपुर के चन्द्रा के 5 पंपिंग सेट्स खरीदें गये । इस तरह से 9 हजार में से 5 हजार बाहर से खरीदे गये । इस तरह से राजस्व की आमदनी एक्साइज ड्यूटी, उस उद्योग की जो इनकम टैक्स देना होता है वह धनराशि बाहर के प्रदेशों को चली जाती है । और बैंक से जो रुपया उद्योग को मिलता उसके लिये वह रुपया भी बाहर के प्रदेश को चला गया । लिहाजा प्रदेशीय सरकार इस उद्योग की नीति की कठोरता से बरते ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये जिलों के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है अन्य प्रदेशों में 25 प्रतिशत सबसिडी ऐसे इलाकों को दी जाती है जब कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड जिलों के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये 10 प्रतिशत सबसिडी ही देता है । यह चीज अन्यायपूर्ण है । अगर उत्तर प्रदेश में यह सबसिडी 25 प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तरह नहीं दी जायगी तो क्या कोई भी उद्योगपति आपके पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने जायेगा ?

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर गौर करें । मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैं श्री राम प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब माननीय त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में समर्थन तो सरकार का किया है लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं उनसे यह साबित होता है कि हमारे उद्योग

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसेन पीठासीन हुये ।)

के क्षेत्र में कहीं न कहीं भूलें हैं, कमियां हैं और उनमें सुधार लाया जाना चाहिये । मेरे अपने दृष्टिकोण से सबसे बड़ी कमी यह है कि इस देश की अधिकतर जनता अभी तक खेती में ही लगी हुई है और यह बात सभी जानते हैं कि आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है, तकनीकी लोग इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं—चाहे वे इन्जीनियर्स हों या और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सतीश चन्द्र]

लोग हों, विभिन्न समस्याएं पैदा करती रहती हैं । मैं समझता हूं कि जितनी हड़तालें होती हैं जितने भी काम इस तरह से होते हैं जिन से कि शासन में व्यवधान उपस्थित होता है, उस सब का कारण यह है कि हमारे यहां तकनीकी बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । उन्हें रोजगार देने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है । इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इन लोगों को रोजगार दिलाकर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिये ।

इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नगर हैं जहां पर कि उद्योग चल रहे हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे एटा और मैनपुरी, जहां पर कि कोई भी अच्छा उद्योग नहीं है । वहां पर इतनी ज्यादा जमीन बेकार पड़ी हुई है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है । वहां पर जी० टी० रोड के किनारे की जमीन उसी प्रकार की है जिस प्रकार की है उसी तरह से वहां भी जमीन बेकार पड़ी है । बड़ा ही फला हुआ वह क्षेत्र है लेकिन कोई उद्योग लगाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है । वहां के इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से आंकड़े मंगाकर देख लिये जायं तो मालूम होगा कि कितनी बड़ी लिस्ट वहां पर बेरोजगारों की है क्यों कि रोजगार करने का कोई साधन नहीं है । यदि आप इस बात पर विचार करें तो निश्चित रूप से इस नतीजे पर आयेंगे कि कोई भी उद्योग जी० टी० रोड के किनारे खोला जा सकता है । आप स्कूटर इन्डस्ट्री यहां खोलने जा रहे हैं । एल्मूनियम का कारखाना खोलने का विचार कर रहे हैं और बहुत से कारखाने खोलन की बातें चल रही हैं । मैं कहता हूं कि वहां पर आप कोई भी उद्योग खोलें, वह सफलतापूर्वक चल सकता है । अतः मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे एटा और मैनपुरी में जहां पर कि ऊसर और बंजर भूमि की एक बहुत बड़ी बेल्ट पड़ी हुई है, जो कि खेती के उपयोग में नहीं लाई जाती है और सड़क के दोनों किनारों पर है, वहां पर उद्योग खोलने का विचार करें ।

एक सबसे गम्भीर समस्या आज हमारे प्रदेश में यह है कि सरकार को छोटे उद्योगों की तरफ जितना ध्यान देना चाहिये था, उतना नहीं दिया जा रहा है । बड़े उद्योगों की ओर ही सरकार देख रही है । गांवों में काम करने वाले जो लोग हैं जैसे बढ़ई, लोहार, चमार, पत्थर काम करने वाले जो लोग हैं उनको यदि थोड़े से साधन और दे दिये जायं तो वे बहुत कम लागत में अच्छी चीजें बना सकते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । प्रदेश में गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं और सरकार ने गेहूं के व्यापार का अधिग्रहण किया है । हालत यह है कि दुकान पर दस-दस आदमी पांच-पांच सौ रुपये की तनख्वाह पर रख दिया गया है लेकिन वहां पर गेहूं उपलब्ध नहीं है । वे 26 रुपया क्विंटल खर्चा ले रहे हैं ।

हमें कोई बनिया आज तक ऐसा नहीं मिला जो 5 रुपये क्विंटल से ज्यादा मुनाफा कमाता हो । बनिया से मेरा मतलब बनिया बिरादरी से नहीं है बल्कि जो बनिया का काम करने वाले हैं । अगर वह 70 रुपये क्विंटल गेहूं लेता है तो 75 रुपये क्विंटल उपभोक्ता को दे देता है लेकिन आप जो 26 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद पर खर्चा कर रहे हैं वह कहां से लेंगे, यह विचार करने की बात है । हम लोगों द्वारा गरीब जनता द्वारा जो टैक्स वे लेते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं फिर भी जितना गेहूं चाहिये उतना आ नहीं पाता है । इसी प्रकार लोहार चमार, बढ़ई, जो अपना काम करते हैं वे कम कीमत पर आपको चीजें दे सकते हैं । जैसे बढ़ई ही है अगर उसे सही लकड़ी लेकर दे दें तो बरेली से जो आप फर्नीचर आदि लेते हैं, उससे कम कीमत पर तीन चौथाई पर आपको अच्छे फर्नीचर दे सकता है । इसी तरह से डबल रोटी का मामला है । आप बड़े आदमियों को बड़ी जगहों पर बड़ी फैक्टरियां लगाने को देते हैं । आपको चाहिये कि इस विभिन्न छोटे-छोटे नगरों में कई स्थानों पर कर दिया जाय तो उससे काफी लोगों को लाभ हो सकता है ।

माननीय त्रिपाठी जी अल्यूमिनियम फैक्टरी को और अधिक बिजली देने की बात कर रहे थे । मुझे ताज्जुब हुआ और यह लगा कि वे बिड़ला की वकालत कर रहे हैं । अगर

अल्यूमिनियम की प्रदेश को और देश को जरूरत है तो गांवों में बहुत सी जगहों पर उसके कारखाने खोलिये और गांव के लोगों को ज्यादा मौका दीजिये । आप इसका विकेन्द्रीयकरण क्यों नहीं करते ? आप यह क्यों चाहते हैं कि जितनी भी बिजली है वह सब हिन्दुस्तान के और प्रदेशों से लाकर मिर्जापुर की अल्यूमिनियम फैक्ट्री को ही दी जाय ? मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं । अगर अल्यूमिनियम की इतनी आवश्यकता है तो आपको चाहिय कि अल्यूमिनियम के कारखानों की जगह-जगह बहुत से स्थानों में स्थापना की जाय । मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के 10 स्थानों पर कम से कम ऐसे कारखाने खोले जाये सकते हैं । जनसंघ का तो यह विश्वास है ही कि किसानों को खेती से सम्बन्धित जितने भी सामान हैं वे कुटीर उद्योग धंध के रूप में गांवों के अन्दर ही बनन के लिये प्रोत्साहित किये जायें । इस तरह से छोटे-छोटे उद्योग धंधे हजार पांच सौ रुपये में लग सकते हैं और गांव के काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है ।

मैं तो कहता हूं कि जब तक जापान के पैटर्न पर यहां के उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और जो बेरोजगारी की समस्या है वह भी हल नहीं हो सकेगी । जापान का एक दूसरा उदाहरण यह देना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं उनमें स्त्रियां भी वहां काम करके मदद करती हैं । जब तक जापान के पटर्न पर आप काम नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां उद्योग पनपने वाले नहीं हैं । जैसे मोटर का कारखाना है, एक मोटर के पचासों छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको अलग-अलग जहग बना कर एक स्थान पर असेम्बिल कर लिया जाता है । इसी तरह से यहां भी किया जाय कि छोटे छोटे पुर्जों को अलग-अलग बना कर उसे एक जगह असेम्बिल किया जाय तो उसे प्रदेश में जगह-जगह कारखान लगाकर काफी लोगों को रोजगार में लगाया जा सकता है ।

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि कुटीर उद्योग के लिये एक अलग निदेशालय होना चाहिये और वह निदेशालय बनने के बाद हर जिल में अधिक से अधिक छोटे स्थानों पर उनके विस्तार व फैलाव के प्रश्न पर विचार करें । प्रदेश में बहुत सी समस्यायें हैं जसा कि श्री राम प्रसाद जी देशमुख ने कहा–सबसे बड़ी समस्या है– मैं माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं करता लेकिन जहां तक सरकार के जो ऊंचे अधिकारी हैं वे चाहते हैं कि उद्योग बढ़े लेकिन वह जिनके हाथ में हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, उनमें इतना भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में फैला हुआ है कि जो गरीब आदमी है वह गरीब ही बनता जा रहा है । लखनऊ और दिल्ली से जो हमारे नारे लगते हैं कि गरीबी मिटायेंगे, उसे सुन कर बड़ी हंसी आती है । आज बड़े आदमी बड़े बनते जा रहे हैं । तेजी और महंगाई प्रदेश के अन्दर मुंह फैलाती जा रही है । डालडा 10 रुपये किलो बिक रहा है । साबुन तो नसीब ही नहीं है, और चीजों के लिये क्या कहा जाय ।

फिरोजाबाद से एक पत्र आया है जिसमें यह लिखा है कि हमारे यहां कोयले की कमी है । यह सच है कि वहां क्या, सब जगह कोयले की कमी है । वैसे वहां पर विशेष कमी के कारण एक छोटा सा पैरा है, इसमें लिखा है कि फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग केन्द्र जिस पर एक लाख आदमी रह रहे हैं, इस पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं और कोयले की कमी के कारण ज्यादातर चूड़ी के कारखाने बन्द पड़े हैं और मजदूरों को बेकारी का शिकार होना पड़ा है । वहां पर कुछ बड़े लोग हैं जिनको कोयले की विशेष सुविधा मिल रही है । हरीराम जी ने इसका श्री गणेश किया था । जो कोयले के डायरेक्टर थे । उनके विषय में लोक सभा में काफी चर्चा हुई थी । अब वही सज्जन नई दिल्ली के कार्यालय की देखभाल कर रहे हैं और कलकत्ते को रिपोर्ट भेजते हैं । इसलिये भ्रष्टाचार फैला हुआ है । छोटे-छोटे कारखानों को कोयला नहीं मिलता है और बड़े कारखानों को खूब मिलता है । फिरोजाबाद में एक लाख 95 हजार मजदूर इन छोटे-छोटे कारखानों में

[श्री सतीश चन्द्र]

काम करते हैं और 5 हजार मजदूर बड़े कारखानों में काम करते हैं, इस तरह से प्रदेश में जो 5/5 नाम से अलग-अलग कारखाने चलाता है, उसको सब जगह सब तरह की सुविधा दी जाती है। लेकिन जो आदमी व्यापार करता है और पोलिटिक्स से दूर है उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। कोयले की सप्लाई भट्टे वालों को कम होती है लेकिन जो नेता लोग हैं उनको 4/4 रेक कोयला सप्लाई होता है। जब तक सरकार भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करेगी तब तक आपके यहां उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। जब तक सरकार समान रूप से सबको नहीं देखेगी तब तक उद्योग प्रगति नहीं कर सकता है। जनता का कल्याण नहीं हो सकता है।

दूसरे मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स का अच्छा काम चल रहा है। लेकिन उसको सही सहायता और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और कच्चा माल भी ठीक दाम पर नहीं मिलता है। मेरठ में जो सामान बनता है वह प्रदेश में नहीं लिया जाता है। प्रदेश में जो सामान बनता है उसकी प्रदेश में ही खपत हो, इसका ध्यान उद्योग विभाग को रखना चाहिये। वहां सेल्स टैक्स ज्यादा लिया जाता है इसलिये मेरठ वालों ने एक्सपोर्ट की दुकानें दिल्ली में खोल रखी हैं। इसलिये यदि आप अपने यहां उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आपको इधर ध्यान देना होगा।

जहां तक बैंक का सवाल है इसमें मोटर और इंजिन के लिये ऋण दिया जाता है। सरकारी नीति निर्धारित है। इसमें सहकारी बैंक काम करते हैं। इसमें बड़ा पक्षपात होता है और इसमें इन्हीं कम्पनियों के नाम चेक काटा जाता है जिनसे मैनेजर की सांठगांठ होती है। हर मोटर और इंजिन पर 300 रुपये लिये जाते हैं और गरीबों का गला काटा जाता है, जो अनुदान लेते हैं। मैंने अपने यहां ट्यूबवेल लगाया। जब मोटर की बात आई तो दुकानदार से बात की। उसने कहा कि 1500 रुपये में मोटर आपको मिल जायेगा। जब मैंने लोन की बात उससे कही तो उसने कहा कि उस हालत में आपको 1800 रुपये में मिलेगा। क्योंकि 300 रुपये हमें देने होंगे। मैं समझता हूं सारे प्रदेश में यही हालत है। मैं नहीं समझता कि यह चीज कैसे चलेगी। यह नहीं चल सकती है जब तक ऐसी चीजें बन्द न करें जो चीज अच्छी है उसे लेना चाहिये और सबको समान अधिकार मिलने चाहिये कि बाजार में ही कोई अपनी चीज को अच्छी साबित कर सके।

मैं इतनी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा और वह यह है कि जब तक उद्योग तरक्की नहीं करेंगे तब तक यहां के किसानों की भी हालत ठीक नहीं होगी। जब तक हर खेत को पानी और हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, जब बेरोजगार को काम और हर खेत को पानी मिलेगा तो अच्छी फसल पैदा होगी और जब उसकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी तो वही किसान अपने यहां इंजिन, कुंआ सब कुछ लगायेगा और उद्योग की तैयार की हुई चीजों को खरीदेगा। इससे उद्योग की तरक्की होगी। यह एक ऐसा साइकिल है जिसको चलाना है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा आपके उद्योग नहीं पनप सकते, आपके यहां भ्रष्टाचार अपनी सीमा को पार कर चुका है। और इस हालत में भविष्य अन्धकारमय दिखाई दे रहा है। यही प्रमुख कारण है कि आज बाजार में हर चीज का अभाव दिखाई दे रहा है। जब हम उसको समूल नष्ट करेंगे तभी हम उद्योग की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जो कुछ भी इस सरकार ने दो साल के अन्दर किया है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने उद्योगों को बढ़ाने की दिशा में काफी प्रगति की है। हमने काफी दिनों से इ प्रदेश की सरकार की नीति को और औद्योगिक उन्नति को देखा है और यह भी देखा है कि कित

ही उद्योग इस सरकार ने पिछले 10–15 साल में यहां लगाये हैं, वह हम ही नहीं वरन् हमारे सभी साथी जानते हैं । इस बात को लेकर मैं सरकार को अवश्य ही धन्यवाद दूंगा और यह सरकार धन्यवाद की पात्र है । मैं तो एक जिले से सदस्य होकर आया हूं जोकि प्रदेश का पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है । हमारे क्षेत्र में बनारस डिवीजन और फैजाबाद डिवीजन के कुछ जिले हैं जो बहुत मामले में पिछड़े हुये हैं । बस्ती का पिछड़ेपन में सबसे ऊंचा स्थान है । इसके लिये मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा ।

अभी पिछले रविवार को हमारे उपमंत्री जी श्री आबिद अली जी हमारे यहां खलीलाबाद गये थे । वहां मुझे उनके कार्यक्रम को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । वहां उन्होंने सूत सम्बन्धित सारे ऐसे समाज को बुला लिया जिसमें कि सूत को लेकर बड़े जोर से हाहाकार मचा हुआ था । खलीलाबाद बुनकरों का एक बड़ा केन्द्र है, वह पूर्वी जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार तक के पश्चिमी और उत्तरी विभाग का हैंडलूम का केन्द्र है । जहां पर आठ दस लाख का हैंडलूम का कपड़ा हर सोमवार को बिकता है । सूत पर कंट्रोल होने का नतीजा यह हुआ है कि वहां के बुनकरों को सूत नहीं मिल रहा है, वहां कंट्रोल के होते ही सूत गायब हो गया और कारीं दिखाई नहीं देता । ज्यों ही सूत के पकड़ने और सीज करने के आदेश गये और अधिकारी वहां के मार्केट में भेजे गये, मैं यह भी कहानी सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि अधिकारी मेहदावल और खलीलाबाद गये, वह पूरे दिन वहां रहे, कितना सूत उन्होंने पकड़ा और कितना जब्त किया, इस सबका नंगा नाच उपमंत्री जी के सामने वहां के बुनकरों ने रखा ।

साथ-साथ बुनकरों ने कहा कि हम डकैती डालेंगे, गोली मार लेंगे, क्या आप हमें शक्ल दिखाने के लिये आये हैं ? जब सूत नहीं लाये तो यह सवाल क्यों खड़ा कर दिया । उन्होंने कहा कि टैक्सटाइल कमिश्नर साहब ने फरवरी और मार्च का सूत पंहुचा दिया है, मैं उस कोटे को देखने आया हूं । वे भी सदस्य ऐसी जगह के हैं जहां पर बुनकरों का गढ़ है । आज खलीलाबाद में भी हाहाकार मचा हुआ है । आज जिन बुनकरों के लिये सूत का कोई ठिकाना नहीं है, वे कैसे अपना जीवन निर्वाह करें । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें । बुनकरों ने यहां तक कहा कि अगर उन्हें गोली खानी पड़ी तो वे हंस-हंस के खायेंगे । जब प्रदेश का इतना बड़ा बुनकरों का वर्ग दुखी रहेगा । तो कैसे यह उद्योग पनपने वाला है । जिस दिन सूत सीज हुआ, मैं मांग करूंगा कि इसकी विजिलेंस द्वारा जांच करायी जाय, जो अधिकारी वहां पर गया था उसने 38 हजार रुपया लेकर गांव गांव के अन्दर सूत को भिजवा दिया ।

जब एक बार बस्ती जिले से 14 रिटेलर के नाम वहां के डिप्टी डायरेक्टर श्री अग्रवाल ने 70 हजार रुपया लेकर नाम भेजे तो उसका क्या हुआ ? यही नहीं वहां पर एक इस विभाग का इन्सपेक्टर है जो बुनकरों के सारे काम को देखता है, वह गरीब जनता से पैसे ले लेकर अधिकारियों को देने के लिये काम करता रहता है । आप सोच सकते हैं कि पूर्वी जिलों में जहां पर हैंडलूम का घर है और जहां पर हर सोमवार को हैण्डलूम का कपड़ा खरीदने के लिये अहमदाबाद, मेरठ, दिल्ली, पटना और कलकत्ता तक से लोग आते हैं, उस बाजार की क्या हालत होगी । आज बुनकरों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। सूत पर कन्ट्रोल करके आपने हमारे बुनकरों को तबाह कर दिया है । जब कन्ट्रोल नहीं था तब सूत मिल जाता था कोई परेशानी नहीं थी । आज सूत के बंडल पर 20 रुपया ब्लक देकर प्राप्त किया जाता है । तो कैसे बुनकर जिन्दा रहेंगे, जिसके घर में रोटी का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, उसकी क्या दशा होगी ।

श्री राम प्रसाद देशमुख––

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

*श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, कोरम बनाने का काम तो सरकार का है । लेकिन यह सरकार इतनी निकम्मी है कि कोरम भी नहीं रख पा रही है । थ्योरिटिकल काम को छोड़कर प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री धनुषधारी पाण्डेय---

हुजूरेवाला, आपके सामने बुनकरों और सरकार की नीति के बारे में कह रहा था कि बुनकरों की दशा क्या है और उसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है । साथ ही साथ, अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा जो बुनकरों को कार्ड दिया गया है, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 5 बंडल प्रति मास, उनको प्रति यूनिट दिया जायेगा । मुझे सूचना मिली है कि एक कार्ड के ऊपर केवल सवा-बंडल उनको दिया जायेगा और साथ ही साथ यह भी है कि 15–20 परसेंट ऐसे बुनकर हैं, कि जब सरकारी कर्मचारी सर्वे के लिये गये, तो उनको भी छोड़ दिया और पैसे भी नहीं दिये । इसकी भी जांच करा लें । मुझे यह भी सूचना दी गयी कि कौन सा अधिकारी सीज करने के लिये गया था । जिलाधीश ने किसको डिप्यूट किया, यह तो आप जानें, मैं कैसे बता सकता हूं । लेकिन इतना जानता हूं कि जो अधिकारी गया था, खलीलाबाद और मेंहदावल, जब सूत निकल गया, तो 38 हजार रुपया लिया और बस्ती चले आये । मान्यवर, दीवालों के भी कान होते हैं, यह कहावत है । उन आदमियों से सूचना हमको मिली । यह भी चैलेंज है कि क्या अग्रवाल साहब, डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर, ने खलीलाबाद में दावत नहीं खायी ? इसकी भी विजीलेंस से एन्क्वायरी करा लें । मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, अगर 70 हजार से कम लिया गया हो । तो जो पुराने रिटेलर हैं, चाहे 10 रुपये के या एक लाख रुपये बेचने के, उनके लिये सरकार जो, नीति अपनाई है, वह बड़ी अच्छी है और उससे गरीबों की रक्षा होगी ।

यह भी कहा गया कि लम्बे-लम्बे उद्योग लगाये गये । लम्बे-लम्बे उद्योग लगाये गये, कहां लगाय गये और क्यों लगाये गये, इसके बारे में मान्यवर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि ये लम्बे लम्बे उद्योग बस्ती जिले में क्यों नहीं लागाये गये जहां कि 50 फीसदी लोग बेकार हैं और करीब चार लाख मजदूर, गोरखपुर, आजमगढ़ और फैजाबाद डिवीजन के बम्बई में काम कर रहे हैं ? तो अगर यहां उद्योग खोल दिये जाते, तो बेकारी की समस्या को हल किया जा सकता था । मान्यवर, उद्योग विभाग के एक पुराने दोस्त कहने लगे कि आपके यहां जिलाधीश को भेज दिया है एक स्टील प्लान्ट खोलने के लिये लेकिन आज तक कोई आदेश नही पहुंचा । मैंने छानबीन कर जमीन भी निश्चित कर दी, लेकिन कोई भी आदेश नहीं हुआ, तो इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

हमारे पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं सब बेकारी और पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं । पता नहीं हमने कौन से ऐसे पाप किये हैं कि हमें कोई भी इन्डस्ट्री नहीं मिलती और जो 4–5 जिले हैं उन्हीं में और उद्योग खोलते जा रहे हैं । कम से कम आपको हमारे यहां जो गरीबी है, बेकारी है इसको भी ध्यान में रखकर कोई उद्योग खोलने की व्यवस्था करनी चाहिये । लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं हमारी आवाज कौन सुनता है । माइट इज राइट यानी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत है । बड़े बड़े शहरों को ही प्राथमिकता दी जाती है । और उन्हीं का औद्योगीकरण किया जाता है । हमारी सरकार की वैसी जो नीति है वह है विकेन्द्रीकरण की लेकिन केन्द्रीकरण की ओर ही ध्यान है । आपकी नीति प्रदेश के पूर्वी आंचल का विकास करना है, लेकिन सिवाय हमारे यहां खेती के और कोई भी साधन हमारे विकास के नहीं है और हम उन्ही खेतों में परिश्रम करके अपना विकास करेंगे । लेकिन यदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप चाहते हैं कि वहां पर गरीबी मिटे, बेकारी मिटे तो आपको बस्ती जिले को ध्यान में रखना होगा जो कि सबसे गया गुजरा जिला है। पूर्वांचल में जो जिले हैं, बस्ती, देवरिया, आाजमगढ़, गोरखपुर आदि उनको भी आपको उद्योग देने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

साथ ही साथ हुजूरवाला मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपकी मंशा है कि हम आगे बढ़ें लेकिन आपके अधिकारी और कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिये कुछ भी नहीं है । मैं आपको यह इत्तिला देना चाहता हूं कि कानपुर में एक भटनागर साहब हैं उनके दफ्तर में एक अवस्थी जी क्लर्क हैं जो 60 रु0 लेने पर एक गांठ, सूत देते हैं । आप ही बतायें मान्यवर, ऐसी हालत में बुनकर कहां से 60 रु0 ला सकता है । नतीजा यह है कि बुनकर बरबाद होता चला जा रहा है । महात्मा गांधी ने हमको स्वराज्य दिलाया और उन्ही के अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम शान्ति से आगे बढ़ रहे है। कहीं ऐसा न हो मान्यवर, कि गरीबी से परेशान होकर लोग अशान्ति पैदा करने लगें । अतः हमारे बस्ती जिले को आपको विशष रूप से ध्यान देना होगा । अतः मैं यह मांग करते हुये कि बस्ती जिले में एक स्टील प्लान्ट लगाया जाय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यबर, यह सही है कि इस देश में उद्योगों का बड़ा महत्व है और प्रदेश में भी बड़े जोर से कहा जाता है लेकिन भगवान जाने इस सरकार का इरादा क्या है । यह एक ऐसा विभाग है जिसका कोई एक मंत्री नहीं है । सब मिलाकर आधे दर्जन से एक आध मंत्री कम इस विभाग के हैं । खुदा भला करे इस विभाग का ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अभी तो पालिसी की बात थी कि डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये और अब जब डिसेन्ट्रलाइजेशन कर दिया तो आपको क्या आपत्ति होती है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

वह तो आपके लिये मजबूरी है, लाचारी है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस विभाग का फुल फलेज्ड मंत्री न हो उस विभाग का भगवान ही मालिक है । कहने के लिये आप कुछ भी लेक्चर दे दें । लेकिन अभी कोरम के लिये घंटी बजायी गयी थी । इस विभाग के आधे दर्जन मंत्री और उप मंत्री हैं लेकिन एक के अलावा यहां कोई मंत्री नहीं था । यह सरकार ही इस तरह से चल रही है । अगर एक लिफाफे या पोस्ट कार्ड पर लिख दिया जाय । कि "सारी मिलें अल्ला मियां को वसीयत" तो वह पोस्टकार्ड घूमता फिरता उस क्षेत्र के डेड लेटर आफिस तक पंहुच जायेगा । यही हाल इस विभाग का है । यहां एसेम्बली में इस विभाग के लिये पैसा पास हो जाता है । विभाग क्या करता है, क्या इसकी नीति है कोई नहीं जानता । इस विभाग की कोई औद्योगिक नीति ही नहीं है । इसका पूरी तरह से दिवालियापन है । यह कितना भी समाजवाद का हल्ला करें लेकिन इनकी कोई औद्योगिक नीति नहीं है ।

अभी मेरे मित्र ने गांधी जी की दुहाई दी । लेकिन गांधीजी ने जिस औद्योगिक नीति पर बल दिया, गांधियन प्लान में जिस तरह की नीति बनी क्या उस पर चलने की कोशिश की । लेकिन आपके पास यह दृष्टिकोर्ण ही नहीं है कि कौन से कामों के लिये आप बड़े उद्योग चलायेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामधारी शास्त्री]

और कौन से कामों के लिये छोटे उद्योग चलायेंगे ? अभी सरकारी पक्ष से कहा गया कि करघे का उद्योग प्रदेश में बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहा है । वह इसीलिये हो रहा है कि आपने कोई निश्चित योजना नहीं बनायी । जैसे जो तौलिया करघे पर बनेगा वह डी0सी0एम0 का मुकाबला नहीं कर पायेगा लेकिन आपने यह योजना नहीं बनायी कि तौलिया अगर करघे पर बनेगा तो बड़ी-बड़ी मिलों में वह नहीं बनाया जायेगा । गांधियन प्लान में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी थी कि योजना बनाते समय क्षेत्र बांट देना चाहिये । उदाहरण के लिये बेड शीट्स हैं । अगर करघा उद्योग बेड शीट्स बनायेगा तो बड़ी-बड़ी मिलों को बनाने के लिये इजाजत नहीं देंगे । लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इसी कारण मऊ, गोरखपुर और खलीलाबाद के उद्योग फेल हो रहे हैं । आप इनको बचा नहीं सकते चाहे सूत बांटने के लिये संस्था बना दें या निगम बना दें ।

अभी अखबार में था कि 25 हजार जुलाहों ने बाराबंकी में प्रदर्शन किया । आज यह हालत है । आपने 25 वर्षों तक प्रदेश की जनता को औद्योगीकरण के नाम पर गुमराह किया है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी दिशा ठीक होना चाहिये और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये । किस मात्रा में आप बड़े-बड़े उद्योगों रखेंगे और किस मात्रा में छोटे-छोटे उद्योग रखेंगे । भारत जैसे गरीब मुल्क में जहां लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं वहां औद्योगीकरण रोज हो रहा है लेकिन फिर भी बेकारी डेढ़ गुनी हो गई है । इसका कारण हमारे उद्योगों का जाब ओरिएन्टेड न होना है । हमने यह फिक्र नहीं की है कि उद्योग कैसे चलाबें कि अधिक से अधिक लोग लग सकें । पूंजी के अनुपात में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है । हाथ से काम करने वालों में खद्दर भंडार थे और बड़े पैमाने पर काम करते थे और लोगों को रोजगार देते थे लेकिन अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । भंडार वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते हैं । अगर वह पूरा वेतन दें तो खद्दर इतना मंहगा हो जाय कि उसकी दूनी कीमत हो जाय । अब तो कांग्रेस में खद्दर पहनना भी आवश्यक नहीं रह गया है ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ आपके पास कोई योजना नहीं है कि कहां पर कौन सा उद्योग लगना चाहिये । पूर्वी जिलों के लिये पटेल आयोग बना था । उसने कुछ सिफारिशें की थीं । औद्योगीकरण के लिये उसने कहा था लेकिन गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अलावा आपने कोई उद्योग नहीं दिया है । आयोग की सिफारिश थी कि देवरिया जिले में बहुत अधिक जूट पैदा होती है इसलिये वहां जूट का कारखाना लगाया जा सकता है लेकिन उसको लगाया नहीं गया । इसी तरह से आयोग की सिफारिश थी कि देवरिया, बस्ती और गोरखपुर में 24 चीनी के कारखाने हैं । इसमें जो खोई निकलती है उससे कागज का कारखाना चल सकता है । लेकिन उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई है । खाली देवरिया जिले में 14 चीनी की मिलें हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह आपकी मेहरबानी से नहीं हैं । वह अंग्रेजी राज्य के समय से बनी हुई है लेकिन उनकी क्षमता इतनी गिर चुकी है कि वह किसी दक्षिण प्रान्त की मिल का मुकाबला नहीं कर सकती हैं ।

चीनी पर कंट्रोल करके आप आर्टीफिसियल स्केयरसिटी पैदा कर रहे हैं और फैक्ट्री वालों को जो आपके चहेते हैं सबसीडी दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि चीनी मिल के राष्ट्रीयकरण में हम एक सेकिन्ड भी नहीं लगायेंगे लेकिन 3 साल हो गये हैं आपने राष्ट्रीयकरण नहीं किया है । आपके यहां एक शब्द टेक ओवर है जिसकी बीमारी बुरी तरह से चल गई है । आपने 5 मिलों का टेक ओवर किया है जिसमें 3 मिलें देवरिया जिले की हैं । मंत्री जी जब जबाब दें तो मैं जानना चाहूंगा कि टेक ओवर के बाद कितना रुपया शुगर कारपोरेशन के द्वारा लगाया गया है और उसका रिटर्न क्या है और मिल्स कैसे चल रही हैं ?

खड्डा शुगर फैक्टरी है या भट्ठा की शुगर फैक्टरी है यह पैसा अगर इस तरह की निकम्मी मशीनरी और सामान में खर्च हुआ है जो कि आज से 10 साल पुराना था तो क्या होगा ? वही हुआ कि शुगर निगम ने वह कनडेम पाइप जमा कर दिया और वह बात की बात में नष्ट होते चले जा रहे हैं । यह स्थिति है । आज खड्डा शुगर की स्थिति ऐसी है किसानों तक का उस पर 30 लाख रुपया बकाया है और आपकी नीति किस तरह से पक्षपातपूर्ण है कि जब वह मिल-मालिक चलाते थे तो उन्हें जेल भेजते थे, रिकवरी सार्टिफिकेट जारी करते थे । लेकिन अब तुम्हारी मिल है, तुम्हें देना होगा । जब शुगर निगम बनाया तो एक कानून बनाया अधिग्रहण का । उसमें लिख दिया कि हम जुलाई, 1971 के पहले के जिम्मेदार ही नहीं हैं, चाहे गोदाम में चीनी पड़ी हो चाहे कहीं हो । अगर कोई प्राइवेट मिल मालिक होता तो दाम दिला देते लेकिन वहां चीनी पड़ी हुई है और केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के कानूनी झगड़े में तीन महीने से सड़ रही है और किसान अपने रुपये के लिये मारा-मारा फिर रहा है । यह हाल इनके उद्योगों को चलाने की क्षमता का है और औद्योगीकरण के नाम पर, टेक-ओवर के नाम पर इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है । जितनी चीनी मिलें ली गयी हैं उनमें सरकार की ऐसी ही लापरवाही दिखाई देती है । ये फर्जी उद्योग चलाते हैं । पिछले सीजन में करीब साढ़े बत्तीस लाख क्विंटल इस प्रदेश में चीनी मिलों का छोवा पैदा हुआ ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

बताइये टेक-ओवर हो या न हो ?

श्री रामधारी शास्त्री—

नहीं हो । मैं कहता हूं कि इसका समाजीकरण हो जाय । आगे आइये समाजवाद को आगे बढ़ाइये । सरकार जानती है कि अपने प्रदेश में अल्कोहल के जितने कारखाने हैं स्पिरिट बनाने के लिये साढ़े पचास लाख क्विंटल छोवा चाहिये, प्रतिवर्ष तब जाकर पूरी क्षमता से वह चलेंगे, तब बरेली का सिंथेटिक रबर का कारखाना चल सकेगा, लेकिन लाखों क्विंटल छोवा, चींटा उद्योग के नाम पर दे दिया गया । कहीं धरती पर चींटा उद्योग नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े राज-पुरुषों का हाथ है, उनकी पर्चियों पर एक्साइज विभाग की साठगांठ से लाखों क्विंटल छोवा दे दिया गया 8 रुपये और 11 रुपये पर और 60–67 रुपया पर क्विंटल बिका । बेच करके कुछ लोग लखपति हो गये । पर नतीजा यह हुआ कि बरेली के रबर के कारखाने के लिये स्पिरिट नहीं है और ब्राजील से मांग की जा रही है, जब वहां से आयेगी तो वह कारखाना चलेगा । तो औद्योगीकरण में इस सरकार की रुचि कितनी है, इससे पता चलेगा ।

अभी हमारे एक मित्र ने हिन्डालको को बड़ी मात्रा में बिजली दिये जाने की बात कही । ठीक है, अल्मुनियम बड़ी जरूरी है लेकिन क्या सारे प्रदेश को ठप्प करके उसकी बिजली दी जानी चाहिये ? क्या सरकार को जानकारी नहीं है कि ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं, जो छोटे-छोटे कारखाने लगे हुये हैं वह सब ठप्प पडे हैं ? अधिकांश शहरों में यह हालत हो गयी है कि बिजली न मिलने की वजह से लोगों को आटा मिलना मुश्किल हो रहा है । बिड़ला पर मेरे दोस्तों का बड़ा ध्यान है । मैं कहना चाहता हूं कि पहले छोटे उद्योगों को बिजली दीजिये उसके बाद बिड़ला को दीजिये और 2 पैसे से कम रेट पर न दीजिये । उत्पादन रेट से कम पर बिजली न दीजिये । तभी इस प्रदेश का औद्योगीकरण होगा । अभी वक्त नहीं गया है । आपको अपनी एक ठोस, सुनियोजित औद्योगिक नीति का निर्धारण करना चाहिये । तब आप आगे बढ़ सकेंगे । वरना जनता को कितने दिन तक धोखा दीजियेगा । अगर यही हालत रही तो शायद फिर आपको यह मौका मिलने वाला नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मांग का समर्थन करने के लिये समय दिया । उत्तर प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के लिये अनेक कारण एवं परिस्थितियां ह, जैसे छोटे-छोटे उद्योगों का अभाव, औद्योगीकरण की धीमी रफ्तार, औद्योगिक बरोजगारी, अल्प रोजगार आदि । इन सबके साथ-साथ, जैसा कि अभी हमारे मित्रों ने कहा, हमने न तो प्राथमिकतायें घोषित तौर से सामने रखीं और न ही भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये कोई योजनायें बनायीं । लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि भ्रष्टाचार के लिये केवल यहां बठकर यह जिक्र कर देना कि अफसर लोग जिम्मेदार हैं, मैं केवल अफसरों को उसके लिये जिम्मेदार मानने के लिये कभी तैयार नहीं हूं । इस भ्रष्टाचार में बेईमान इन्डस्ट्रियलिस्ट्स, बेईमान राजनीतिक और बेईमान अफसर, इन तीनों ने मिल कर वह वातावरण पदा किया हुआ है कि जो ईमानदार लोग यहां कार्य करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो, यहां की बेहतरी हो, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, लोगों की भुखमरी खत्म हो वह बेईमान इन्डस्ट्रियलिस्ट के द्वारा पैसे के जरिये से खींचे जाते हैं। उस अफसर को मौका नहीं होता है कि अपनी सफाई दे सके । उसके दिल में ठेस लगती है कि उसने ईमानदारी से काम किया है और उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है ।

अभी यहां पर एक सवाल आया और सवाल खत्म हो गया, सरकार की तरफ से जबाब हो गया कि हम पूरी इन्क्वायरी करेंगे, लेकिन तब भी जरूरत यह थी कि किसी अफसर का नाम लिया जाय ताकि जिन लोगों से यह कह दिया गया था कि हम उसका नाम लेंगे उनकी पूरी सहानुभूति आपके साथ रहती । सरकार की तरफ से हमेशा यह बता दिया जाना चाहिये कि अमुक व्यवित को जो कार्य सौंपा गया है हम उस पर पूरा भरोसा रख कर उसकी पूरी सहायता करेंगे जब तक कि हम निश्चित तौर पर इस नतीजे पर न पहुंच जायं कि उसने बेईमानी की है । और जब इस नतीजे पर पहुंच जायं तो फिर कोई ताकत हम उसको वहां से हटाने से रोक नहीं सकती है । हमारा सब से बड़ा लक्ष्य है प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने का । इसी के लिये हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं । इसी के लिये हम निजी उद्योग को लगाते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं । छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देते हैं । कोशिश करते हैं कि हमारी दौलत बढ़े और दौलत बढ़ने के साथ-साथ लोगों को रोजगार मिले । और रोजगार मिलने के बाद चीजें सस्ती मिलें। यहां पर सदन में भी लोगों के नाम ले-लेकर भ्रष्टाचार के मामले बताये गये । मैं समझता हूं कि जिन्होंने वह सब बताया उनके पास उनके पूरे आंकड़े होंगे, तभी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उन बातों को यहां रखा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी को उन मामलों को देखना चाहिये । भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिये ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले और वे आइन्दा ऐसी कोशिश न करें ।

मान्यवर, अर्थ व्यवस्था की इस गति हीनता के कारणों का विश्लेषण करने पर हमें विदित होता है कि नियोजन की अवधि में अपर्याप्त विनियोजन हुआ है । शुरू से ही राज्य में विकास परिव्यय अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम रहा है । उत्तर प्रदेश में 24 रुपये, पंजाब में 98 रुपये, गुजरात में 57 रुपये, पश्चिमी बंगाल में 55 रुपये तथा अन्य राज्यों में वह 41 रुपये हुआ है। एचीवमेंट की दृष्टि से भी हमारे यहां सबसे कम हुआ है । इनकम और इनवेस्टमेंट दोनों ही दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । हमारे उद्योगों के लिये जितना रुपया लगना चाहिये था तथा उसके लिये जितना रुपया केन्द्र से हमें मिलना चाहिये था, उसके मुकाबले बहुत कम मिला है । बचत योजनाओं के द्वारा भी जितना रुपया हमने बचाया है उसका भी बहुत कम प्रतिशत हमें मिला, बाकी अन्य राज्यों में वह चला गया ।

हमारे यहां 63 प्रतिशत लोग गांव के रहने वाले तथा 45 प्रतिशत शहर के रहने वाले ऐसे हैं जिनको दोनों वक्त भोजन नहीं मिलता है । जब यह हालत है तो बचत योजनाओं के

वक्ता द्वारा भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये ये लोग धन कहां से लगायें। बैंकों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह भी 44.5 प्रतिशत किया है। बाकी रुपया अन्य प्रदेशों में चला गया। तो हम यह चाहते हैं कि जितना भी रुपया हम सेविंग करे वह पूरा रुपया हमारे प्रदेश को मिलना चाहिये। वह रुपया दूसरे प्रदेशों को नहीं जाना चाहिये।

इंडस्ट्रियल वित्त निगम की स्थापना के लिये मैं अवश्य माननीय वित्त मन्त्री जी की सराहना करना चाहता हूं। वह एक अच्छी चीज है। मगर जैसा कि अभी सुनने में आया एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के तमाम अधिकारियों ने एक-एक रात में 7–7 हजार रुपया शराब आदि पर खर्च किया और यहां भी अगर वैसा ही हुआ तो इसकी सफलता पर संदेह हो जायेगा।

मान्यवर, सरकार को उन उद्योगों को अपने हाथ में लेकर चलाना चाहिये जहां मुनाफा कम और खतरा ज्यादा हो। किन्तु समाज की भलाई अधिक हो। ऐसे कार्यों में केवल मुनाफा की दृष्टि रखने वाला प्राइवेट इन्टरप्रीन्योर कभी भी पूंजी नहीं लगायेगा। जितने भी प्राइवेट व्यापारी वर्ग के हैं वे समाज के हित की ओर न देखकर केवल स्वयं के फायदे की ओर ही देखते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह ऐसे उद्योगों को स्वयं चलाये।

यहां पर बहुत कुछ चर्चा अल्मूनियम कारखाने के बारे में की गई। हिन्डालको का जिक्र हुआ। इस देश में एक हवा चली जो सही थी क्योंकि हमारे यहां प्राइवेट इन्टरप्रीन्योर का तरीका ऐसा रहा है जो आम जनता की भलाई के लिये नहीं रहा, जिसने जनता की तकलीफों को तकलीफ नहीं समझा, और उसका मुख्य प्रयास मुनाफा खोरी का ही रहा। जब भी उन लोगों का नाम आता है, हमारा खिचाव उनकी ओर नहीं रहता। मन में मुटाव ही पैदा होता है। यहाँ एक बात यह कही गयी कि 15 मेगावाट बिजली देने से 3 हजार लेबर को काम मिलता है अल्मूनियम फैक्ट्री में। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि किसी और को न देकर बांदा में एक अल्मूनियम की फैक्ट्री लगायी जाय। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को सरकार अपने हाथ में ले और पूरा इंतजाम करके अपने आप चलाये। नेशनलाइजेशन करे और वह नेशनलाइजेशन नहीं कर सकती क्योंकि शूगर फैक्ट्रीज के नेशनलाइजेशन की बात चली, कितनी गवर्नमेंटें चली गयीं लेकिन नेशनलाइजेशन नहीं हो सका। कैपिटलिस्ट लोग पैसा नहीं लगाते। सारी मशीनरी लोहा हो गयी है। लें तो सत्यानाश और न लें तो सत्यानाश। इस लिये नैशनलाइजेशन का जिक्र न करते हुए, रात में सोचिए और सबेरे अगर राष्ट्रीयकरण करना है, फैक्टरी खुद चलाना है, तो करिए। जो नैसेसिटी आफ लाइफ बन गयी है, अल्म्युनियम का प्रोडक्शन, अगर उसका राष्ट्रीयकरण करना है तो करिए।

तीसरी बात यह है कि औद्योगिक हवा के लिये इनफ्रास्ट्रक्चर की अत्यन्त आवश्यकता है। सड़कें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, परिवहन, कच्चे माल की पैदावार इन सब चीजों पर जोर देकर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को तैयार करें। पहले पूरा इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। जो आपने लाइसेंस प्राप्त किये हैं 45, 1971–72 में और 46, 1972–73 में, इस सब की फैक्ट्री चलाने के लिये सब चीजें तैयार रखें। पहले आप लाइसेंस दे देते हैं फिर तैयारियां शुरू होती हैं तब तक इंटरप्रिन्योर उस पोजीशन में नहीं रहता और औद्योगीकरण को धक्का पहुंचता है। इसमें आपकी बदनामी भी होती है। प्रदेश तभी मालदार हो सकता है जब कि प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े और प्रति व्यक्ति आमदनी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उद्योग धंधों को प्रोत्साहन न दिया जाय।

मई, 1972 में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर निकला था जिसमें कानपुर से लघु उद्योग धन्धों को जो कच्चा माल दिया जाता था उसका उन्होंने जिलों में विकेन्द्रीकरण कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिले का अधिकारी अधिकृत होगा कि वह प्रोफार्मा बनायेगा,

[श्री रामसिंह खन्ना]

अपनी जरूरतें उसमें लिखवा देंगे उस हिसाब से माल दिया जायगा। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि मई, 1972 में जो सर्कुलर डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां से दिया गया है उस पर पूर्णतया अमल करें और कोशिश इस बात की करें डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग निगम एक आदमी के मातहत हो जाय ताकि लघु उद्योग निगम के मैनेजर का इनसे जो मतभेद रहता है वह समाप्त हो जाय जिसके फलस्वरूप जिलों में वह मैटिरियल भेज देते हैं जिसकी वहां जरूरत नहीं होती है।

और भाइयों ने बुनकरों के सम्बन्ध में कहा है। आपने जो एक शिफ्ट बढ़ा देने के लिये क्या किया है उसके बढ़ाने से आल इंडिया पैमाने पर जितना यार्न बनेगी 55 परसेंट यू0 पी0 को दिया जायगा यह आज पेपर में है। दूसरे आपने देखा कि उसूलन मुखालिफत नहीं है लेकिन जितनी आपकी मशीनरी है जिससे सूत मिलों से बुनकरों के यहां पहुंचता है उसमें कितनी बेईमानी और बेहूदगियां हो रही हैं उसको सख्त हाथों से रोकना चाहिये। मैं आपसे इस लिये दरख्वास्त करना चाहता हूं, 1974 आपके सामने आ रहा है। हर चीज के लिये सतर्क रहना है। इससे कोई काम चलने वाला नहीं है कि विपक्षी दल के लोग क्या कहते हैं। जहां आप अच्छे काम का फायदा उठायेंगे वहां आपकी गलतियों से विपक्षी दल फायदा उठायेंगे। आपकी प्रगतियों के बीच में चाहे ताकत से ताकतवर रुकावट हो उसको बीच से हटाने की क्षमता होनी चाहिये। जसा कि यादवेंद्र सिंह जी ने कहा कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, ताकतवर से ताकतवर आदमी हो, अगर वह रुकावट डालेगा तो हम अपने समाजवादी लक्ष्य पर पहुंचने के लिये किसी रुकावट को नहीं मानेंगे। मैं आबिद अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह चीज उनकी जानी हुई है और बहुत से गरीब इससे प्रभावित है इसलिये इसको वह ठीक करेंगे।

मेरा सुझाव है कि एक कोआर्डिनेशन मिनिस्ट्री कायम की जानी चाहिये और उसका एक तजुबकार तथा बुजुर्ग मिनिस्टर इनचार्ज होना चाहिये। एक एडीशनल चीफ सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी हो जो टेक्निकल कोआर्डिनेशन को देखें, वर्किंग कोआर्डिनेशन को देखे तथा सारे बाटिलनेक्स को दूर करे। हरियाना में मिनिस्टर बुला कर बात करता है, सारी चीजों का इन्तजाम करके कहता है कि आप अपना काम शुरू कर दीजिये। अगर आप भी इस तरह से नहीं करेंगे तो 25 वर्ष के प्रदेश के पिछड़ेपन को आप दूर नहीं कर सकते।

आप बेरोजगारी दूर करने के लिये सप्ताह में 48 घंटे के बजाय मजदूर से 36 घंटे काम लें। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। पिछड़े इलाकों में काम देने के लिये, इंडस्ट्रीज लगाने के लिये आप प्रोत्साहन दें, सारी सुख सुविधायें दें, बिजली में सबसिडी दें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट तथा भ्रष्ट अफसरों की साजिश से काम में दिक्कतें पड़ रही हैं। मेरे मित्र यह परिभाषा करना भूल गये कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों में वही लोग हो सकते हैं जिनके हाथों में शासन सूत्र हो। मैं अपने मित्र से यह कहूंगा कि चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट इस महकमें को चलाते हों या न चलाते हों लेकिन सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञ जरूर चलाते हैं और इसी कारण आज इंडस्ट्रीज में सब किस्म की गड़बड़ियां चल रही हैं और न केवल इधर के बैठने वालों को शिकवा शिकायत की गुंजाइश हुई बल्कि दबी जबान से उधर बैठने वाले लोगों ने भी यह बात कह दी कि इस महकमें में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिरोजाबाद में जो कांड हुआ अथवा सदन में एक दिन क्या हुआ उस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इस तरफ जरूर ध्यान खींचूंगा कि सदन में कबूल किया गया कि गड़बड़ घोटाला भयंकर है, उसकी भयंकर जांच होगी लेकिन मेरी सूचना है कि आज तक चूड़ी के कारखानों को कोयला नहीं मिल सका। और चूड़ी के मजदूर बेकार हैं। यही नहीं, इन चूड़ी के मजदूरों ने डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां कानपुर में एक प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी इनकी कान पर जूं नहीं रेंगती। सुनने में अब यह आया है, भगवान जाने सही हो या गलत हो, कि इन शिकायतों को सामने लाने की वजह से संबंधित लोगों में दुर्भावना बढ़ गई है और वह दुर्भावना इस हद तक पहुंच गई है कि अब बदला लेने की प्रवृत्ति उनमें हो गई है। वे अब यह चाहते हैं कि इन चूड़ी के कारखानों को तबाह कर दिया जाय। मौजूदा कोयले की हालत को देखते हुए तबाही तो जाहिर हो ही गई है और वह अपने आप हो रही है। सामने जो मंत्री बैठे हैं उनका खाद्य का मुहकमा है। वैसे तो मुहकमा माननीय मुख्य मंत्री जी का है और वे इस मुहकमें में कितनी दिलचस्पी रखते हैं यह तो उनकी यहां पर मौजूदगी और नामौजूदगी का प्रमाण है।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)––

वे बीमार हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह––

श्रीमन्, सुनाया जा रहा है कि वे बीमार हैं। मुझे तो इसकी इत्तला नहीं थी। बीमार हैं, तो मेरी सद्भावना उनके साथ है वे जल्दी से जल्दी अच्छे होकर सदन में आ जायं। इसकी सूचना राज मंगल जी को है कि वे बीमार हैं, तो कृपा करके इस बीमार मुहकमें की भी मेहरबानी करके दवा कर लीजिये। यह मुहकमा भी बीमार हो गया है। एक मुहकमें का एक ही अंग नहीं बल्कि सारा शरीर बीमार हो गया है और वह बढ़ता ही जा रहा है। वही मैं अर्ज कर रहा था कि इसकी खरीद का जो अनुभाग है उसमें कितने बोरों का गड़बड़घुटाला हुआ है, क्या इसकी सूचना भी इनको है? यदि यह बात मेरी गलत साबित होती है तो सरकार को यह कहना चाहिये कि इस प्रकार की इत्तला गलत है। सफाई के साथ कहना चाहिये कि लोगों से टेंडर लिये गये, न्यूनतम टेंडर दिया गया, टेंडर के लिये इस-इस प्रकार से पब्लिसिटी की गई और इस आधार पर उन टेंडरों को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन नहीं। केवल खाद्य विभाग नहीं है। सीमेंट निगम के लिये जो बोरों की खरीदारी हुई है उसके लिये भी वही बात है, वही शिकायत लोगों को प्राप्त हो रहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मुहकमें के बारे में जगह-जगह पर पैर से बदबू, हाथ से बदबू, सिर से बदबू यानी सारे प्रदेश में फैली हुई है तो आखिर इसका कारण क्या है? क्यों लोगों की निगाह यहां जाती है? अभी माननीय शास्त्रीजी कह रहे थे चीनी उद्योग के बारे में। लाखों रुपया रातों रात सीमेंट के परमिट इश्यू करने से पैदा किय गये। परमिट तो देता है आबकारी विभाग और सिफारिश करता है उद्योग विभाग। आज भी तम्बाकू उद्योग के नाम पर न मालूम कितने परमिट दिये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग ने पूरे प्रदेश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। यह बद-किश्मती की बात है।

यहां पर किन्हीं लोगों के वकील बिजली देने के लिये होते हैं, किसी के वकील होते हैं कर्जा देने के लिये और किसी के वकील ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि फलां तो सिक-मिल है इसलिये इस आधार पर हमारा प्रोडक्शन घट जायेगा, मजदूर बेकार हो जायेगा। उनको किस आधार पर सुविधायें दी जा रही हैं इसका भी जिक्र इस सदन में होना आवश्यक था लेकिन उन बातों का जिक्र नहीं होता कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको

[श्री कल्पनाथ सिंह]

ये–ये सुविधायें दे रखी हैं और इस इस काम के लिये दे रखी हैं । उन्होंने दिया है लेकिन सब पर्दे के पीछे काम होता है । यही नहीं श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि केवल आप तक ही यह चीज नहीं है, इस विभाग का कानपुर का जो डाइरेक्टोरेट है वह कच्चा माल भी देता है लोगों को और उस कच्चे माल के देने में कितना पक्षपात, कितनी अनियमितायें हैं, अब मैं भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो वहां अब एक तारीफ करने वाली बात हो गयी है ।

अब मैं इसके पीछे जाऊंगा और भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं अगर इसको तारीफ में कहा जाय, इनकी शान के खिलाफ किसी शब्द को न कहा जाय तो भी इतना जरूर कहा जायगा कि उस कच्चे माल के बंटवारे में जो कोशिशें हो रही हैं, यहां तक कि लोहे के एलाटमेंट में जिस तरह की बातें सुनने में आती हैं, मैं चाहता हूं कि बड़ी कृपा होगी सरकार की कि इन सभी बातों के बारे में अगर हाउस में न हो सके तो जो माननीय सदस्य हैं उनके घरों पर इन सारे तथ्यों के बारे में एक बुकलेट छपवा कर भेजवा दें कि जो चर्चा सदन में उठाई गई थी उसका यह यह जवाब है ताकि इस मुहकमे का चेहरा तमाम प्रदेश में रोशन हो सके । मुझे यह भी उम्मीद है कि इस विभाग का चमचमाता हुआ चेहरा जरा और प्रकाश में ला दे तो इन सारे तथ्यों की महीने भर के अन्दर छानबीन करके सरकार कम से कम सदस्यों में ही वितरित कर दे कि ये–ये चार्जेज जो मुहकमे के ऊपर हैं वे सब गलत हैं ।

श्रीमन्, एक सीमेंट कारपोरेशन बनाया गया है । सीमेंट मारकेट में नहीं मिलता है । कल हमारे यहां––संयोग से हमारी कांस्टीटुएंसी में एक ही कस्बा है, और हम खुशकिस्मत हैं कि उसी जिले से आते हैं जिस जिले से हमारे मन्त्री जी हैं, और हमारे कस्बे में कल 24 रुपये बोरी सीमेंट की कीमत थी । भगवान जाने क्या मामला है । मैंने एक सज्जन से पूछा कि यह 24 रुपये बोरी सीमेंट की कीमत क्यों है, तो उसने कहा कि गोरखपुर जिले का कोटा पहले चुर्क से मिलता था लेकिन अब डाला से मिलता है ।

श्री यादवेन्द्र सिंह––

नहीं, चुर्क से ही मिलता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह––

कल जो सूचना मुझे मिली वह मैंने बतलायी । मुझसे कहा गया कि डाला से सीमेंट लाने का खर्चा ज्यादा पड़ता है । मैंने उस सज्जन से कहा कि यह बात तो बहुत पहले भी रही होगी आज से दो चार महीने पहले भी रही होगी । उस व्यक्ति ने कहा कि आप यह सब काहे के लिये पूछ रहे हैं । आप सोच लीजिये कि यह साल कौन सा है । यह हालत है आपके सीमेंट कारपोरेशन की । एक तरफ सीमेंट नहीं है और दूसरी तरफ सीमेंट की डिस्ट्रिब्यूशन की एजेंसियां बढ़ती जा रही हैं । जब सीमेंट ही नहीं है तो रोज बरोज नयी एजेंसियों का बढ़ावा क्यों होता जा रहा है । मैं यह पूंछता हूं कि जब आपके पास सीमेंट नहीं है तो उसके नये एजेंट क्यों मुकर्रर होते जा रहे हैं ? और कहा यह जाता है और सीमेंट कारपोरेशन के लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो चन्द दिन यहां रहना है, सरकार का जैसा आदेश होता है उसके मुताबिक एजेंट मुकर्रर होते हैं ।

इसी प्रकार वनस्पति उद्योग का मामला है । रामधारी शास्त्री जी कह कर चले गये कि वनस्पति 10 रुपये किलो बिक रहा है । जो सरकार भैंस का घी नहीं खिला पाई जो गरीबी हटाने का दम भरती है और वही सरकार अगर टाटा, बिड़ला तथा मोदी को भैंस का घी नहीं खिला सकती है तो उसको एक क्षण भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है । किस लिये यह सब कर रखा है ? इसके पीछे भी एक राज है और सारी मंहगाई और ब्लैक

मारकेटिंग कुछ चहेते लोगों के लिये है। वे लोग कौन हैं ? वे लोग जिले के सप्लाई आफिसर्स हैं जिनके द्वारा लोगों को लूटने, खसोटने की खुली छूट मिली हुई है और उसके हिस्से में ये सारे लोग साझीदार बने हुए हैं ।

स्टेट खादी बोर्ड और खादी कमीशन ये दो संस्थायें काम कर रही हैं एक केन्द्र की है और एक प्रदेश की है। खादी बोर्ड खादी कमीशन के माध्यम से काम करता है लेकिन किस हद तक किसको अधिकार दिये जायें, यह बात साफ नहीं हुई है और न इनकी कारगुजारी साफ हो सकी है। नतीजा यह है कि दोनों उसी प्रकार चल रहे हैं। स्टेट खादी बोर्ड के चेयरमैन लखनऊ में रहते हैं आफिस कानपुर में है। इनका इंतजाम इस अवस्था को पहुंच गया कि उधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि इनकी कार्य प्रणाली कैसी हो रही है।

बुनकरों के मामले में सरकार ने आदेश दिये हैं कि इनका होल सेलर लखपति ही मुकर्रर किया जायेगा। जगह-जगह प्रदर्शन हुए, गोरखपुर में हुए और मैंने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि यह लखपति लोग क्यों लिये जा रहे हैं तो पता चला कि सरकार के आदेश हैं। भगवान जाने कि इसके पीछे कौन सी भावना है कि बुनकरों का गला दबाने के लिये इनको क्यों लगा दिया गया है ? अभी एक सदस्य कह रहे थे कि 20 रुपये बंडल सूत मिल रहा है। यह सीमा नहीं बल्कि मऊ में कुछ है, गोरखपुर में कुछ है और 20 रुपये से भी दाम ऊपर चले गये हैं। सरकार बयान दे रही है कि बुनकरों को सूत मिलेगा उधर बुनकर फाकाकशी कर रहा है। आज जो लोग पब्लिक सेक्टर की दुहाई देते हैं कि बहुत अच्छी चीज है।

मैं इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या मिक्स्ड एकनामी जिसे आप कहते हैं वह हो, या आपका यह प्राइवेट सेक्टर रहे या न रहे लेकिन आज यह गन्ध इनकी नीति से आती है कि क्या इनकी कोई इंडस्ट्रीयल पालिसी है भी या नहीं ? अगर इनकी कोई नीति है तो कौन सा कारण है कि गोरखपुर रेंज में इतनी फालतू एक खास किस्म की घास पैदा होती है जो वहां से लदकर हजारों मील दूर पंजाब में जाती है और वहां पर पेपर के बनाने में काम आती है, वहां की शकर कारखाने की खुईया दूसरी जगहों पर काम में लाई जाती है लेकिन पूरे गोरखपुर डिवीजन के तराई क्षेत्र में बहराइच से देवरिया तक आपको कोई उद्योग धंधा दिखाई नहीं देगा जिससे जाहिर होता है कि सरकार का उस क्षेत्र में उद्योग पनपाने का कोई इरादा है।

गन्ने के कारखानों का कितना बगास निकलता है लेकिन कोई उद्योग उसके लिये वहां नहीं है। जहां पर शुगर फैक्टरियां हैं वहां पर खास तौर पर उसको काम में लाने के लिये वहां की घास को काम में लाने के लिये पेपर फैक्ट्री खुलना चाहिये। कितना शीरा शुगर फैक्टरीज का बरबाद होता है उसके उपयोग के लिये आप वहां रबर का कारखाना लगा सकते हैं। साबुन का कारखाना उस क्षेत्र में लगाना चाहिये, इस तरह के वहां पर न जाने कितने छोटे-मोटे कारखाने लग सकते हैं क्योंकि वहां पर काफी रा–मेटिरियल मौजूद है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस क्षेत्र के लोगों को पीछे रखने और धक्का दन की बात सरकार ने सोच रखी है इसलिय मैं चाहता हूं कि यह सदन इस सरकार को एक पैसा भी न दे और देशमुख जी के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का बहुत ही कम समय लूंगा। मान्यवर, इसमें सन्देह नहीं है कि विरोधी पक्ष ने जो बातें यहां कहीं हैं उन पर हमारे मंत्री जी को विशेष गौर करना चाहिये। पहली बात यह है कि हमारी जो औद्योगिक नीति है उसमें कहीं न कहीं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

कोई न कोई खामी अवश्य है और हमें देश के अन्य भागों की गतिविधियों से सबक लेना चाहिये जहां रीजनल इमबैलेन्सेज या क्षेत्रीय असमानतायें हैं, अगर उनको दूर करने की हमने भी अपने यहां कोशिश नहीं की तो निश्चित है कि एक ऐसा असन्तोष उस क्षेत्र के लोगों में होगा और धीर-धीरे एक ऐसी असन्तोष और विद्रोह की भावना आयेगी कि सरकार के लिये उस भयानक स्थिति को दबाना मुश्किल हो जायेगा। इसका उदाहरण तिलंगाना और आंध्र में आप देख रहे हैं।

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर माननीय उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे इस प्रदेश में कुछ इस तरह की चीज चली कि अगर कोई किसी ऊंची जगह पर बैठा ह तो वह अपन ही क्षत्र को अपना मानकर अपनी ही उद्योगिक नीति को चलाने की बात करता है। माननीय मन्त्री जी जो इस विभाग को सम्हाले ह म उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वह उस संकुचित दृष्टिकोण से बहुत ऊंचे हैं लेकिन मैं उनकी इस कमजोरी का परिचय अवश्य दूंगा कि उनके होने के बावजूद कि प्रदेश का पूर्वी अंचल उद्योग के मामल म बहुत पिछड़ा रहा है वहां न कोई उद्योग लगे हैं और न लगने की सम्भावना है। तमाम चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं और उनकी जो ददनाक कहानी है वह अब किसी से छिपी नहीं है और उनकी ऐसी स्थिति के कारण वहां की जनता में भारी असन्तोष है और उसी को देखते हुए सरकार ने उनके टेकओवर की बात भी सोची। लेकिन ढाई तीन साल हो गये उसमें भी बहुत रुकावटें आईं, उसमें चाहे सरकार का दोष न हो लेकिन यह सही है कि इस नीति से सम्बन्धित जो आंकड़े आये हैं उनसे मालूम हुआ है कि जहां भी शुगर कारपोरेशन ने शुगर फक्ट्रीज को चलाया है उनकी हालत जो पहल उन्ह मिल मालिक चलाता था उससे अच्छी नहीं रही है।

समाजवाद के नाम पर आपने कुछ नीतियों को अपनाने की बात सोची थी। सवाल यह है कि उसको आधार मानकर हम अपने विचारों में परिवर्तन करें या न करें। आज सरकार के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि आज सरकार के सामने एक विवादास्पद स्थिति पैदा है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की शुगर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है उसस मालूम हुआ कि उसके दस सदस्यों में से 4 अधिग्रहण के पक्ष में थे और 5 अधिग्रहण के विरोध में थे और एक ने कोई निर्णय नहीं दिया। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, 5–6 घंटे तक चर्चा भी की कि अधिग्रहण इस प्रदेश के हित में नहीं होगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

वे किस दल के आदमी हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो विचार की बात है। यही मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी जहां हमार ऊपर ह, वहां आप भी नहीं बच सकते ह। जसे ही हमने कोई प्रगतिशील कदम उठाये आपने हमारी नियत पर शक करना आरम्भ कर दिया। तो जहां सरकार का दोष है, वहां आप भी उससे वंचित नहीं ह। जिन प्रदेशों में औद्योगीकरण हुआ है, मद्रास को ही ल लीजिये, वहां पर जब कामराज साहब मुख्य मन्त्री थे उनकी हालत यह थी कि पहल व प्लान बनवाते थे सारे रीजन्स की और जब वे कहीं पर चलते थे तो साथ में उनके हर विभाग के चीफ इन्जीनियर्स, चाहे वह इरीगेशन के हों, बिजली के हों या अन्य विभागाध्यक्ष हों, चलते थे, और जहां उन्होंने तय किया, और यही हालत पंजाब में प्रतापसिंह कैरों की थी, कि यहां इस प्रकार की इन्डस्ट्री लगनी चाहिये वे तुरन्त जबानी आदेश दे देते थे और कहते थे कि फोरमैलिटी पूरी होती रहे लेकिन उस दिन से वहां पर वह उद्योग आरम्भ कर दिया जाय। आज हमारे प्रदेश में हमारी सरकार इन ब्युरोक्रेट्स पर जितनी हावी होनी चाहिये उतनी नहीं है।

कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी है जो प्रदेश में उद्योगों को कामयाब नहीं होने दे रही है। इस कार्य में हमारे सरकारी आदमी बाधक हैं।

यहां पर एक अवध क्लार्क होटल बना था। उसका लाइसेन्स भी हो गया लेकिन फिर भी वह नहीं बनवा सके। वह यहां से राजस्थान चला गया। कभी बिजली की दिक्कत, कभी सीमेंट की दिक्कत और कभी लोहे की दिक्कत उसके सामने आयी। जब तक इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिये सख्ती से कदम नहीं उठाये जायेंगे प्रदेश में उद्योग नहीं पनप सकते हैं। दूसरी बात जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र है, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि वहां के रहने वालों के दिलों में जो असंतोष की भावना जागृत है वह न पनपने पाये और तभी जाकर कुछ कामयाबी मिल सकती है। देखने में आया है कि जहां पर कोई मजबूत मन्त्री है वह अपने क्षेत्र में उन उद्योगों को ले जाते हैं। पूर्वी जिलों के लिये यह कहा जाता है कि वहां पर चीनी मिलें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको उठा कर ले जांय और उनके स्थान पर 4-5 उद्योग दे दें। यह बात सही है कि कहीं न कहीं खामी अवश्य है। इसके ऊपर हमें ठंडे दिल से बिचार करना चाहिये।

जहां तक बड़े-बड़े कारखानों की बात है, हमारे बिहार प्रदेश में बड़े-बड़े कारखाने हैं लेकिन वहां पर कोई प्रगति नहीं हुई है। आज वहां पर भी इनसान गरीब है। हमारे यहां पर एरोनौटिक्स का जो कारखाना लगा है देखा कि उसमें यहां के लोगों को नहीं लिया जा रहा था। उस समय मैं मन्त्री था। तो मैंने देखा कि उसमें जो भी लड़के रखे जा रहे थे वे पंजाब से बुलाये जा रहे थे। तो मैंने जनरल मैनेजर को बुलाया और कहा कि आप 50-60 डिप्लोमा होल्डर्स को जो आई0 टी0 आई0 से पास हैं, पंजाब से क्यों बुला रहे हैं और यहां के डिप्लोमा होल्डर्स को क्यों नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो इस मामले में मैंने बड़ा सख्त कदम उठाया। तो जहां भी हम बड़े-बड़े कारखाने लगायें चाहे वह रायबरेली हो, उन्नाव हो, और चाहे वह लखनऊ हो, उस इलाके के लोगों को हम शिक्षित करें और उन्हें इन कारखानों में लगायें। यदि हमें किसी स्थान पर 4 साल बाद कोई कारखाना लगाना है तो हमें वहां के लोगों को अभी से शिक्षित करना चाहिये। यह काफी नहीं है कि रायबरेली में जैसे एक बड़ा उद्योग लग रहा है तो वहां पर 100 या 50 आदमी क्लर्कों में या चौकीदारों में भरती कर लें। अगर हम दूसरे प्रदेशों से लोगों को बुलाकर उन कारखानों में रखेंगे तो चाहे वह रायबरेली हो, उन्नाव हो या लखनऊ हो प्रदेश का विकास नहीं होगा।

इसलिये आवश्यक है कि अगर 2-3 साल में कोई मिल खोलना चाहते हैं, 2-3साल पहले ही उस क्षेत्र की जनता को उसके बारे में प्रशिक्षित करें, ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके और वहां के लोगों में यह बात आये कि यह उद्योग हमारा है और उसको अपने सहयोग से चलाना है। उसका घाटा हमारा घाटा है और उसका फायदा हमारा फायदा है। अगर इस चीज को नहीं कर सकेंगे तो चाहे लाखों बड़े उद्योग हो जायं, उससे वह फायदा नहीं हो सकता है। मान्यवर, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि गांधी जी कहा करते थे, कि बड़े-बड़े उद्योगों से ही देश का कल्याण नहीं होगा। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाय, सहायक उद्योग हैं, एन्सीलरी उद्योग हैं, उनको भी खोलें और काटेज इण्डस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाय। अगर बड़े उद्योगों में आप पांच हजार आदमियों को काम दे सकते हैं, तो छोटे उद्योगों में 50 हजार आदमियों को काम मिल सकता है। हमारे यहां 75 फीसदी लोग काश्तकारी का काम करते हैं और यह कहा जाता है कि जो देश अधिक से अधिक खेती पर निर्भर करता है, वह देश गरीब होगा। इसलिये उद्योगों के प्रति नीति को बदलना पड़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को उद्योगों में लगाना पड़ेगा और इसके लिये जरूरी है कि जो एन्सीलरी उद्योग हैं, सहायक उद्योग हैं, उनको लगाया जाये, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को काम दिया जा सके।

[श्री राज मंगल पांडय]

बुनकरों के बारे में बात की गई । यह सही है कि आज प्रदेश में बुनकरों की बड़ी जटिल समस्या है। जब तक उनको सहायता सरकार से नहीं मिलेगी, तब तक वे बड़े-बड़े उद्योगों के कम्पटीशन में नहीं आ सकते। सरकार थोड़ा सा संरक्षण दे, तो उनका जरूर भला होगा। इसलिये मैं, मन्त्रीजी से कहूंगा कि उनको ग्रान्ट जरूर दी जाय और इस ग्रान्ट का यूटीलाईजेशन होना चाहिये ताकि प्रदेश के हरएक आदमी को विश्वास हो कि एक-एक पैसा सही काम में खर्च हो रहा है।

एक बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि लोगों को सबसे बड़ा असंतोष इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के दफ्तर से है। भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, तो स्रोत डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के दफ्तर को माना जाता है। लोने के अन्दर पैसा लिया जाता है। बिजली की मोटर में गलत लेबिल लगाकर 7 हार्सपावर की मोटर से 10 हार्सपावर की बिजली खर्च की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उद्योग के सम्बन्ध में जो ग्रान्ट है, उसको पास किया जाय।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ और समय बढ़ा दिया जाय, ताकि जो सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं, वे बोल सकें।

श्री दीपनरायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आध घन्टा और समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब, यह तो आप और मन्त्रीजी पर निर्भर है।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

कुछ समय और बढ़ा दें, ताकि 5—5 मिनट नहीं तो 2।2 मिनट तो उन लोगों को, जो बोलना चाहते हैं, मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक घण्टा तो और लगेगा ही। उसके बाद, 6 बजे सचिवालय पुनर्गठन समिति की बैठक है, जिसमें मेरा रहना जरूरी है। कौन बोट लेगा, उसके लिये किसी को तैयार करना पड़ेगा।

कुंवर चन्द्रप्रताप नरायण सिंह—

अधिष्ठाता बैठक चला सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार की ओर से प्रस्ताव आयें, तो हम कर सकते हैं। जो समय हमें दिया गया था, मैं उसी हिसाब से करूंगा।

श्री राजितराम पांडेय—

मान्यवर, यह उद्योग का मामला है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो विषय विधान सभा में मेरे समक्ष उपस्थित होता है, वह हरएक विषय महत्वपूर्ण होता है । अगर शासक दल की तरफ से लोग बोलना चाहते हैं इस विषय में तो पार्टी मीटिंग में इस विषय को रख दीजिये और उनसे बुलवा लीजिये । लगभग 12 आदमी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, रामलाल भाई, नोमानी साहब तथा सी0पी0एन0 सिंह तो हैं ही और भी लोग निकल आयेंगे ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह विषय महत्व का है, आप इसमें समय बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे समय बढ़ाने और दो-दो मिनट तक बुलवाने में कोई आपत्ति नहीं थी । मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुोती लेकिन जिसका नाम लिया जाता है वह 15-20 मिनट तक चुप नहीं रहता ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता था कि अभी देशमुख जो को बोलना और मुझे भी जवाब देना है । हालांकि जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन परम्परा है । चूंकि सदस्य चाहते हैं इसलिये 15 मिनट का समय बढ़ा दीजिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

15 मिनट के समय को बढ़ाने के लिये किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है वह तो मैं बढ़ा सकता हूं लेकिन जहां तक दो-दो मिनट बोलने की बात है, वह नहीं हो पायगा ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, सभी बोल चुके हैं आप पास करें ।

*श्री रामप्रसाद देशमुख—

मैं उन माननीय सदस्यों का जो पक्ष और विपक्ष में बोले हैं उनका आभारी हूं । माननीय सदस्य जो सरकारी पक्ष के हैं उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । श्री लोकपति त्रिपाठी ने तो साफ-साफ यह बात कही है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्ट में बहुत गड़बड़ होती है और इसी तरह से धनुषधारी पांडेय ने यहां तक कह दिया कि एक आदमी ने 38 हजार रुपये तक लिये और उसकी जांच तक नहीं हुई । श्री रामधारी शास्त्री ने इस बात का सुझाव दिया है कि जहां पर सामान आसानी से उपलब्ध हो, लेबर उपलब्ध हो, वहीं उद्योग स्थापित किया जाय । मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं । श्री खन्ना जी ने हालांकि शासक दल में हैं और दल बदल कर गये हैं, उन्होंने इन्डस्ट्रीज विभाग की आलोचना करते हुए दबे शब्दों में यहां तक कह दिया कि अगर वह विरोधी दल में होते तो और ज्यादा कहते । श्री कल्पनाथ सिंह जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने बन्द कर दिये जायं । हमारे यहां एक कहावत है कि बिना चूड़ी के औरतें रांड़ मानी जाती हैं तो इस बात को भी सोच लें । बिना चूड़ी के औरतें सुहागिन नहीं रहती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कहीं ऐसा न हो कि शोक प्रस्ताव मन्त्री जी को पढ़ना पड़े ।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

इतने शर्म की बात है कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि कोई भी मन्त्री यहां बैठ जाता है तो अपने क्षेत्र की तरफ देखता है । वह नहीं देखता कि कौन-सा बैकवर्ड एरिया है । कहां रा-मैटीरियल मिलेगा, कहां टेक्नीशियंस मिलेंगे । यहां तो ऐसी जगह उद्योग ले जाते हैं जहां न रा-मैटीरियल है और न आदमी मिलते हैं । इसीलिये आप इस काम में सफल नहीं हो रहे हैं । अगर कहीं उद्योग चल रहे होंगे तो भले ही डायरेक्टर के नाम पर चल रहे हों क्योंकि वह बड़े-बड़े लोगों के यहां दावत खाते हैं । मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इन चीजों को देखें । यह इसलिए भी जरूरी है कि प्रदेश को आगे ले जाने वाली इंडस्ट्री ही है । अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो खाली इंडस्ट्रियल एस्टेट बना देने से ही कुछ नहीं होगा । अगर सूत नहीं मिलेगा, रा-मैटीरियल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी ?

आज तिलहन का सवाल है । कई मिलें बन्द हो गयी । ऐसे टैक्स लगा दिये हैं कि वे नहीं चल पातीं । इंडस्ट्रियलिस्ट यहां से भाग रहे हैं क्योंकि यहां टैक्स ज्यादा हैं और सब्सीडी मिलती नहीं । मन्त्री जी कह रहे थे कि टैक्स वसूल कर लिया । लेकिन यह बतलावें कि कितने बड़े लोगों को बन्द किया । छोटे आदमियों को आप रोज जेल भेजते हैं । उन पर झूठे सच्चे टैक्स लगाते हैं । मैं समझता हूं कि मेरे प्रस्ताव का दोनों तरफ के सदस्यों ने समर्थन किया है । पांडेय जी ने कहा कि अनुदान को पास कर दिया जाय । अनुदान तो पास हो ही जायगा । विरोध पक्ष कटौती का प्रस्ताव रखता है इसलिये कि आपकी नीतियों में जो गड़बड़ी है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाया जाय । हमारी बी० के० डी० का जो प्रस्ताव है और हमारे नेता हमेंशा कहते रहे हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिये । मैंने इन्दिरा जी का स्टेटमेंट भी पढ़ दिया । वह चाहती हैं कि छोटे उद्योग लगें । तभी लोगों को राहत मिलेगी ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मन्त्री जी जब जवाब दें तो यह भी बतला दें कि 24 जुलाई को सरकार और बुनकरों के बीच में एक समझौता हुआ था । एक मुख्य बात यह थी कि यू०पी०का चेयरमैन नान आफिसियल हो और इसी तरह से इटावा का भी नान आफिसियल चेयरमैन होगा । यू०पी० का तो नान आफिशियल चेयरमैन हो गया लेकिन इटावा का नहीं बनाया गया । इसका भी मन्त्री जी उत्तर दें ।

श्री रामलाल भाई—

खादी बोर्ड में काफी कर्मचारी काम करते हैं । जिस प्रकार प्रदेश के कर्मचारियों को उपलब्धियां मिलती हैं उनको भी मिलनी चाहिये । ये लोग 6 साल से कार्यरत हैं लेकिन ग्रेच्युटी फंड, मेडिकल फैसीलिटीज आदि की उपलब्धियां उन को नहीं है । बजट में टोकन प्रावीजन किया है । मन्त्री जी अपने उत्तर में बतलायें कि कब से लागू कर रहे हैं । बाकी हमें बोलने को मिला नहीं वैसे पांडेय जी ने काफी कुछ कह दिया और सारी बातें आ गयीं ।

श्री राजितराम पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कारखाने लगने जा रहे हैं क्या उनमें यू० पी० के लोगों को रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस की इजाजत से बोल रहे हैं ?

श्री राजित राम पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं सभी माननीय सदस्य के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से इसलिये कि पूरी डिबट का स्तर अच्छा रहा । जैसी कि मैं अपेक्षा करता था कि माननीय सदस्यों की ओर से बहुमूल्य सुझाव आयेंगे और मेरा मार्गदर्शन होगा उसी प्रकार से दोनो ही ओर से सुझाव आये । माननीय देशमुख जी ने अपने भाषण की शुरूआत में यह कहा कि जो लिटरेचर उद्योग विभाग की ओर से बंटा वह आज ही उनको मिला । मैं समझता था कि माननीय सदस्य पढ़ लेंगे तो मेरा काम काफी हल्का हो जायगा, लेकिन यह संयोग की बात है कि दो दिन तो शनिवार और इतवार के थे और तीसरे दिन बी० के० डी० की कानफरेन्स के नाते सदन बन्द हो गया। यह तीनों दिन की छुट्टी मेरे दुर्भाग्य के हिस्से में लिखी जायेगी । माननीय देशमुख जी को तो लिटरेचर पढ़ने का ठीक से समय नहीं मिला होगा क्योंकि वे प्रथम वक्ता थे लेकिन अन्य माननीय सदस्यों को तो समय अवश्य मिला होगा । वह बहुत लम्बा चौड़ा दस्तावेज नहीं था । थोड़ी बातें जानने को थीं और यह देखने की बात थी कि विभाग ने क्या किया है ।

जहां तक विभाग की आलोचना का प्रश्न है आलोचना बड़ी अच्छी चीज नहीं है । समालोचना अगर हो तो उसका तो सब को आदर करना चाहिये । जो आलोचना हुई है कुछ तो समालोचना की संज्ञा में हुई है और कुछ आलोचना की संज्ञा में । जहां तक समालोचना का सवाल है मैं उसका विनीत भाव से स्वागत करता हूं और प्रयास करूंगा कि उन सद्भावनाओं को आगे के कार्यक्रम में समाविष्ट कर सकूं और उन पर विचार करके आगे की कार्यवाही कर सकूं। माननीय देशमुख जी ने कहा कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं । उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रान्त है और उस दिशा में गन्ना ही कैश क्राप है । हमने खंडसारी और गुड़ के मूवमेंट पर बैन नहीं लगाया जिसकी वजह से वह उद्योग पल्लवित होता रहा ।

साथ ही सीमेन्ट की कमी के बारे में उन्होंने कहा । यह बात सही है कि सीमेन्ट की कमी नजर आ रही है । लेकिन सीमेंन्ट की उपलब्धता का सीमेन्ट कारपोरेशन द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली सीमेन्ट से बहुत ज्यादा संबंध नहीं कहा जा सकता है । मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत सीमेन्ट का प्रोडक्शन सीमेन्ट कारपोरेशन ने बढ़ाया है । सन् 1971–72 में क्षमता थी, 4,90,000 परन्तु वह 1972–73 में 7,15,000 हो गयी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या यही कारण है कि सीमेंन्ट बाजार में बिल्कुल नहीं मिल रहा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इधर बाहर से आने वाला सीमेन्ट एकदम नहीं आ रहा है और जो आ रहा है वह भी नहीं के बराबर आ रहा है । अपनी जरूरयात के लिये अपने कारखानों पर ही मुनहस्सर कर रहे हैं । अपने यहां जो भी सीमेन्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 70 प्रतिशत विकास के कार्यों में लग रहा है और 30 प्रतिशत जनता के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है ।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

कीमत क्यों बढ़ रही है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब किसी चीज की उपलब्धता कम होती है तो ब्लेक चलताहै । इस समय 70 प्रतिशत सीमेन्ट विकास कार्यो में लग रहा है और 30 प्रतिशत जनता को मिल रहा है । तो उपलब्धता की कमी के कारण दाम बढ़ गये हैं ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

अभी मन्त्री जी ने कहा था कि जब चीजों की कमी होंती तो उन पर ब्लेक होता है। तो क्या जिन चीजों की कमी है उन पर मन्त्री जी नियन्त्रण करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब राशनिंग होती है तो नियन्त्रण होता है । इस समय महसूस किया जा रहा है कि चीजों की कमी है और इसलिये भाव बढ़ रहे हैं । सरकार इस पर विचार करके कार्यवाही करेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह ने कहा कि गोरखपुर को डल्ला की सीमेन्ट दी जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले को चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री की सीमेन्ट दी जा रही है। श्री कल्पनाथ सिंह को पूरे विभाग में बदबू ही बदबू नजर आई । तो उनको तो खुशबू नजर ही नहीं आती है और बदबू ही उनको परेशान किये रहती है। श्री धनुषधारी पांडेय ने कहा कि बस्ती जिले को कुछ नहीं दिया गया । राज्य सरकार ने बस्ती के लिये कोई योजना नहीं बनाई कि वह तरक्की कर सके । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक वर्ष पहले बलिया और झांसी दो ही जिले थे जिनमें इन्डस्ट्री लगाने वाले को 10 प्रतिशत सबसीडी मिलती थी लेकिन अब इसमें चार जिले फैजाबाद, अल्मोड़ा, बस्ती और रायबरेली को बढ़ा दिया गया है और वहां पर इन्डस्ट्री लगाने वालों को 10 प्रतिशत सबसीडी मिलेगी ।

श्री धनुषधारी पांडेय—

बस्ती में स्टील प्लान्ट जो सेन्टर ने दिया है, क्यों नहीं लगाया गया है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पब्लिक सेक्टर में केवल एक आया और वह भी मिनीस्टील प्लान्ट था । बलिया जिला कम्परेटिवली बस्ती से पिछड़ा हुआ है इसलिये वहां इसको लगाया गया है । पिछड़ेपन के आधार पर उद्योग दिये जा रहे हैं, वसे तो पूरे प्रदेश को औद्योगीकरण की जरूरत है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

आपने पिछड़े जिलों के अभी नाम बतलायें हैं तो क्या पटेल आयोग ने जो पिछड़े जिले बतलाये हैं, उसमें कुछ छूट कर दी गई है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अगर आप पूरा भाषण रिफरेन्स टु कान्टेस्ट नहीं सुनेंगे तो उसमें गलती हो जावेगी । यहां कहा गया है कि पूर्वी जिलों को कोई भी कारखाना देने की बात नहीं की गई है, तो मैं बत लाना चाहता हूं कि बलिया में रसरा स्थान पर और गाजीपुर में सहकारी शुगर मिल्स लगाये जा रह हैं । आजमगढ़ म है और वाराणसी में चन्दौली में है । इनको लाइसेन्स मिल चुके हैं और भी जिलों में प्रयास चल रहा है । जैसे ही मिलेंगे उनको भी दिया जायेगा । पटेल आयोग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक पटेल आयोग के सिलसिले में जो पिछड़े जिलों की बात कही जा रही है उसमें मथुरा, फतेहपुर, रायबरेली, बलिया हैं । ये अगस्त, 1972 म शामिल किय गये थे जिस समय रूरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा था तो 25% परसेंट

अनुदान देकर के पहले एक-ए क ब्लाक लिये गये थे जहां छोटे उद्योगों को पनपाने की बात थी। अब वह पूरे-पूरे जिले पर ला गू कर दिया। देवरिया, उन्नाव, मुरादाबाद, झांसी, गाजीपुर, अल्मोड़ा, सहारनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद इन जिलों को भी शामिल कर दिया गया और यह भी रूरल इंडस्ट्रिय ल प्रोजेक्ट के अन्दर शामिल कर दिये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

पर्वतीय जिलों के बारे में...

श्री यादवेन्द्र सिंह––

अल्मोड़ा है वह पर्वतीय जिलों में आता है। और उनके लिये पर्वतीय विकास निगम बना दिया गया है और वह उसको देख रहे हैं। (व्यवधान) एक बच्चे के पैदा होने में 9 महीने का वक्त लगता है। आप अगर यह कहें कि 2 वर्ष के अन्दर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला दूं तो वह असम्भव है। आप क्या यह आशा करते हैं कि कोई सरकार पूरे प्रदेश की जरूरियात के मुताबिक कारखाने सब जिलों को दे दे तो ऐसा कोई मुहकमा नहीं हो सकता है और न यह संभव हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि कि हमारे बड़े भाई देशमुख ने जो प्रस्ताव कटौती का दिया है उसको वह वापस ले लेंगे और जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 25 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25––उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,73,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष ––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46 के अधीन संपूर्ण अनुदान की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि क अतिरिक्त 14,07,48,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

एक नियम 51 के अधीन प्रस्ताव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आया है जिसे अस्वीकार किया गया है। यह केन्द्रीय विषय है और यहां कोई आशंका की स्थिति है.. यह संभव भी नहीं है। आप जानते हैं कि इस पर वक्तव्य हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें वहां के छात्रों तथा अध्यापकों के खिलाफ कठोरतम कार्य...यह स्वीकार कैसे किया जा सकता है। अगर लिखते हैं कि सरकार के इशारे पर क्षोभ है तो उसका मतलब केन्द्रीय सरकार से हो सकता है।

नियम 49 के अधीन चर्चा न होना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आइटम नं0 12 को लेता हूं। माननीय कृष्णस्वरूप वैश्य, माननीय जगन्नाथ खन्ना।

(दोनों के अनुपस्थित होने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मुझे बता गये हैं, मैं इसपर चर्चा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आगे चलता हूं। श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह .....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि वह न हों तो चर्चा न हो सके, मुझे कह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या लिख कर दे गये हैं? (श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा सिर हिलाने पर) जब लिख कर नहीं दे गये तो वह नहीं लिया जा सकता। यह प्रश्न या वक्तव्य नहीं है, यह चर्चा है। वह नहीं लिया जा सकता। वह अनपस्थित हैं। जो प्रश्न है, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हो, वह तो वहां हो सकता है लेकिन यह प्रश्न वक्तव्य नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन चर्चा के जो प्रस्तावक हैं वही नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह मुझको बता कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा एक बार पहले भी कर चुका हूं। वह नहीं थे तो नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कभी ऐसा हुआ होगा वह दूसरी बात है लेकिन ऐसी व्यवस्था न दें।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था की बात तो यह है कि अगर आध घंटे की चर्चा का प्रश्न है और प्रश्नकर्ता न हों तो नहीं लिया जायगा ।

अब श्री मुरलीधर जाटव, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोअपरेटिव सोसाइटी, मैनपुरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें होने के विषय में दिनांक 17 अप्रैल, 1973 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में मैं श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री अनन्तराम जायसवाल, चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री भाभी यादव में से चूंकि कोई नहीं है अतएव हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बठगे ।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
8 मई, 1973 ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) क ता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर]

विकास खंडवार ऐसे कर्मचारियों की सूची जिन्हें एक विकास खंड में 15 मार्च, 1973 को 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है ।

क्रम सं0	नाम कर्मचारी	ओहदा	पता
	सर्वश्री—		
1	पल्लू ..	ग्राम सेवक	विकास खंड लखीमपुर, जनपद—खीरी
2	तुलाराम ..	ग्राम सेवक	" " " "
3	जगमोहन लाल ..	ग्राम सेवक	" फूलबेहड़ " "
4	राम प्रगट द्विवेदी	ग्राम सेवक	" " " "
5	रसूल अहमद ..	ग्राम सेवक	" " " "
6	बाबू राम गुप्ता ..	ग्राम सेवक	" " " "
7	सूर्य बली	चौकीदार	" " " "
8	कृष्ण पाल सिंह ..	ग्राम सेवक	" " " "
9	बृज मोहन त्रिपाठी	ग्राम सेवक	" बांकेगंज " "
10	छुन्नी लाल यादव ..	ग्राम सेवक	" बिजुआ " "
11	जय किशोर अवस्थी	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	" " " " " कुम्भी (गोला) " "
12	सुन्दर लाल वर्मा	ग्राम सेवक	" मोहम्मदी " "
13	जगदीश कुमार मिश्रा	ग्राम सेवक	" " " "
14	श्रीराम वर्मा ..	ग्राम सेवक	" " " "
15	लत्तू ..	पत्र-वाहक	" " " "
16	मिश्री ..	स्वीपर/चौकीदार	" " " "
17	अब्दुल कादिर खां..	ग्राम सेवक	" निघासन " "
18	शिवराम विश्वकर्मा	ग्राम सेवक	" रमियाबेहड़ " "
19	गोपीनाथ पाण्डे ..	ग्राम सेवक	" " " "
20	बलराम प्रसाद दीक्षित	ग्राम सेवक	" " " "
21	जगन्नाथ प्रसाद ..	पंचायत सेवक	" " " "
22	जमुना प्रसाद ..	पंचायत सेवक	" " " "
23	शिव बिहारी सिंह..	पंचायत सेवक	" " " "
24	सदा शिव पाण्डे ..	ग्राम सेवक	" ईसानगर " "
25	बद्री प्रसाद ..	ग्राम सेवक	" " " "
26	उदल सिंह ..	ग्राम सेवक	" " " "
27	अविनाश चन्द्र ..	तकाबी लिपिक	" " " "
28	मोहन लाल शुक्ला	पंचायत सेवक	" " " "
29	शिव नन्दन गिरि	पंचायत सेवक	" " " "
30	पयाग शंकर ..	पंचायत सेवक	" " " "

बलदेव सिंह आर्य
मन्त्री
सामुदायिक विकास

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

कानपुर जिले में आदर्श ग्राम योजना में लिये गये ग्राम की सूची

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	आदर्श ग्राम का नाम जो निर्वाचित किया गया	संबंधित आदर्श ग्राम में किये गये कार्यों का विवरण
1—रसूलाबाद	बारामऊ ..		1—समाज के कमजोर वर्ग, भूमिहीनों तथा हरिजनों को आवास स्थल देने हेतु आवश्यक सूचना संबंधित तहसीलदार को दे दी गई है क्योंकि अग्रिम कार्यवाही इन्ह ही करना है । 2—अल्प सिंचाई कार्य की व्यवस्था करने व पंचायत उद्योग की स्थापना क कार्यों को पूरा करने का प्रयास प्रारम्भ हैं ।
2—घाटमपुर ..	टिकवांपुर ..		1—17 भूमिहीनों मजदूरों को आवास हेतु भूमि का वितरण किया गया । 2—14 पी0 आर0 ए0 आई0 टाइप शौचालय बनाये गये । 3—10.05 कि0 मी0 पक्की सड़क के निर्माण व मरम्मत का काय किया गया । 4—पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत एक कुंए के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
3—देरापुर ..	खजुरी ..		1—एक हरिजन पेयजल कूप का निर्माण हो रहा है । 2—बिजली विभाग से हरिजन बस्ती में बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्रयास किया जा रहा है ।
4—चौबेपुर ..	बनसठी ..		1—हरिजन पेयजल कूप का निर्माण हो रहा है । 2—प्राइमरी पाठशाला (बालिका) का निर्माण हो चुका है । 3—4 सिंचाई कूपों का निर्माण हो चुका है ।
5—सरसौल ..	हरचन्द खेड़ा ..		1—6 हरिजनों को आवास स्थल हेतु भूमि दे दी गयी है ।
6—पतारा ..	जहांगीराबाद		1—हरिजन आवास हेतु भूमि दे दी गई है । 2—हरिजन बस्ती में एक पेयजल कूप का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ है ।
7—मैथा ..	औनहां ..		1—एक हरिजन कूप का निर्माण प्रारम्भ है । 2—औनिहां से पक्की सड़क के (शिवली रूरा सड़क) तक 4 कि0 मी0 कच्ची सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है ।
8—कल्याणपुर	डूल ..		1—एक कूप का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है ।

1	2	3	4
			2—किसानों के सिंचाई सुविधा हेतु 5 डीजल नलकूप लगाये गये हैं ।
			3—भूमिहीन हरिजनों को भूमि के आवंटन हेतु तहसील द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।
9	राजपुर ..	जैनपुर ..	1—ग्राम की गलियों में विद्युतीकरण हो चुका है।
			2—4 घरों में पी0 आर0 ए0 आई0 टाइप शौचालय बन चुके हैं ।
			3—प्रौढ़ कक्षायें चल रही हैं ।
			4—एक विद्युत् पम्पसेट का निर्माण हो चुका है ।
10	मसाला ..	बरौर ..	1—दो पेयजल कूप निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ।
			2—613 फीट खरन्जा का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।
			3—पशु तथा जन,चिकित्सालय,कृषि बीज भण्डार, खाद भण्डार, सहकारी बीज गोदाम, परिवार नियोजन उपकेन्द्र आदि राजकीय भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।
			4—इण्टर कालेज, जूनियर व प्राइमरी स्कूल भवनों पंचायत घर तथा डाकघर का कार्य प्रगति पर है ।
11	सन्दलपुर ..	कौरू ..	1—एक हरिजन पेयजल कूप निर्माण की स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है ।
			2—लिंक रोड को पक्की सड़कों को मिलाने हेतु चुन ली गई है ।
12	अम्बरपुर ..	अम्बरपुर ..	1—सफाई का कार्य किया गया ।
13	भीतरगांव	अमौर ..	1—0.05 कि0 मी0 लिंक रोड स्वीकृत है जिस पर कच्चा कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।
			2—हरिजन पेयजल कूप का निर्माण कार्य प्रारंभ है ।
			3—कन्या पाठशाला के निर्माण का कार्य प्रारंभ है ।
			4—राजकीय चिकित्सालय खोला गया है ।
			5—50 हरिजनों को भूमि आवंटित कर दी गई है ।
14	झींझक	बनोपारा ..	1—सिठभरा नहर पुल से महादेव मन्दिर तक सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है ।
			2—एक हरिजन कूप का कार्य हो चुका है ।
			3—प्रौढ़ कक्षायें चल रही हैं ।
			4—पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खुल गई है ।

1	2	3	4
15—अमरौधा	..	शाहजहांपुर	.. 1—सात परिवारों को आवास स्थल हेतु भूमि दे दी गई है। 2—100 वर्गगज नाला खरंजा का कार्य निर्माण कराया गया है।
16—बिल्हौर	..	धमनी निवादा	1—इस ग्राम के लिये जी0 टी0 रोड से मिलाने वाली सड़क पर मिट्टी का श्रमदान कार्य समाप्त हो गया है शीघ्र ही पक्की करने की योजना है।
17—विधनू	..	मेहरबानसिंह का पुरवा	1—3 विद्युत चलित पंप सिंचाई हेतु चल रहे हैं। 2—एक हरिजन पेयजल कूप निर्माण का प्रबन्ध किया जा रहा है। 3—लिंक रोड का कार्य प्रारम्भ हो गया है। 4—3/4 कि0 मी0 खरंजा बिछाया गया है।
18—सरवनखेड़ा		उमरन	.. 1—रामपुर गजनेर रोड का निर्माण हो रहा है।
19—ककवन		शाहबाजपुर	.. 1—केवल सफाई का कार्य ही हुआ है।
20—शिवराजपुर		मुश्ता	.. 1—केवल सफाई का कार्य हुआ है।

अवध प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विकास क्षेत्र बांसी एवं खुनियांव के अन्तर्गत निर्मित हरिजन बस्तियों में कूपों की सूची

विकास क्षेत्र	ग्राम का नाम
1—बांसी , ...	1—बरगदवा
	2—कपिया शुक्ल
	3—सोनारी
	4—कोल्हुआ
	5—बैदौली कला
	6—मथुरापुर
	7—सिसई खुर्द
	8—बभनीताल
	9—पिपरा
2—खुनियांव	1—बभनी
	2—पिपरा पान्डेय
	3—मधुकरपुर
	4—पटखौली
	5—चिताही
	6—मधुकर चौबे
	7—तेतरी
	8—परसोहिया सदानन्द
	9—कटरिया पाण्डेय
	10—बैतनार

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—49 एल० ए०—1974—835।